# C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XII, Fifth Session, 2015/1937 (Saka)**
**No. 13, Friday, August 7, 2015/ Shravana 16, 1937 (Saka)**


| S U B J E C T | P A G E S |
|---|---|
| **REFERENCE BY THE SPEAKER** | |
| Seventy Third Anniversary of the 'Quit India' movement | 10 |
| **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| *Starred Question Nos. [e] 264 to 267 | 16-89 |
| **[e] WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos. 268 and 282 | 90-156 |
| Unstarred Question Nos. 2991to 3002, 3004 to 3014, 3016 to 3035, 3037 to 3038, 3040 to 3058, 3060 to 3063, 3065 to 3083, 3085 to 3114, 3116 to 3139, 3141 to 3150, 3152 to 3156 and 3158 to 3220 | 157-596 |


* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

[e] Starred Question No. 263 and Unstarred Question Nos. 3003, 3015, 3036, 3039, 3059, 3064, 3084, 3115, 3140, 3151 and 3157 were deleted due to suspension of Members under rule 374A and as recorded in Bulletin Part-I dated 7.8.2015

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 597-616

**STANDING COMMITTEE ON DEFENCE**
**Statements** 617

**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**
**9th and 10th Reports** 617-618

**STATEMENTS BY MINISTERS**

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd and 5th Reports of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs respectively

**Shri Arun Jaitley** 618

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Planning

**Rao Inderjit Singh** 619

**BUSINESS OF THE HOUSE** 620-624

**MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) SECOND BILL , 2015**
**EXTENSION OF TIME** 625

**GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED**

**(i) Bureau of Indian Standards Bill, 2015** 626

**(ii) Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015** 643

**SUBMISSIONS BY MEMBERS**

(i) Re:Police atrocities in Bihar 627-631

(ii)Re: Parameters for development in Naxal-affected areas in the country 638-640

(iii) Re: Need to allocate more funds for MPLADS Scheme 644-647

**DISCUSSION UNDER RULE 193**

Sustainable Development Goals

Shri Prahlad Singh Patel 672-673

**PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED** 674-695, 707-708

(i) Bhagwan Buddha Central Homeopathy University Bill, 2015
(By Shri Pankaj Chaudhary) 674

(ii) Eradication of Unemployment Amongst the Youth Belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Bill, 2015
(By Dr. Kirit P. Solanki) 675

(iii) Education Bill, 2015
(By Shri Adhalrao Patil Shivajirao) 675

(iv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new article 15A)*
(By Shri Adhalrao Patil Shivajirao) 676

(v) Railways (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new Chapter XIIIA)*
(By Shri Adhalrao Patil Shivajirao) 676

(vi) Special Financial Assistance to the State of Andhra Pradesh Bill, 2015
(By Dr. Ravindra Babu) 677

(vii) Religious Institutions (Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2015
*(Amendment of section 2, etc.)*
(By Shri Dushyant Chautala) 678

(viii) Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of sections 2 and 13)*
(By Shri Jagdambika Pal) 678

(ix) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2015
*(Substitution of new sections for section 304A)*
(By Shri Jagdambika Pal) 679

(x) Gutka and Pan Masala (Prohibition) Bill, 2015
(By Shri Gopal Shetty) 679

(xi) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion on new article 16A)*
(By Shri Gopal Shetty) 680

(xii) Unauthorised Colonies, Slums and Jhuggi-Jhopri Clusters (Basic Amenities and Other Provisions) Bill, 2015
(By Shri Gopal Shetty) 680

(xiii) Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Bill, 2015
*(Insertion of new section 43A)*
(By Shri Gopal Shetty) 681

(xiv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of the Preamble, etc.)*
(By Shri Bhartruhari Mahtab) 681

(xv) Writing of Medical Prescriptions in Capital Letters and Opening of Generic Medicines Shops Bill, 2015
(By Shri C.R. Patil) 682

(xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of the Eighth Schedule)*
(By Shri Nishikant Dubey ) 682

(xvii) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of section 80)*
(By Shri Nishikant Dubey) 683

(xviii) Farmers and Agricultural Workers Social Security Bill, 2015
(By Shri Nishikant Dubey) 683

(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of article 58)*
(By Shri Nishikant Dubey) 684

(xx) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of article 72)*
(By Dr. Kirit P. Solanki) 684

(xxi) Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2015
(By Dr. Kirit P. Solanki) 685

(xxii) Closed Textile Mills Workers (Welfare and Rehabilitation) Bill, 2015
(By Dr. Kirit P. Solanki) 685

(xxiii) Special Irrigation Development Fund (For Forest Areas) Bill, 2015
(By Shri Sunil Kumar Singh) 686

(xxiv) Crop Insurance Bill, 2015
(By Shri Ajay Mishra Teni) 686

(xxv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new section 136A)*
(By Shri Dushyant Chautala) 687

(xxvi) Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2015
(By Shri Faggan Singh Kulaste) 687

(xxvii) Victims of Naxalite Acts of Violence (Relief and Rehabilitation) Bill, 2015
(By Shri Sunil Kumar Singh) 688

(xxviii) Girl Child (Prevention of Commercialized Trafficking, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2015
(By Shri Sunil Kumar Singh) 689

(xxix) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new section 199A)*
(By Shri Bhartruhari Mahtab) 690

(xxx) Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new Chapter IIIA)*
(By Shri Bhartruhari Mahtab) 690

(xxxi) Eradication of Malnutrition Bill, 2015
(By Dr. Manoj Rajoria) 691

(xxxii) Fertilizer (Price Control) Bill, 2015
(By Shri Rajesh Ranjan) 691

(xxxiii) Prevention of Trafficking of Girl Child for Commercial Purposes Bill, 2015
(By Shri Rajesh Ranjan) 692

(xxxiv) Population Stabilization Bill, 2015
(By Shri Rajesh Ranjan) 692

(xxxv) Compulsory Teaching of Logic in Educational Institutions Bill, 2015
( By Shri Daddan Mishra) 693

(xxxvi) Special Financial Assistance to the State of Rajasthan Bill, 2015
(By Shri Arjun Ram Meghwal) 693

(xxxvii) High Court of Rajasthan (Establishment of a Permanent Bench at Bikaner) Bill, 2015
(By Shri Arjun Ram Meghwal) 694

(xxviii) Integrated Child Development Services (Regularisation) Bill, 2015
(By Shri Arjun Ram Meghwal) 694

(xxxix) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new section 19A)*
(By Shri Arjun Ram Meghwal) 695

(xl) Rickshaw Pullers and Roadside Mechanics (Freedom to Earn Livelihood) Bill, 2015
(By Shri Rajesh Ranjan) 695

(xli)Rainwater (Compulsory Harvesting) Bill, 2015
(By Dr. Udit Raj) 707

(xlii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of article 51A)*
(By Shri P.P. Chaudhary) 707

(xliii)Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of article 124)*
(By Shri P.P. Chaudhary) 708

(xliv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Amendment of article 217 and 224)*
(By Shri P.P. Chaudhary) 708

(xlv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
*(Insertion of new article 324A)*
(By Shri P.P. Chaudhary) 708

**COMPULSORY VOTING BILL, 2014**

Dr. Manoj Rajoria 696-699

Shri Ajay Mishra Teni 700-706

Shri Rajesh Ranjan 709-715

Shri Harishchandra Alias Harish Dwivedi 716-721

Shri Chandra Prakash Joshi 723-725

Shri Konda Vishweshwar Reddy 726-728

Shri Ramesh Chandra Kaushik 729-730

Dr. K. Kamaraj 731-735

Shri Sumedhanand Saraswati 736-738

Shri Mukesh Rajput 739-740

Shri Lakhan Lal Sahu 741-742

Shrimati Kamla Paatle 743-744

Shri Nishikant Dubey 745

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 746

Member-wise Index to Unstarred Questions 747-752

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 753

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 754

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

## THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

## SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

# LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

----------

Friday, August 7, 2015/Shravana 16, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

## REFERENCE BY THE SPEAKER

Seventy Third Anniversary of the 'Quit India' movement

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, तिहत्तर वर्ष पूर्व दिनाँक 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को साम्राज्यवादी शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए "भारत छोड़ो आंदोलन" शुरू किया था।

भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर सामान्य और विशिष्ट, सभी वर्गों के लोग स्वयमेव शामिल हुए और यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक कदम था।

इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता और उन सभी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हम उन उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं।

सभी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में अब हम मौन धारण करेंगे।

**11.01 hrs**

*The Members then stood in silence for short while.*

---

...(व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) :** महोदया, 25 सांसदों का निलम्बन लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है।...(व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** महोदया, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।...(व्यवधान) उनका निलम्बन वापस लिया जाए।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं आपको 12 बजे अलाऊ करूँगी, अगर आपको कुछ कहना है तो जीरो ऑवर में कहिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपका कोई नोटिस भी नहीं है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपको अगर कुछ भी प्रस्ताव रखना हो, वह आप 12 बजे के बाद करेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received a notice of Adjournment Motion from Shri Rajesh Ranjan.

The matter though important enough does not warrant interruption of business of the day. I have, therefore, disallowed the notice of Adjournment Motion.

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** राजेश रंजन जी, आपको जीरो ऑवर में चांस दूँगी। अभी आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Question no. 264, Shrimati K. Kavitha.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Question no. 264. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** अभी नहीं, बाद में, 12 बजे आपको मौका दूँगी।

…(व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) :** महोदया, मैंने कल भी पप्पू यादव जी को आश्वासन दिया कि आप एडजर्नमेंट मोशन नहीं, नार्मल मोशन दीजिए। …(व्यवधान) गृह मंत्री जी उसके बाद उसके ऊपर रेस्पांड करेंगे।…(व्यवधान) वे नार्मल नोटिस दें, एडजर्नमेंट मोशन नहीं, नार्मल नोटिस दिया तो सरकार उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है।…(व्यवधान) I would request him to give a separate notice.…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** उन्हें जीरो ऑवर में मौका दे दूँगी।

…(व्यवधान)

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू :** उनके व्यवहार के बारे में आप गारंटी दें तो हम तैयार हैं। …(व्यवधान) सदन ठीक तरह से चले, वे अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए आप गारंटी देंगे क्या? …(व्यवधान) उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार को कोई प्रॉबलम नहीं है। If they meet the hon. Speaker and say that they will support the hon. Speaker in running the House properly, we have no problem.

HON. SPEAKER: They have not given anything.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: How can these people criticize the Government and then give slogans? It is unfair. They are giving slogans outside, giving slogans inside also. I appeal to them to go and persuade their Congress friends to give an assurance that they will cooperate in running the House. Then, definitely, we can take it back.… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठिये। यह पद्धति नहीं है। आप कोई रिजॉल्यूशन लाएँ, कोई बात लिखकर दे दें। चिल्लाने से ही बात नहीं बनती है। Shri Karunakaran, you know better. I will allow you to raise it. मगर इस तरीके से काम नहीं होता है। I will allow you to raise it in the Zero Hour but not now. You have not given any notice. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

**11.06 hrs**

*At this stagem Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati Kavitha Kalvakuntla.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Madam, there are five Commodity Boards in our country: Tea Board, Coffee Board, Tobacco Board, Rubber Board and Spices Board. We all know that spices export is the highest and it is almost about 0.78 per cent of our trade.… (*Interruptions*) There is a huge importance given to the Coffee Board and Tea Board but very little importance is given to the Spices Board.… (*Interruptions*)

**11.06 hrs**

*S/Shri Dharmendra Yadav, Jai Prakash Narayan Yadav, M.B. Rajesh and some other hon. Members then left the House*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Speaker, the slogans given from the House should not go on record. They were giving slogans in the Well of the House. I have to put the record straight. They were expressing solidarity outside and giving slogans. I am happy that they have understood the public opinion, came to the House. They have got every right to come and raise the issue. They raised an issue. I politely responded to them by saying that Government is also keen that the hon. Members, who have been suspended, have to come back to the House but the only way is at least some of them should meet the hon. Speaker, they should

assure the hon. Speaker that they will cooperate in the proper conduct of the House. The Government said it.… (*Interruptions*)

We are willing to move a Motion for withdrawing the suspension. That is the practice because, the hon. Speaker can only name. Afterwards, the House has to decide. On behalf of the House, I am politely submitting to the House that Government is willing to take back the suspension and withdraw the suspension provided they give assurance to the hon. Speaker that they will cooperate in running the House properly. These friends from the Left have come to the House. The Samajwadi Party left the House. I am happy that they have given up the boycott of the House. By giving slogans outside and making comments, burning the effigies or criticizing the hon. Speaker, nothing is going to be achieved. I once again appeal to them in the larger interest of the country, in the larger interest of parliamentary democracy to come back, take part in the discussion and be partners in the development. That is my appeal to them. … (*Interruptions*)

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसे नहीं होता है। आप बैठिये। मैंने कहा है कि शून्य काल में आपको बोलने का समय दूँगी। आप बैठिये। It is all right.

… (*Interruptions*)

**11.08 hrs**

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 264,
Shrimati Kavitha Kalvakuntla.

**(Q. 264)**

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : Hon. Speaker, out of the spices, we know, turmeric is the third largest spice that is cultivated in our country. Telangana being the largest cultivator of turmeric, my constituency in particular, I am very closely associated with these farmers. I closely know and understand their issues. In particular, there is no Minimum Support Price that is fixed. So, usually it is the middlemen who get the benefit of the crop. Also, there is no research support at all given to them. Out of the turmeric produced, 10 per cent of our turmeric is only exported. There is no export infrastructure provided. To address all these issues, I believe that only creating a separate Commodity Board for turmeric is the solution. Time and again, in the last one year, I have taken up this issue with the hon. Minister both verbally and also in written communication. So, through the hon. Speaker, I want the hon. Minister to let this House know what steps she has taken to alleviate the problems of the turmeric farmers, what steps she has taken towards the creation of a Turmeric Board.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: This is a very relevant and important question because keeping the spirit of what the hon. Member has raised in the context of turmeric, we have actually reviewed the situation of 52 spices which are being dealt by the Spice Board. In order to promote each of the spice for its full potential, we have now decided that there will be 11 different Spice Development Agency areas where particular spices will be given focus, together with some other spices which are grown in that area.

For instance, I am taking the example of turmeric which the hon. Member has raised. I take particularly the Telangana area because it grows high quality turmeric and large quantities at that, which would be given priority. But at the

moment, the way in which the 11 different Spice Development Agencies are going to be focused on – Erode in Tamil Nadu will be focusing on turmeric, chilly, pepper, and so on. So, the idea of having this Spice Development Agencies working under the Spice Board but independently taking care of specific spices. We are able to focus on particular spices and through that - because it is chaired by the Chief Secretary of that State where it is located, together with members from other areas - we will be able to realign the resources which are given to the Spice Board, which is about Rs.95 crore annually, as an example, which will include all States.

Then, we will be able to also pool resources from the Ministry of Agriculture, the *Rashtriya Krishi Vigyan Yojana,* funds can also come through and MIDH, which is focusing on horticulture, will also be able to focus on spice which till now has been neglected. So, through this rearrangement, we are hoping to pay attention to many of the spices, which have not been fully utilized for their potential. We address that issue, at the moment.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Thank you for the answer about the Spice Development Agencies.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I may also add, the hon. Member has rightly raised the issue; she has contacted me several times, when she met me, and also written. I am glad to also recall that I have responded from June last year to every such correspondence because I do value the importance of turmeric in Telangana. In fact, she had suggested for setting up a Spice Park. I have responded by saying that we are looking at the potential and we shall respond the moment the land is allotted by the State Government.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: About the land, we have already written to you that 40 acres is given by the State Government. To that letter, Madam, you had replied saying that the hon. Finance Minister has set aside the ASIDE scheme. So, you cannot help us and now, the burden is on the State Government. Please use your good offices with Jaitley *ji* - वह एसाइड स्कीम हमारे पर

कर दीजिए, मैडम, क्योंकि - because last year I made a request and by the time the land was allocated by the State Government, यह स्कीम तो चली गई।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: On that specific question, ASIDE funds may have now been given to the States….

HON. SPEAKER: First let her complete the question.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: I would like to quote from the Foreign Trade Policy document of the Commerce Minister, which says, plantation products, especially spices and tea, being closely associated with Brand India, help to promote Indian cuisine, lifestyle, and exports and establish a personal recall value among consumers in general. *Haldi* is the best brand ambassador for India, that all of us know. माननीय सारे सांसदों को मालूम है कि हल्दी का महत्व क्या है, स्पेशली भाजपा का प्रिंसीपल जो है - with Indian heritage and culture, it goes very well. But then unfortunately, the kind of emphasis you give on the culture and heritage, the same impetus is not given for the turmeric production, or even the exports. Of late, Prime Minister *ji* had set up a Production & Export Development Agency for saffron which is produced very little in our country but whereas turmeric is also called as Indian saffron.

I request the hon. Minister to kindly do something about it. If not through the ASIDE scheme, at least if the Government could set up a production and export development agency there it would be appreciated. Related to that, there is also a serious query. Due to the Free Trade Agreement, now we are importing turmeric also. Unless and until we stop the import of turmeric, we cannot help our farmers. So, I request the Minister to kindly look into that.

मैडम, सरकार ने 'जले पर नमक छिड़कना' जैसा एक और काम कर दिया। हमें तो ए.एस.आई.डी.ई. (असाइड) स्कीम में पैसे नहीं दिए, लेकिन गुंटुर की जो स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी है, उसमें हमारे तेलंगाना के भी टरमैरिक प्रोडक्शन को मैनेज करने की अनुमति दे दी। That is what the Minister's letter says that till the date when the Government sets up a separate park, our Warangal Regional Office is not given the responsibility but the Guntur

Office is given the responsibility. So, I request the Minister to give the responsibility to the Warangal Regional Office.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the hon. Member has raised several issues. I would like to address them one-by-one.

I am grateful that the Member recognizes that the Government today gives a lot of priority to items which are specific to Indian traditional knowledge and so on. Taking the example of turmeric, I would like to tell her and assure the Member that as regards turmeric and the kind of intellectual property related matters, we have been very keen and recently you would have come to know through the media that we have won back-to-back cases related to turmeric IP protection and in that we have not lagged behind at all.

As regards the Spice Development Agency, taking the example of saffron, however small the quantum may be, having only a certain proportion of international trade, for Jammu and Kashmir saffron means a very significant contribution towards India's unique item for trade. On that we wanted to give the message and also work for the development of saffron and, therefore, that was specifically done. The SDA that she has referred to in the context of saffron is the kind of emphasis with which all other 11 Centres are being set up whether for turmeric or for other spices like *dhania, zeera*, mint and so on.

As regards the import of turmeric, agricultural products are normally taken care of. We do not allow imports. But at the same time, where it is not possible to curb it or we cannot completely restrict the import, we will certainly be keeping a watch on what quantum is being imported.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: The farmers are committing suicide because of import. The Government is not able to stop the rubber import also. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Whether import is the direct cause for the suicide, I am not able to establish. But I will certainly find out the details.

She has also raised the issue about ASIDE which I wanted to start answering with. Certainly the funds which were given to the Commerce Ministry for ASIDE are now sent to the States for them to deal with. That does not exclude the State's rights to utilize the funds which came from the Centre on ASIDE to promote the trade of turmeric or the export of turmeric and the Commerce Ministry has repeatedly assured that any technical assistance which we have to give, we are fully willing to give to the States where it is required. The fund of ASIDE going away does not mean that we do not have a role to play. We will certainly play our role.

As regards Guntur taking care of turmeric, I am sure turmeric is grown both in Andhra Pradesh and Telangana. Warangal also has a certain kind of chilly which is very unique because I am aware of Warangal's chilly. Both turmeric and chilly of Telangana will get the due attention.

The hon. Member has been speaking about the Spice Park which is different from the Spice Development Agency. We are giving full focus for the Spice Park. We shall help to create one there in Telangana. But that is after the State Government sends the due papers.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: At least our Chief Secretary should get a space in the SDA in Guntur. Otherwise, we will have no voice.

HON. SPEAKER: Shri Dhananjay Mahadik - Not present

SHRI DUSHYANT SINGH: Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to ask a supplementary question.

I want to bring to the attention of the hon. Minister, through you, that we had been allocated a Spice Park by the Commerce Ministry in Jhalawar-Baran in Rajasthan. But the then Congress Government in the State and the UPA Government at the Centre ensured through the Commerce Ministry that the Spice Park which was allocated to Jhalawar was sent to some other part of my State. The land for the Spice Park under SDA is still available in my district. If the State Government sends a request, will the hon. Minister give us the opportunity to have

a Spice Park for *dhania* and *lahsun* as we are the prime growers of *dhania* and *lahsun* in the region of Malwa from where you are also elected. So, I would like to have an assurance from the Minister, for Jhalawar, would we get a spice park or a help through the Minister at the Centre?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, if the proposal is sent from the State Government, the Ministry will certainly look into it.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): I very profusely thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity to speak for the first time in this temple of democracy of our motherland. Thank you very much.

I belong to Thalassery in Kerala, a land of spice. I am a frequent visitor to the United States, Canada and some other countries. I am proud to state that pepper from India is sold in US, Canada and Europe in the brand name of 'Tellicherry pepper', 'Malabar pepper', and cinnamon is sold like 'Tellicherry bark'. But the branding is done by them, not us. So, I would like to humbly request the hon. House to consider promoting the spices because there is a lot of demand for Indian spices. The American doctors are telling, "Come on; you consume turmeric, *jeera* and other spices to make it a way of life." We have made it a way of life. So, I would request the hon. Minister and every one of you to see that our spices can be promoted and sold in all places in the world and branding is to be done by the Indian producers. Thank you very much.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is a suggestion, Madam.

HON. SPEAKER: But that suggestion you have to note; that is the only thing.

SHRI G. HARI: Thank you, hon. Speaker Madam. In spite of the best efforts put by the hon. Minister, the exports witnessed a decline continuously for seven months. The hon. Minister is aware that spices and tea is an area in which India has an edge over others in terms of export. The hon. Minister has been making frequent visits to tea-gardens to remove the hurdles faced by them. The Government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has been supporting cultivation of spices and

tea. The State Government intervenes when there are no takers for the produce of spice cultivators. Again, spice is such an area which provides employment to rural masses. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering setting up Spice Board for each spice along the lines of Coir Board, Tea Board etc. to boost production and export of each spice. Thank you, Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, there are 52 spices which the Spice Board handles. In order that every spice gets enough attention and promotion, we have now taken the step of working under the Spice Board in 11 different regions so that they can be sub-grouped and they can refocus and sharp-focus on specific spices. It may probably not be possible to have 52 different Boards, but by regrouping under 11, we hope to give better focus.

**श्री दद्दन मिश्रा:** अध्यक्ष महोदया, हमारा देश प्राचीन काल से मसालों के उत्पादन में अग्रणी रहा है। यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ने मसालों के आयात-निर्यात के बहाने ही हमारे देश में प्रवेश किया था और कालान्तर में हमारे देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या कालान्तर में मसालों के उत्पादन में सरकारों की नीतियों की वजह से गिरावट आई है?

आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा देश भारतवर्ष पुनः विश्व गुरू बनने की दिशा में अग्रसर है। मसालों के उत्पादन में हमारा देश प्राचीन काल से अग्रणी रहा है। मसालों के उत्पादकों को संरक्षण, संवर्धन देकर, पुनः उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को दिलाने का क्या कोई प्रयास हो रहा है? इसके साथ ही साथ सरकार की इस तरह की भी कार्य योजना होनी चाहिए कि पुनः कोई ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के आयात-निर्यात के बहाने हमारे देश में इस तरह की हरकत न कर सके।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is certainly a spicy question, Madam Speaker, and a question which implies a lot about the history of India. But, today, we shall take our spices all over the world. Under the leadership of the hon. Prime Minister, we certainly have a lot of specific plans to promote the development and export of Indian spices all over the world. I can assure the hon. Member on it.

**(Q. 265)**

**श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:** अध्यक्ष महोदय, मैं जिस एफ.एम. टावर के बारे में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उस एफ.एम. टावर की वजह से ही आज देश के प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी ने एक नयी ऐतिहासिक पहल शुरू की है, 'मन की बात' कह कर आम आदमी को ऊर्जा और शक्ति देने की जो बात शुरू की है उसके लिए आज एफ.एम. टावर बहुत जरूरी हो गया है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो की डिमांड ज्यादा संख्या में बढ़ती जा रही है। न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि 'मन की बात' सुनने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने एफ.एम. टावर्स के आंकड़े दिये हैं लेकिन अभी राजस्थान प्रदेश को 50 प्रतिशत भी कवर नहीं किया गया है, उनके लिए आपने क्या मानदंड बनाये हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाये? उनके बारे में अभी भी सारी चीजें नहीं हो पायी हैं, उस हिसाब से बहुत सेा एरियाज वंचित है। अभी राजस्थान प्रदेश का 20 प्रतिशत क्षेत्र कवर होता है और 80 प्रतिशत क्षेत्र बाकी है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, उनको आप कितनी जल्दी पूरा करायेंगे?

**कर्नल राज्यवर्धन राठौर :** अध्यक्ष महोदय, एफ.एम. का एक्सपैंशन काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। वर्ष 1999 में जब एफ.एम शुरू हुआ था, तब 21 एफ.एम. स्टेशंस थे। वर्ष 2005 में जब फेज-टू पॉलिसी आयी, तब 222 एफ.एम. स्टेशंस थे और आज की तारीख में 243 एफ.एम. स्टेशंस हैं। अभी जब फेज-थ्री लॉज हो गया है तो 839 चैनल्स हो जायेंगे। भारत वर्ष का 40 प्रतिशत इलाका एफ.एम. से कवर है। अगले ढ़ाई साल के अंदर भारत का 60 प्रतिशत क्षेत्र एफ.एम. से कवर हो जायेगा।

**श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिये है, मैं उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन टोंक नवाबों की नगरी है, वह आज भी इससे वंचित है। अभी आपने उसके लिए तीन टावर्स प्रस्तावित किये हैं। उसके बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में आज भी चार बड़े-बड़े शहर ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे - गंगापुर सिटी, देवली, उनीयारा और टोडा रायसिंग। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो मापदंड निर्धारित किये हैं, टोंक में सवा डेढ़ लाख की जनसंख्या है, वहां पर आपने तीन टावर्स दिये हैं, बाकी एरियाज आज भी उनेसे वंचित है। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि एक टावर की रेंज 8-10 किलोमीटर की है। क्या टावर की रेंज बढ़ाने की कोई योजना है ताकि ज्यादा क्षेत्र कवर हों? टावर न बढ़े तो उनकी रेंज बढ़ाई जाये।

इसके साथ बी.एस.एन.एल के टावर्स के बारे में कहना चाहता हूं, हमें बी.एस.एन.एल के टेलीफोन दिए गये हैं। आज बी.एस.एन.एल टावर्स की यह हालत है कि कहीं वह काम करता है और कहीं वह काम नहीं करता है। अगर हम गाड़ी में बैठ कर किसी से बात करते हैं तो फोन तीन-चार बार कट जाता है, तब हम बात कर पाते हैं। मंत्री जी से यह निवेदन है कि उनकी रेंज बढ़ा दें और टोंक में जल्द से जल्द तीन टावर्स बना दें।

**माननीय अध्यक्ष :** उसका नवाबों की नगरी से कोई लेना-देना नहीं है।

…(व्यवधान)

**कर्नल राज्यवर्धन राठौर :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा-सा कंफ्यूजन है। ये तीन टावर्स नहीं बल्कि रेडियो के तीन स्टेशंस होंगे और ये प्राइवेट स्टेशंस होंगे। यह जो बी.एस.एन.एल. की बात कर रहे हैं, शायद वह रवि शंकर प्रसाद जी के मंत्रालय में आता है। हमारा रेडियस 50 किलोमीटर का है, यानि बहुत दूर-दराज इलाके तक सिंगनल जायेगा।

**माननीय अध्यक्ष :** अभिषेक बनर्जी, उपस्थित नहीं।

DR.K. KAMARAJ: Madam, in my Constituency Kallakurichi, there is no FM coverage within a radius of about 140 to 200 kilometres on either side. As per the criteria for establishing a FM station the cities or towns must be having the population of more than one lakh.

Due to this criteria, no FM station coverage is likely to come in my constituency. I would like to know from the hon. Minister whether he is going to take any initiative to establish All-India Radio station in my constituency to give coverage of FM to the people.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, I appreciate the concern of the hon. Member. There is a private FM Policy and there is also the policy for expanding All-India Radio FM stations. In the private stations, auctions will take place in cities which have a population of one lakh and above as per the 2001 Census. However, certain cities have also been included which have a population of one lakh and above as per the 2011 Census, and this list would be sent to the Cabinet for approval. We are quite certain that the Cabinet would look into it.

The All India Radio, on the other hand, not only takes into account the population of a city but also the areas where the medium wave and short wave signals are not reaching, which are dark zones or shadow areas. Yes, there is an opportunity for places like yours which might get considered if there not enough signal of medium wave and short wave reaching there

**श्री राहुल शेवाले:** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि देश में 378 शहरों से एफएम रेडियो कार्यशील है और उसकी पहुंच लगभग 45 प्रतिशत आबादी तक है। मेरा कहना है कि जैसे दूरदर्शन में अभी एक कृषि चैनल लॉन्च किया गया है, उसी तरह कृषि एफएम रेडियो चैनल को लॉन्च किया जाना चाहिए। इससे किसानों को कृषि संबंधी सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त होंगी और उन्हें अपने खेती के कार्य करने में सुविधा होगी। इससे एफएम रेडियो की पहुंच भी सौ प्रतिशत तक हो जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक कृषि एफएम चैनल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

**कर्नल राज्यवर्धन राठौर :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव कि कृषि के ऊपर कार्यक्रम होने चाहिए, यह अच्छा सुझाव है। इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए हमने कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया। कम्युनिटी रेडियो का एरिया 15 किलोमीटर होता है और उस इलाके के लिए और स्पैसीफिक हो सकता है। उसके अंदर कोई सीमा भी नहीं है कि हम कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स देंगे। हमारे पास जितनी ज्यादा ऐप्लीकेशन्स आएंगी, हम उसके जरिए उसे बढ़ावा देना चाहते हैं। हम कम्युनिटी रेडियो कृषि केन्द्रों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को देना चाहते हैं। हालांकि एफएम का और एक्सपैंशन हो रहा है और इस एक्सपैंशन के तहत जरूरी नहीं है कि हर जगह कोई रेडियो स्टेशन ही हो। हम बीएसएनएल के टावर्स के ऊपर एफएम ट्रांसमीटर्स लगाना चाहते हैं ताकि विविद भारती का कम से कम रिले होता रहे।

**श्रीमती संतोष अहलावत :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि देश में निजी फ्रीक्वैंसी मॉड्यूल स्टेशन कहीं भी शुरू करने के लिए क्या अर्हताएं हैं? क्या कोई अर्हताएं तय की गई हैं? क्या ग्रामीण एरिया को भी इससे जोड़ने के लिए आगे कोई रणनीति बना रहे हैं ताकि किसानों और हमारे जो युवा पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके? आपने इसे शहरों में लगभग शुरू किया है, लेकिन इंटीरियर के ग्रामीण इलाके अभी इस सुविधा से वंचित हैं। क्या भविष्य के लिए ऐसी कोई रणनीति बनाई गई है? आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू कर रहे हैं तो कब तक यह योजना पूरी हो जाएगी? मेरे यहां सिर्फ एक सैंटर है। इसलिए मैं चाहती हूं कि देशभर में कहीं का भी ग्रामीण एरिया इसका लाभ उठा सके।

**कर्नल राज्यवर्धन राठौर :** अध्यक्ष महोदया, एफएम एक्सपैंशन की एक पॉलिसी है और हम फेज़वाइज़ उसका एक्सपैंशन कर रहे हैं। 1999 में यह मैट्रो सिटीज़ से शुरू हुआ था। अब धीरे-धीरे छोटे शहरों की तरफ जा रहा है। कम्युनिटी रेडियो का सवाल इस सवाल से हटकर है, लेकिन मैंने पिछली बार इसलिए जवाब दिया था क्योंकि किसानों का जिक्र हुआ था। कम्युनिटी रेडियो आप अभी भी ले सकती हैं। उसकी बड़ी सिम्पल गाइडलाइन्स हैं। आप मिलेंगी तो मैं ऑफिस में बता दूंगा।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Madam Speaker, I represent Sambalpur Parliamentary constituency of Odisha. FM Radio Station has been installed there seven years ago. I would like to know from the hon. Minister whether that FM Radio Station is functioning or not. I have visited that place. That Radio Station is not functioning till today. That is my first question.

The other point is that the hon. Minister has categorically said that 200 FM Radio Stations are there in the country. How many of them are functioning now?

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, as on date, 243 FM radio stations are functioning, out of which and apart from which, 378 FM stations are purely of the All India Radio. माननीय सदस्य ने जिन स्टेशनों का जिक्र किया है, मेरी जानकारी के अनुसार वह फंक्शन कर रहा है, हालांकि उसके अंदर कोई पेचीदगी है या उसमें कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसे मैं स्पेशिफिकली एड्रेस कर दूंगा।

**(Q. 265A)**

SHRI JAYADEV GALLA: Madam, Maggi noodles is a product manufactured by Nestle, which is a Swiss company and is the world's largest food manufacturing company.

Nine variants of Maggi were banned by the FSSAI on June 6, 2015 citing excessive lead and MSG. The lead contained in Maggi was as much as 15 to 20 parts per million in UP; 10 to 15 parts per million in Maharashtra; and five to 10 parts per million in Gujarat whereas the permissible limit is 0.1 to 2 parts per million. There is a large variation in the results of these tests whereas the tests conducted in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand showed that the lead was under limits. There is an article also with the headline –"Food-testing laboratories cry for revamp.'

Madam, my question to the hon. Minister is this. Is it true that there is no standard protocol for testing of various food processing items in the country and there are different protocols in different States? That Maggi has passed the tests in some but failed in other States. That the same made in India Maggi noodles have passed the tests in Singapore and continue to be sold there. What is being done to ensure that the labs are uniformly equipped and the standard procedures are followed by all the States?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam Speaker, first of all, I would like to make it very clear that the tests, which have been done in our labs, all uniform protocols have been followed; and the protocols have been followed according to the protocols prescribed by the Nestle themselves. So, those protocols have been followed.

Out of 78, let me state that 30 were found to be having excessive lead. The other was for the MSG. There are products, which were found in the labs, with more than the permissible limit of 2.5 ppm of lead as they were exceeding this level of 2.5 ppm. In many States like in Delhi, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Tamil Nadu, the products were tested; and

according to the tests it was found that the lead limit was much more than the permissible limit of 2.5 parts per million. It was because of that it was asked to be recalled.

As far as the labs are concerned, there are 166 labs; 12 labs are referral labs; 72 labs are State labs; and private NABL accredited labs are 82. All these labs have got enough facilities. We are also working on to see to it to strengthen these labs. But that does not mean that the answer and the results, which have come, are under question. Although this issue is with the Mumbai High Court and it is *sub-judice*, yet there also, even Nestle has not questioned the facilities of the testing and the results, which have come out of those tests.

SHRI JAYADEV GALLA: Madam, before I ask my second Supplementary, the hon. Minister has not answered why there is such a large variation in the testing process.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: There is no variation in the testing process. There is variation in the results and it is because of the Maggi product. We are not going to add lead on our own. If a product has got lead, say, 17.5 ppm, we will say that it contains 17.5 ppm. If a product, which is a different product with different batch, has got a lead of the level of 6 ppm or 5 ppm or 3 ppm, our labs have said it to be 6 ppm or 5ppm or 3 ppm only. There are States, where no tests failed. Like in Kerala, no tests failed. In Goa also, the tests did not fail. So, about these States, we have come out with a very correct result; and we have said that those lead particles ppm has not failed and it is within the limits.

HON. SPEAKER: Now it will be your third supplementary otherwise.

SHRI JAYADEV GALLA: As per ASSOCHAM, Rs.90,000 crore worth of investment proposals are there in food related projects. FDI in food processing has gone up from 70 million dollars in 2007-08 to 402 million dollars in 2012-13. What is being done to restore confidence in the potential investors into this very important sector which provides so much employment and is extremely important to improve the economic health of our farmers?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, I would like to assure that as far as food safety and security is concerned, there will be no compromise and we will see to it that the food safety standards are maintained accordingly. But at the same time the growth of industry also will be taken into consideration and for that we are in regular contact with the Ministry of Food Processing from time to time and we have seen to it that how their cooperation can come in.

But I would also like to make it very clear that when we told them to withdraw, we also gave them a notice that within 15 days they should give an answer why their products should not be withdrawn and that they should also give the reasons for it. Till today there is no answer which has come out. So, cooperation from both sides should be there. We are asking for reasons. If M/s Nestle gives the reasons, we are going to take it into consideration. But now that the matter is *sub judice,* I would not like to enlighten much on it. But the thing is that we want to ensure that food safety standards are not to be compromised. This is number one. Second, we are all there to see to it that the growth of industry takes place and the regulations should be such which should be self-regulatory.

HON. SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan – Not present.

**डॉ. संजय जायसवाल :** अध्यक्ष महोदया, चाहे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फूड एडल्टरैशन एक्ट हो, यह बिल्कुल टूथलैस टाइगर है। खुद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया और केवल विदड्रा कर लिया गया। क्या यह कार्रवाई सफिशिएंट है? अगर लेड एक बार किसी मनुष्य के शरीर में चला जाता है, तो वह पूरी जिंदगी रहता है और उसका कान्सन्ट्रेशन बढ़ता जाता है। मनुष्य के शरीर में उसका इफेक्ट छः महीने, एक साल या दस साल बाद भी होता है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न है कि इसी तरह से ऑक्सीटोसिन, जो लैक्टैटिंग मदर का एक फीमेल हार्मोन है, वह गायों में दिया जाता है। कद्दू में देकर उसे 48 घंटे में बड़ा किया जाता है। बच्चियों में पहले मॉनार्की की ऐज तेरह से चौदह 14 होती थी, लेकिन वह आज नौ से दस साल पर चली गयी है। जब बच्चियों समझने लायक भी नहीं होती हैं, उस समय उनमें मेन्सीज़ साइकल स्टार्ट हो जाता है और इसे कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा खाना खा रही हैं, इसलिए हो रहा है। जबकि इस देश में वन थर्ड बच्चियां

कुपोषण का शिकार हैं, इसलिए इस तरह से कहना कि खाने के चलते हो रहा है, तो यह सरासर गलत है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बच्चियों और ऐडोलसेन्ट गर्ल्स पर बेड इफैक्ट है, क्या उसकी कोई स्टडी हैल्थ मिनिस्ट्री ने करायी है? अगर करायी है तो उसका क्या नतीजा निकला है? मेरा यह भी अनुरोध होगा कि मैगी में भी सजा मिलनी चाहिए और इस तरह से हमारे देश के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा :** अध्यक्ष महोदया, जहां तक एफएसएसएआई का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि it is a toothless organization. मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हम नियमों के तहत कार्य करते हैं और मैने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यह हमारी जिम्मेदारी है।

जहां तक प्रश्न का उत्तर नहीं देने की बात है, तो उसमें मुम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रौसैस को रोक दिया जाये। लेकिन हमारी तरफ से नोटिस जारी है। इसीलिए अभी भी मैगी ऑफ शेल्फ है, लेकिन मेरा फिर कहना है कि हमारे क्वश्चेन का आंसर दिया जाये, उसे चेंज किया जाये और उसमें से सही ब्रांड आये, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन the FSSAI has got enough tooth to see to it that action is taken accordingly.

जहां तक इन्होंने ऑक्सीटोसिन का सवाल कहा है, तो इस पर ऐसी कोई स्टडी नहीं है। इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, उसे मैं जरूर एग्जामिन करवाऊंगा।

**श्री दुष्यंत चौटाला:** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने पहले अपने जवाब में कहा कि हमारे देश में 72 स्टेट लैब्स और 68 प्राइवेट लैब्स हैं। अगर इन्हें देश के 660 जिलों में डिवाइड करें तो हमारे पास लगभग 23 से 24 लाख की जनसंख्या में एक फूड टैस्टिंग लैब है। हरियाणा राज्य में फूड टैस्टिंग लैब एक चंडीगढ़ में है और एक करनाल में है। एक लैब पर लगभग 10 से 11 जिलों का भार होता है। क्या केंद्र सरकार कोई नई पालिसी लेकर आ रही है जिसके तहत फूड टैस्टिंग लैब को प्रत्येक जिले में पहुंचाया जा सके?

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की प्रियारिटी का विषय फूड टैस्टिंग लैब्रोटरी है। हम इस मामले में लैब्स को स्ट्रैंथन करेंगे और इनकी संख्या बढ़ाएंगे। यह अंडर कंसीडरेशन है और हम इसे जरूर आगे बढ़ाएंगे।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam, I thank you for giving me this opportunity to ask a supplementary.

I thank the hon. Minister for having given a very comprehensive answer, but there are two aspects that need further answer. It had been reported in the media that these batches, which were found unsuitable in India, had been allowed

to be exported, I believe, perhaps by the court. He should shed some light. Is it that those countries had a different standard for lead or was there some lacuna in the process of banning them in India?

The other aspect that I would like the hon. Minister to answer is that there are many other such reported problems. We have heard about milk being adulterated with detergent right here in Delhi. It is not limited only to big companies. There are so many allegations of, for example, chilly power being adulterated with red colour which is not approved. That is in the small scale sector. We have the conflicting interest of developing food processing industry along with the safety of our people. Apart from increasing the number of labs, is the hon. Minister proposing to set up any procedures so that there is more energetic implementation of the rules to ensure that such adulteration and such products do not come into the market?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I thank the hon. Member. He has asked very relevant questions.

As far as he has asked whether the products, which are being exported, are having different protocols or not, I may tell that the product of the Nestle company has been examined on the very protocol given by them. As far as the protocols being followed in England or Singapore are concerned, we have asked for what protocols they have followed. Till now, we have got no information. They have not shared it with us. But I would like to tell you that most of the export is done from Goa. And, in our results also, the samples of Goa have not failed. So, there are products which have crossed ppm level and there are products which are very much within the limit. In Kerala, they have passed the test. It is there. So, there are units which are having good brand, but at the same time, there are units which are not having the specification levels.

As far as milk is concerned, we are also concerned about it. We are examining and seeing to it that we will have to make laws more stringent and we are working on that.

**(Q. 266)**

**माननीय अध्यक्ष :** क्या आपकी यही सीट है?

**डॉ. सुभाष रामराव भामरे:** मेरी सीट यह नहीं है, मैं खंबा पीड़ित सांसद हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** हमने उनके लिए भी व्यवस्था की है।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, companies like SAIL, Tata Steel and JSW Steel illegal extracted minerals like iron-ore and manganese worth Rs. 14,541 crore. These were the findings of Justice M.B. Shaw Commission Report. The Commission had recommended for the amount to be recovered from these companies under Mineral and Mines (Regulation and Development) Act. Through you, I would like to ask the hon. Minister what action was taken against these companies and whether the money has been recovered from them.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I am not sure if this specific question relates to my Ministry about action to be taken on erring companies because we have also heard from the Finance Ministry that there are cases which have been detected as regards evasion of tax and the not so estimated remittances which have not been brought into the country and so on.

As regards illegal mining, it is under the MMDR Act and that pertains to the Ministry of Mines. So, this Question may not pertain to me.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to ask the hon. Minister that in her answer she has mentioned that at present there is no proposal to review the existing EXIM policy. When was the last time that the EXIM policy was formulated? Why there is no need to review this policy looking at the changing global scenario?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the minerals and metal exports are also part of the Foreign Trade Policy. The EXIM means export / import policy, which obviously gets covered under the Foreign Trade Policy, which Commerce Ministry has released on 1 April 2015 for the years 2015 to 2020. Chapters 25, 26 and 27 relate and deal with export of minerals. So, if the hon. Member has

suggested review, why not review and so on, after review the new policy has been announced and in that following the Supreme Court order and guidelines whatever export promotion should be done we will certainly be helping to do it. The earlier policy related to 2009 – 2014, after a year's gap the 2015 policy that will last till 2020 has been announced and technically there is no change in the policy as regards export of iron ore.

**श्री ओम प्रकाश यादव:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज जबकि यूरोप, चीन तथा अन्य देश जो प्रमुख आयात देश हैं, मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा कौन कौन से नये देशों से संबंध स्थापित किये जा रहे हैं जिससे निर्यात में हो रही कमियों को पूरा किया जा सके?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the situation of lack of demand just does not only affect iron ore or any other mineral or specific metals. It has, in a way, affected export as a whole in the broad sense. The Commerce Ministry is certainly working with the industry groups and the exporters to find out what best can be done in order to keep the export buoyancy up. This relates also to the export of minerals, and the fall in demand is very well taken cognizance of and we are working with the industry. I can only say that we are working towards encouraging further exports.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Thank you, Madam. My Question is related to conflict minerals. In certain regions, certain minerals are extracted and mined at a very high social cost; they affect the local culture; and impact internal security. Firstly, has the Government recognized and classified any such minerals as conflict minerals, particularly, monitoring the import and export of these minerals? Secondly, what steps it has taken to ensure governance in the field of mining in this area, and ensure responsible sourcing and extraction in these particular minerals in these particular areas? Thank you, Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, as regards what the hon. Member calls as conflict minerals, there is no particular information with me nor

is there any particular effort by the Government to take a list of such minerals. At the moment, there is nothing that we are doing towards reviewing it.

**श्री रत्न लाल कटारिया:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि क्रूड ऑयल और इलैक्ट्रॉनिक गुड्स के इम्पोर्ट के परिणामस्वरूप भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ा है? क्या सरकार इंवेस्टर्स को कोई राहत देने जा रही है जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में भारत को जो घाटा हुआ है, इसकी भरपाई हो सके और हम अपने एक्सपोर्ट को दूसरे देशों में और बढ़ा सकें? क्या इस बारे में सरकार ने कोई नीति बनाई है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, although the Question is very critical and important, it does not pertain to the core issue of the Question on which we are discussing at the moment.

HON. SPEAKER: Right.

**(Q. 267)**

**श्री राजेश रंजन:** माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, वह अपने आप में सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है गुजरात एवं राजस्थान से यह बीमारी शुरु हुई है और लगातार देश के कई राज्यों में यह बीमारी बढ़ती चली गई है। आप कह रहे हैं कि बीमारियों की रोकथाम के लिए हम प्रमुख चीजें करते जा रहे हैं और आपका मंत्रालय लगातार निशुल्क सेवा के साथ साथ जो चीज आपने उसमें लिखी हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज आपने यह भी लिखी है कि मौतें सहरुग्णता की दशा में, उसमें नैदानिक प्रबंधन तथा वैंटीलेटर भी दिया है और मरीजों की प्रतिरक्षण क्षमता की कमी के कारण' का भी जिक्र किया है। मौते सहरुग्णता की दशा और मरीजों की प्रतिरक्षण क्षमता में कमी का जो आपने जिक्र किया है, इसमें 92 प्रतिशत वो लोग हैं जो समाज के आर्थिक रूप से जरुरतमंद इंसान हैं, गरीब हैं, समाज के कमजोर लोग हैं, क्या आपने इस दिशा में कोई पहल की है?

दूसरे, नैदानिक प्रबंधन और वेंटीलेटर की बात आपने कही है। आपने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है कि ऐसे राज्यों में इसकी क्या स्थिति है? वेंटीलेटर हैं या नहीं हैं? ये बीमारी आगे न बढ़ें, इसके लिए आपके पास कोई रास्ता है कि नहीं क्योंकि लगातार यह बीमारी अन्य राज्यों में बढ़ती जाएगी और हम सिर्फ जवाब देते जाएंगे क्योंकि इस बीमारी से ज्यादातर गरीब लोग ही प्रभावित होते हैं।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा :** माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात यह है कि यह बीमारी कोई राजस्थान और गुजरात से शुरु नहीं हुई है। यह एक वायरस है और यह एच वन एन वन है और यह सब जगह विद्यमान है। यह वायरस सारी दुनिया और सारे देशों में विद्यमान है। जब चेंज ऑफ सीजन और मौसम में बदलाव आता है तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस समय इसके पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, जैसे जब विंटर आएगा तो यह वायरस एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरह से वैसे ही मानसून आया है तो मानसून की दृष्टि से यह वायरस एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए स्थान से इसका कुछ संबंध नहीं है क्योंकि यह वातावरण में है तो यह कहीं भी एक्टिवेट हो सकता है।

जहां तक इन्होंने गरीबी की रेखा की बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि उस दृष्टि से हमारी जो व्यवस्था है, वह सबके लिए है और सबके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। सबसे पहले हमने सभी राज्यों को पहले तो प्रोटोकोल समझाया है। उनको ट्रेनिंग दी है। उसका प्रोटोकोल मैनेजमेंट बताया है कि किसको दवा चाहिए, किसको दवा नहीं चाहिए, किसको कितनी डोज की दवा चाहिए, यह सारा प्रोटोकोल होता है। हैल्थ वर्कर्स को एडवाइजरी दी गई है कि वह अपने आप को पहले इम्युनाइज करवाएं। जनरल पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। उनको दवाई और कैप्सूल देना है। वह भी किसको देना है, वह भी

प्रोटोकोल में मेंशन्ड है। सारी व्यवस्था की दृष्टि से आज सभी राज्यों के पास पूरी दवाएं हैं और दवाओं के साथ पर्सनल प्रोटैक्शन ईक्विपमेंट्स हैं। उसी तरीके से मास्क 95 है। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ सभी राज्यों के पास हमने ये सारी व्यवस्था की है।

हमारे टैक्नीकल स्टॉफ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन सारे राज्यों में जहां जहां इसका प्रकोप ज्यादा था, वहां वहां पर हम लोगों ने अपनी टीम को भेजकर प्रोटोकोल मैनेजमेंट को असैस भी किया है। आज भी हमारे पास यहां भी स्टॉक है और रीसेंटली जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, वे केरल में और महाराष्ट्र में खासकर मुम्बई में इसका इरप्शन हुआ है। हमने दोनों ही सैक्रेटरीज से बातचीत की है। उनके लोगों से बातचीत की है। उनके पास पर्याप्त दवाएं हैं। हमने फिर भी कहा है कि कोई दवा या कोई टैक्नीकल असिस्टेंस चाहिए तो वह हम देने के लिए तैयार हैं।

**12.00 hrs**

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने निशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराए जाने का जिक्र किया है। दूसरी बात सरकार द्वारा महामारी एवं प्राकृतिक आपदा में मदद के बारे में कही है। बाढ़, तूफान, भूकम्प या साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते लगातार हर साल मुजफ्फरपुर में संक्रमण बीमारी से लोगों की मौत होती है और 99.2 प्रतिशत गरीब बच्चे सैकड़ों की तादाद में मरते हैं। मंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन भी राज्यों में प्राकृतिक आपदा आती है, उन राज्यों में क्या आप नए एम्स खोलने जा रहे हैं क्योंकि आपने लिखा है कि हम लगातार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क की स्थापना, स्वास्थ्य अनुसंधान का काम कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से उन राज्यों में नए एम्स या स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान खोलने की व्यवस्था खास तौर पर बिहार में जहां बाढ़ की अत्यधिक स्थिति खराब है वह कोसी है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, वहां नए एम्स या अनुसंधान संस्थान खोलने की कोई योजना सरकार की है ताकि प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को उचित मदद दी जा सके?

**श्री जगत प्रकाश नड्डा :** जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है हमने कहा है कि एच-1, एन-1 कहीं भी हो सकता है और उसके लिए समुचित व्यवस्था केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों से बातचीत करके की है। एम्स का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार के लिए एक एम्स दिया हुआ है और एक एम्स की बात भी हुई है लेकिन उस एम्स के लिए बिहार सरकार से हमारे पास अभी तक जवाब नहीं आया है। जब बिहार सरकार से हमें उत्तर आ जाएगा तो हम बिहार में एम्स खोल देंगे। हम अपनी तरफ से बिहार में एम्स खोलने के लिए तैयार हैं।

**<u>12.02 hrs</u>**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Competition Commission of India (Salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Amendment Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.458(E) in Gazette of India dated 5th June, 2015 under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002, as amended by Competition Act (Amendment) Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 2983/16/15 ]

(2) A copy of the Award of Board of Arbitration in CA Reference Case No. 1 of 1988 (Hindi and English versions) regarding payment of Conveyance Allowance of Rs. 30/- per month to non-gazetted Central Government employees-Decision on the rejection of the Award of the Board of Arbitration.

[Placed in Library, See No. LT 2984/16/15 ]

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. 44/2015-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 7th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to impose basic customs duty of 10 per cent on wheat till 31st March, 2016 under Section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 2983A/16/15 ]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling)(Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 1-83L/SOL./Noti./FSSAI-2012 in Gazette of India dated 18th February, 2015 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 2985/16/15 ]

(2) A copy of the Revised BDS Course (7th Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. DE-87(1)-2015 in weekly Gazette of India dated 29th May, 2014 under sub-section (4) of Section 20 of the Dentists Act, 1948.

[Placed in Library, See No. LT 2986/16/15 ]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Limited and the Ministry of AYUSH for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2987/16/15 ]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Foreign Trade (Regulation) (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 300(E) in Gazette of India dated 17th April, 2015 under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 2988/16/15 ]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on Trend and Progress of Housing in India-2014.

[Placed in Library, See No. LT 2989/16/15]

(2) A copy of the 45th Valuation Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 2990/16/15]

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2991/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 2992/16/15]

(5) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2015 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Sarva UP Gramin Bank, Meerut

[Placed in Library, See No. LT 2993/16/15]

(ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur

[Placed in Library, See No. LT 2994/16/15]

(iii) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chindwara

[Placed in Library, See No. LT 2995/16/15]

(iv) Baroda Gujarat Gramin Bank, Bharuch

[Placed in Library, See No. LT 2996/16/15]

(v) Jharkhand Gramin Bank, Ranchi

[Placed in Library, See No. LT 2997/16/15]

(vi) Punjab Gramin Bank, Ferozepur

[Placed in Library, See No. LT 2998/16/15]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) S.O. 892(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2015, together with an explanatory memorandum notifying Income computation and disclosure standards on ten issues under Section 145(2) of the Income Tax Act, 1961.

(ii) S.O. 758(E) published in Gazette of India dated 14th March, 2015, together with an explanatory memorandum amending Rule 10F, 10H, 10I, 10K, 10M, 10R and insertion of Rule 10MA &10RA, insertion of Form No. 3 CEDA of the Income-tax Rules, 1962.

(iii) The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 1002(E) in Gazette of India dated 13th April, 2015, together with an explanatory memorandum.

(iv) The Income-tax (7th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O.1014(E) in Gazette of India dated 15th April, 2015, together with an explanatory memorandum.

(v) The Income-tax (9th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 1683(E) in Gazette of India dated 24th June, 2015, together with an explanatory memorandum.

(vi) The Income-tax (4th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 915(E) in Gazette of India dated 1st April, 2015, together with an explanatory memorandum.

(vii) The Income-tax (5th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 995(E) in Gazette of India dated 10th April, 2015, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 2999/16/15]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) The Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account) (Second Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 283(E) in Gazette of India dated 13th April, 2015.

(ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 284(E) in Gazette of India dated 13th April, 2015.

(iii) The Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 326(E) in Gazette of India dated 28th April, 2015.

(iv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 484(E) in Gazette of India dated 11th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3000/16/15]

(8) A copy of the Notification No. G.S.R.434(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th May, 2015 making certain amendments in Notification No. G.S.R.48(E) dated 18th January, 2002 issued under sub-section

(2) of Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

[Placed in Library, See No. LT 3001/16/15]

(9) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/002 in Gazette of India dated 21st April, 2015 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 3002/16/15]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:-

(i) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2014 published in Notification No. S.O.42(E) in Gazette of India dated 6th January, 2015.

(ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2014 published in Notification No. S.O.43(E) in Gazette of India dated 6th January, 2015.

(iii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2015 published in Notification No. S.O.1836(E) in Gazette of India dated 8th July, 2015.

(iv) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2015 published in Notification No. S.O.1837(E) in Gazette of India dated 8th July, 2015.

(v) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2015 published in Notification No. S.O.348(E) in Gazette of India dated 4th February, 2015.

(vi) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2015 published in Notification No. S.O.349(E) in Gazette of India dated 4th February, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3003/16/15]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:-

(i) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Fourth Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 500(E) in Gazette of India dated 17th June, 2015, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Third Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 359(E) in Gazette of India dated 5th May, 2015, together with an explanatory memorandum.

(iii) S.O. 1181(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2015, together with an explanatory memorandum notifying six narcotic drugs as essential narcotic drugs.

[Placed in Library, See No. LT 3004/16/15]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.293(E) published in Gazette of India dated 16th April, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Acetone', originating in, or exported from Chinese Taipei and Saudi Arabia for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(ii) G.S.R.301(E) published in Gazette of India dated 17th April, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty levied therein on imports of "Phenol", originating in, or exported from, Thailand and Japan, for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 18th April, 2016, pending outcome of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(iii) G.S.R.350(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty levied therein on imports of "Polytetrafluoroethylene (PTFE)", originating in, or exported from Russia, for a further period of one year i.e. up to and inclusive of 2nd May, 2016, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(iv) G.S.R.392(E) published in Gazette of India dated 18th May, 2015 together with an explanatory memorandum withdrawing levy of anti-dumping duty on imports of morpholine, originating in or exported from the United States of America and to continue levy of anti-dumping duty on imports of morpholine, originating in or exported from the People's Republic of China and European Union up to the 19th September, 2016, pursuant to the final findings in Mid Term Review conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(v) G.S.R.409(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Sodium Citrate', originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-

dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(vi) G.S.R.413(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Pentaerythritol', originating in, or exported from Russia for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(vii) G.S.R.414(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches", originating in, or exported from People's Republic of China, Republic of Korea and Thailand, for a period of five years, from the date of imposition of provisional anti-dumping duty, that is, the 11th April, 2014 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(viii) G.S.R.415(E) published in Gazette of India dated 27th May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "USB Flash Drivers including products known in the market parlance by various other names such as pen drive, keychain drives, key drives USB sticks, flash sticks, jump sticks, USB keys or memory keys" originating in, or exported from the People's Republic of China and Chinese Taipei for a period of five years from the date of imposition, that is 22nd May, 2015 pursuant to the final findings of investigations

conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(ix) G.S.R.429(E) published in Gazette of India dated 27th May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Purified Terephthalic Acid (PTA), including its various Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA)', originating in, or exported from Korea RP and Thailand, for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 25th July, 2014 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(x) G.S.R.437(E) published in Gazette of India dated 29th May, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Electronic Calculators of all types [excluding calculators with attached printers, commonly referred to as printing calculators; calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as graphing calculators and programmable calculators]" originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years from the date of imposition, that is, 29th May, 2015 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xi) G.S.R.443(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty levied therein on imports of "Poly Vinyl Chloride Paste Resin", originating in, or exported from, Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand and Russia, for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 25th July, 2016, pending

outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xii) G.S.R.444(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty levied therein on imports of "Poly Vinyl Chloride Paste Resin", originating in, or exported from, the European Union, for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 24th June, 2016, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xiii) G.S.R.445(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Acrylic Fibre', originating in, or exported from Korea RP and Thailand, for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xiv) G.S.R.462(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of ASTM Grade 304 with all its variants" as specified in the notification, originating in or exported from People's Republic of China, Republic of Korea and Malaysia, for a period of five years, pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xv) G.S.R.473(E) published in Gazette of India dated 10th June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Vitamin E in all

forms excluding natural form', originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xvi) G.S.R.489(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Nylon Tyre Cord Fabric', originating in, or exported from the people's Republic of China for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xvii) G.S.R.377(E) published in Gazette of India dated 8th May, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the notifications, mentioned therein.

(xviii) G.S.R.549(E) published in Gazette of India dated 9th July, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'steel measuring tapes and fibre glass measuring tapes and their parts and components, originating in, or exported from People's Republic of China for a period of five years from the date of imposition i.e. 9th July, 2015 pursuant to the final findings of Sunset Review Investigation conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xix) G.S.R.552(E) published in Gazette of India dated 10th July, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Phenol', originating in, or exported from South Africa for a period of five years pursuant to the final findings of Sunset Reviewinvestigations

conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xx) G.S.R.554(E) published in Gazette of India dated 13th July, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Glass Fibre and articles thereof, originating in, or exported from China PR for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 13th July, 2016, pending outcome of sunset review investigations, being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

[Placed in Library, See No. LT 3005/16/15]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.237(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2011-Cus., dated 29th July, 2011.

(ii) G.S.R.338(E) published in Gazette of India dated 30th April , 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.339(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated 23rd July, 1996.

(iv) G.S.R.340(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.

(v) G.S.R.370(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(vi) G.S.R.433(E) published in Gazette of India dated 28th May, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(vii) G.S.R.455(E) published in Gazette of India dated 4th June, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 60/2011-Cus., dated 14th July, 2011.

(viii) G.S.R.474(E) published in Gazette of India dated 10th June, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to exempt Basic Customs duty as well as Additional Duties of Customs leviable on drgus, diagnostics and equipments required for the National AIDS Control Programme funded by the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria and the exemption is valid upto 31st March, 2016.

(ix) G.S.R.499(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(x) S.O.756(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xi) S.O.794(E) published in Gazette of India dated 18th March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 28/2015-Cus.(N.T.), dated 5th March, 2015.

(xii) S.O.802(E) published in Gazette of India dated 19th March, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xiii) S.O.832(E) published in Gazette of India dated 25th March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 32/2015-Cus.(N.T.), dated 19th March, 2015.

(xiv) S.O.889(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xv) S.O.916(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xvi) S.O.1016(E) published in Gazette of India dated 15th April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xvii) S.O.1028(E) published in Gazette of India dated 16th April, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xviii) S.O.1144(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 38/2015-Cus.(N.T.), dated 16th April, 2015.

(xix) S.O.1145(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xx) S.O.1182(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 38/2015-Cus.(N.T.), dated 16th April, 2015.

(xxi) S.O.1222(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxii) S.O.1303(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xxiii) S.O.1366(E) published in Gazette of India dated 21st May, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxiv) S.O. 1437(E) published in Gazette of India dated 29th May, 2015, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xxv) S.O.1470(E) published in Gazette of India dated 4th June, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxvi) S.O.1570(E) published in Gazette of India dated 15th June, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xxvii) G.S.R.1781(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

[Placed in Library, See No. LT 3006/16/15]

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R.348(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.

(ii) G.S.R.397(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 26/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.

(iii) G.S.R.398(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, seeking to enforce certain provisions of the Finance Act, 2015, with effect from 1st June, 2015.

(iv) G.S.R.399(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, seeking to enforce certain provisions of the notification No. 05/2015 – Service Tax, dated the 1st March, 2015, with effect from 1st June, 2015.

(v) G.S.R.400(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, seeking to enforce certain provisions of the notification No. 06/2015 – Service Tax, dated the 1st March, 2015, with effect from 1st June, 2015.

(vi) G.S.R.401(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, seeking to exempt certain services under Power System Development Fund (PSDF) Scheme of Ministry of Power.

[Placed in Library, See No. LT 3007/16/15]

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.341(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the notifications, mentioned therein.

(ii) G.S.R.342(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.343(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 16/2010-C.E. dated 27th February, 2010.

(iv) G.S.R.344(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 14/2015-C.E. dated 1st March, 2015.

(v) G.S.R.345(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 15/2015-C.E. dated 1st March, 2015.

(vi) The CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.346(E) in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum.

(vii) The Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.347(E) in Gazette of India dated 30th April, 2015, together with an explanatory memorandum.

(viii) The CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.402(E) in Gazette of India dated 19th May, 2015, together with an explanatory memorandum.

(ix) G.S.R.403(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2014-C.E.(N.T.) dated 3rd March, 2014.

(x) G.S.R.416(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2005-C.E. dated 1st March, 2005.

(xi) G.S.R.432(E) published in Gazette of India dated 28th May, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(xii) G.S.R.456(E) published in Gazette of India dated 4th June, 2015 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(xiii) G.S.R.475(E) published in Gazette of India dated 10th June, 2015 together with an explanatory memorandum seeking to exempt Central Excise duty leviable on drugs, diagnostics and equipments required for the National AIDS Control Programme (NACP) funded by the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria (GFTAM), subject to the conditions prescribed therein. The exemption is valid upto 31st March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 3008/16/15]

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3009/16/15]

(17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowance payable to and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.269(E) in Gazette of India dated 4th April, 2014.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowance payable to and other Terms and Conditions of Service of

Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.274(E) in Gazette of India dated 7th April, 2014, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.580(E) (in Hindi version only) dated 24th July, 2015.

(18) Two Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 3010/16/15]

**12.03 hrs**

## STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
## Statements

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल):** अध्यक्ष जी, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के संबंधित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कायवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. 'वर्ष 2012-13 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
2. 'सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की महत्वपूर्ण समीक्षा विषय पर समिति (15वीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
3. 'वर्ष 2013-14 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

---

**12.03 ½ hrs**

## STANDING COMMITTEE ON INFFORMATION TECHNOLOGY
## 9th and 10th Reports

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2014-15):--

(1) Ninth Report on the subject 'Revival of Indian Telephone Industries (ITI) Limited', relating to the Ministry of

Communications and Information Technology (Department of Telecommunications).

(2) Tenth Report on the subject 'IT Induction and Modernization in the Department of Posts' relating to the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts).

---

**12.04 hrs**

**STATEMENTS BY MINISTERS**

**(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd and 5th Reports of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs respectively***

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance; and

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3011/16/15 and 3012/16/15 respectively.

**<u>12.04 ½ hrs</u>**

**(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Planning***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay astatement on the status of implementation of recommendations contained in the Twelfth Report of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) in pursuance of the Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha.

The Twelfth Report of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) relates to the examination of Demands for Grants of Ministry of Planning for the year 2015-16 was presented to Lok Sabha/laid on the Table of the Rajya Sabha on 24th April, 2015.

Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Twelfth Report of the Committee were sent by the Ministry of Planning to the Standing Committee on Finance on 22nd June, 2015.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee as indicated in the Annexure to my Statement is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3013/16/15

**12.05 hrs**

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 10th of August, will consist of:

(1) Consideration and passing of the following Bills:

(a) The Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015.

(b) The Bureau of Indian Standards Bill, 2015.

(2) Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Ordinance, 2015 (No. 5 of 2015) and consideration and passing of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015.

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषयों को शामिल करने की कृपा करें:-

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद चित्रकूट एवं बांदा में डकैतों के आतंक के कारण केन्द्र एवं राज्य योजनाएं व आगामी पंचायत चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों का स्कूलों से अपहरण हो रहा है। अस्तु, इसके निदान हेतु सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट एवं बांदा में सिंचाई प्रतिशत अति न्यून है एवं अधिकतर जमीन असिंसित है। अस्तु, वहाँ सिंचाई व्यवस्था हेतु विशेष पैकेज के तहत धन दिये जाने एवं कम से कम सौ ट्यूबवेल  सिंचाई हेतु देने के विषय में सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Speaker Madam, I hereby wish to raise the following matters when the hon. Minister of Parliamentary Affairs makes a statement regarding business for the next week:

(1) Need to provide 100 per cent financial support of Rs.2610 crore to the Government of Tamil Nadu for the GA Canal (Kallanai) renovation project so as to ensure better irrigation facilities for districts of Thanjavur, Trichy, and Pudukottai.

(2) Need to initiate actions for providing *Patta* to the 250 families residing over 50 years in the land belonging to Railways at Thanjavur Taluk, Nilgiri Therkuthottam Panchayat, Tamil Nadu.

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए:-

(1) पूरे देश में बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, तांगों एवं मिनी बसों में सीमा से अधिक संख्या में भर-भरकर ले जाया जाता है, जिससे अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं में बच्चों के मृत होने तथा बड़ी संख्या में घायल होने के समाचार आते रहते हैं। अतः शीघ्र कार्यवाही कर बच्चों को निर्धारित संख्या में ही वाहनों से ले जाना सुनिश्चित कराया जाए।

(2) स्कूल कैब एवं मिनी बसों के चालकों एवं कंडक्टरों द्वारा छात्राओं के साथ यौन शोषण की संख्याओं में वृद्धि के समाचार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अतः छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं को रोकने हेतु सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, the following item may be taken for discussion during the next week's business:

Krishnagiri District has no NCC Unit at college level. NCC 'C' certificate is very essential for higher post in Army services.

**श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) :** अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा जिले के अन्तर्गत अमानत, उत्तर कोयल एवं सोन नदी के प्रवाह से हो रहे सिंचित भूमि एवं मकानों के कटाव के संबंध में।

साथ ही, राष्ट्रीय उच्च पथ-75, जिसको बनाने की शुरूआत वर्ष 2010 में की गयी थी एवं वर्ष 2012 में इसे बनकर तैयार हो जाना था, वह आज तक नहीं बना है, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन उस पर सड़क दुर्घटना होने के चलते अब तक दर्जनों व्यक्तियों की जानें जा चुकी हैं एवं इससे उत्पन्न जनता की कठिनाइयों की ओर लोकहित के मामले को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कराने का निवेदन करता हूं।

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. गिरीडीह संयुक्त झारखण्ड-बिहार का प्राचीन ऐतिहासिक और पर्यटक आदि महत्व का शहर है, अतः उक्त शहर को स्मार्ट सिटी शहर के रूप में शामिल करने की आवश्यकता।
2. गिरीडीह एक प्राचीन शहर है, जिसके कारण इस शहर में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण शहर में जाम की स्थिति से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए गिरीडीह में रिंग रोड निर्माण की आवश्यकता है।

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध करता हूं :

1. प्रायः यह देखने में आता है कि अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में भगदड़ मच जाने के कारण सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यू हो जाती है, जिसमें अधिकतर संख्या महिलाओं एवं बच्चों की होती है। अतः अत्यधिक भीड़ वाले कार्यक्रमों में भीड़ की संख्या सीमित करने एवं ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाए जाने के विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।
2. देश में प्रत्येक छोटे और बड़े शहर में यातायात का बोझ बढ़ता जा रहा है, पार्किंग की समस्या सबसे विकट समस्या होती जा रही है, अतः पूरे देश में सभी शहरों के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने से संबधित विषय चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

**श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) :** अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. एससी-एसटी व ओबीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड्स विभाग व सिंचाई विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों को रिवर्ट करके अपमानित किया गया है, इसलिए यह जरूरी है कि एससी-एसटी व ओबीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का विधेयक अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।
2. विकास कार्य करने वाले ज्यादातर विभाग प्रदेश सरकारों के पास रहते हैं, जिससे सांसदों की कोई सहमति नहीं ली जाती है, जिसके कारण जनता से जुड़े तमाम विकास कार्यों में संसद सदस्य अलग-थलग पड़ जाते हैं, जबकि विकास कार्यों का अधिकांश धन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेशों में भेजा जाता है। इसलिए प्रदेश के विकास कार्यों में संसद सदस्यों की सहमति करने का विधेयक अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) :** अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. महराजगंज लोक सभा क्षेत्र के सभी गरीब-गुरबा के घरों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तार, पोल एवं टांसफार्मर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
2. बिहार राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जाए। विशेषकर सारण जिले में हो रही हत्या, लूट या अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु अपने स्तर से यहां चर्चा कराकर शीघ्र राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए।

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अवैतनिक कर्मी से नियमित करने एवं सरकारी कर्मचारी के बराबर लाने हेतु सख्त विधि नियम बनाने के संबंध में।
2. वर्ग एक से आठ तक के सरकारी, सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइया, जिनके ऊपर काफी अधिक जिम्मेदारी एवं कार्य रहता है, लेकिन सरकार द्वारा उनके कार्य की महत्ता के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया जाता है, को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतनमान निर्धारित करने हेतु विधि नियम बनाने के संबंध में।

**माननीय अध्यक्ष:** अभी शून्य काल शुरू नहीं हुआ है, आप बैठ जाएं।

**श्री राजेश रंजन:** अध्यक्ष महोदया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

**12.14 hrs**

## MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) SECOND BILL, 2015 --EXTENSION OF TIME

HON. SPEAKER: Now we take up Item No. 12. Shri Bhartruhari Mahtab to move the motion.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I beg to move:

> "That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 upto 11th August, 2015."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 upto 11th August, 2015."

*The motion was adopted.*

---

**12.15 hrs**

## GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED

### (i) Bureau of Indian Standards Bill, 2015*

HON. SPEAKER: Now we take up Item No. 13. Shri Ram Vilas Paswan to introduce a Bill.

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) :** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> "माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a national standards body for the harmonious development of the activities of standardization, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services, and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री राम विलास पासवान:** महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

** Introduced with the recommendation of the President.

**12.16 hrs**

## SUBMISSIONS BY MEMBERS
## (i) Re:Police atrocities in Bihar

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** अध्यक्ष महोदया, बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। वहां के 10 करोड़ 33 लाख लोग असुरक्षित हैं। निर्भया और दामिनी की जो घटना घटी थी, तो पूरा देश उस घटना के खिलाफ एकजुट हो गया था। पर्वत्ता के एक गांव में 12 बजे से तीन बजे तक महादलितों के परिवारों को लूटा गया, इज्जत लूटी गई, नंगा करके 100-100 लाठियां 80 महिलाओं को मारी गईं। बच्चियों से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और सारे घर लूट लिए गए। वहां पर विधायकों के सरकारी घर हैं, वहां की सरकार के विधायकों के गुंडों के नेतृत्व में लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला हो रहा है। कल पटना में दिन में भाजपा के संगठन मंत्री श्री मनीष कुमार को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया और गोली मार कर उन्हें मार दिया गया। अभी दस दिन पूर्व दानापुर में दो वकीलों को मारा गया। बिद्दुपुर में दो मुखियाओं को मारा गया। मुख्य मंत्री के गांव के बगल में तीन किलोमीटर की दूरी पर हरनौत में दो नौजवान लड़कों को गोली मार दी गई। इस तरीके से लगातार बिहार की स्थिति दिनोंदिन इस एक महीने में बद से बदतर होती जा रही है।

इसके अलावा, राज्य में 70 बलात्कार हुए हैं, जिनमें से सात सामूहिक बलात्कार हुए हैं। इन बलात्कारों में सब की सब दलित, महादलित और अति पिछड़े वर्ग की बेटियां हैं। आखिर क्या कारण है कि गरीबों के बारे में और सामाजिक न्याय की बात करने वाली प्रदेश सरकार दलितों, महादलितों की बच्चियों की सुरक्षित नहीं कर सकती। इससे बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधी प्रत्येक दिन जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। मुखिया जी तक नहीं बचते। कल जिस तरीके से पटना में घटना घटी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मुझे एस.पी. द्वारा धमकी दी गई है। पटना के एस.पी. द्वारा धमकी दी गई कि पप्पू यादव को भुगतना होगा। मैं इस सम्बन्ध में यहां प्रिवीलेज मोशन ला रहा हूं। वहां पर लगातार निरह शिक्षकों पर लाठी और गोली चलाई गई। सांखिकी में एक विधायक को और वहां के नौजवानों को मार-मार कर बर्बाद कर दिया गया। आंगनवाड़ी और जो रसोई का काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें टीएटी और एसटीटी को लाठी-गोली की सरकार दबा रही है। अपराधियों के बल पर यह सरकार चल रही है। जब से लालू यादव और नीतीश कुमार में गठबंधन हुआ है, बिहार की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी महिला सुरक्षित नहीं है, खासकर दलित और महादलित सुरक्षित नहीं हैं। मैं सीबीआई

की इंक्वायरी की मांग करता हूं। परबत्ता की घटना के पीड़ितों को बगैर सीबीआई की जांच के न्याय नहीं मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर रिप्लाई चाहता हूं। कल वहां जो घटना घटी है, उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंदर ही वहां चुनाव होने चाहिए। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो विधान सभा के चुनाव में पप्पू यादव जैसे जो विपक्षी जनप्रतिनिधि होंगे, उनको मरवा दिया जाएगा। मेरी सुरक्षा छीन ली गयी और आज तक मुझे सुरक्षा नहीं मिली है। केन्द्र सरकार के बावजूद भी पप्पू यादव को मरवाने की साजिश की गयी। मैं आग्रह करूंगा कि पप्पू यादव की जान जाए कोई बात नहीं है, लेकिन पटना में जिन नौजवानों की जान गयी है, ऐसे नौजवानों की जान न जाए इसके लिए केन्द्र सरकार सुनिश्चित करे कि बिहार के नौजवानों की सुरक्षा हो और परबत्ता की घटना की सीबीआई इनक्वायरी हो, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती कोथापल्ली गीता और श्री पी.पी. चौधरी को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) :** अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही गम्भीर बात है कि अगर पप्पू यादव जी जैसे व्यक्ति को जान की धमकी मिले तो सच में लोकतंत्र खतरे में है।

महोदया, कल सुबह गांधी मैदान जहां आज के देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था और वहां छः बम विस्फोट हुए थे। उस समय सरकार ने कहा था कि हम बड़ी मुस्तैदी से लोगों को रखेंगे क्योंकि लाखों लोग सुबह से शाम तक घूमने के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से और खुलेआम हत्या की गयी। सरेआम तीन लोग बंदूक लेकर आए और उनको मार दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है कि वहां की सरकार में इस प्रकार की घिनौनी हरकत हो रही है। अब से लगभग एक महीने पूर्व कमतौल में वहां के थाना प्रभारी ...*को थाने के बाहर तीन गुंडों ने आकर माथे से पिस्टल सटाकर तीन गोली मारी और वह वहीं पर खत्म हो गए।

**माननीय अध्यक्ष :** आप किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन परिस्थति के बारे में बता सकते हैं। हालांकि यह सब स्टेट्स मेटर्स हैं।

**श्री कीर्ति आज़ाद:** महोदया, नाम बताना इसलिए जरूरी है कि उनको गैलंटरी मेडल मिला हुआ है। उसके बाद गांव-गांव में शराब बेचना तो ...* की सरकार ने, मुख्यमंत्री की सरकार ने किया, मैं नाम हटा देता हूं। लेकिन पुलिस और प्रशासन का लालच देखिए कि अवैध शराब बन रहा है और सुपौल में तीन लोग उस अवैध शराब को पीकर मर गए, लेकिन आज तक न तो एफआईआर दर्ज हुई और न वह दुकान बंद की

---

* Not recorded.

गयी है। यही नहीं, सांसद निधि कोष से कुछ कार्य करने के लिए मैंने दिया था। वहां के एसडीओ, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नापी करने के लिए गए थे। उन्होंने अवैध रूप से नापी करने के लिए मना किया तो उनको मार-मार कर अधमरा किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोई केस नहीं किया और अपने लोगों को बचाया है। आज वहां इस प्रकार की परिस्थिति बन चुकी है कि हमारे मिथिला में मखाना, जो पूजा वगैरह में प्रयोग होता है और लोग उसे खाते भी हैं, उस मखाने को कूटने के मल्लाह, जो कि मछुआरे जाति के होते हैं, वह गांव-गांव में किसानों को ले जाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ मखाना फोड़ने के लिए चलिए। उन लोगों को खेतिहर मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति एक विशेष गांव में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उस गांव में गया तो उसको मार-मार कर अधमरा कर दिया गया और कहा गया कि यह बच्चा चुराने के लिए आया था। यह सिर कटुआ है और बच्चे का सिर काट कर ले जाने के लिए आया था। इस प्रकार से मार कर उसको अस्पताल में रखा गया है। मैंने जितने लोगों का जिक्र किया है, ये सभी लोग अस्पताल में हैं और गरीब हैं, सरकारी अफसर हैं, थानाध्यक्ष है, जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है। उनके साथ अवैध शराब बेचने वाले लोग हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पप्पू यादव जी ने जिस बात को कहा है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथ ही साथ सीबीआई की इनक्वायरी होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और हम लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। यदि पप्पू यादव जी सुरक्षित नहीं हैं तो मुझे लगता है कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सुधीर गुप्ता को श्री कीर्ति आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भोला सिंह, कृपया सहयोग कीजिएगा।

**डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) :** महोदया, यदि मेरे जैसे उम्र के व्यक्ति को आप सहयोग करने के लिए कहेंगी तब बचेगा क्या?

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं है, आपको बोलने का आगे भी समय मिलेगा।

**डॉ. भोला सिंह:** महोदया, बिहार मात्र इस देश का एक संघीय राज्य नहीं है। बिहार सर्वधर्म सम्भाव वाला राज्य है। बिहार की दुनिया के राजनैतिक क्षितिज पर सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता की सीमा है। बिहार दुनिया के सबसे बड़े धर्म की मां है।

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज भोला सिंह जी आप समाप्त कीजिए।

**डॉ. भोला सिंह:** मैडम, मैं समाप्त करने वाला हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था राज्य का प्रश्न है, लेकिन जब कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कारक राज्य सरकार बनती है तो केन्द्र चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। इसलिए मैं अभी राष्ट्रपति शासन की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बिहार की कानून व्यवस्था को देखे। आज बिहार में स्कूल और कालेज बंद हैं, बच्चे मरते जा रहे हैं, बिहार में प्रत्येक दिन खून की होली खेली जा रही है। वहां इंसान को मारते-मारते खदेड़ा जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार अगर यह कहे कि कानून व्यवस्था का प्रश्न है, यह राज्य का प्रश्न है, यह राज्य का प्रश्न नहीं है। राज्य स्वयं, सरकार स्वयं व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कारक है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह एक शिष्ट मंडल बिहार में भेजे और वहां जाकर शिष्ट मंडल की जो ओपीनियन हो, जो उनकी जांच-पड़ताल हो, उसे सदन में रखा जाए और सदन उस पर विचार-विमर्श करे और उसकी रोशनी में तत्काल बिहार में एक नई व्यवस्था को लागू करने की अगर आवश्यकता है तो उसे लागू किया जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री सुधीर गुप्ता को डा.भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** अध्यक्ष महोदया, माननीय पप्पू यादव ने जिस विषय को उठाया है, कीर्ति आजाद जी, डा.भोला सिंह जी और जनार्दन सिंह सीग्रीवाल भी इस विषय को उठाना चाह रहे थे। पटना में निश्चित रुप से जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मनीष कुमार की हत्या की गई। इसी प्रकार से बिहार से सूचनाएं आ रही हैं और तरह-तरह से सम्मानित सांसद ये सूचनाएं दे रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक सात वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार किया गया। निर्भया से कहीं आगे की यह घटना है। अभी दुर्भाग्य है, यह नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली की घटना को लोग और पत्रकार ज्यादा ही उठाते हैं और देहात और गरीब के पास पहुंचने में कठिनाई होती है। लेकिन अनफोर्चुनेटली जिस प्रकार की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, यह चिंता का विषय है। डा. भोला सिंह जी ने जिस विषय को रखा है, यह हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि विधि व्यवस्था राज्य का विषय है, जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की विधि व्यवस्था के बारे में माननीय सांसद विषय उठा रहे हैं, इस विषय पर निश्चित रूप से मैं गृह मंत्री जी से बात करूंगा और एक प्रकार से समीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें उठाई जा रही हैं, क्या सचमुच बिहार की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, क्या सचमुच विधि व्यवस्था की स्थिति

ऐसी हो गई है। निश्चित रूप से मैं इस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो इस विषय पर एक समीक्षा के दृष्टिकोण से उनके साथ बैठक करके...(व्यवधान) जहां माननीय सांसद माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठकर बिहार की स्थिति के बारे में जो केन्द्र स्तर की समीक्षा है, उसके बारे में बात करके निश्चित रुप से हम इनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे।...(व्यवधान)

---

**श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं अति लोक महत्व का विषय शून्यकाल में उठाना चाहती हूं। आज मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज-आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में पेयजल की कमी का संकट मंडरा रहा है। कहीं यह गिरते भूजल स्तर के रूप मे हैं तो कहीं सूखते सिमटते तालाब के रूप में है। लालगंज-आजमगढ़ में भूजल संरक्षण के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, तलैया और तालाबों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। कहते हैं कि जल ही जीवन है, मनुष्य बिना जल के तीन दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, वहीं दूषित पेयजल के कारण लोग विशेषकर बच्चे जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यह प्रमाणित है कि दुनिया में लगभग 80 प्रतिशत बीमारियों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दूषित पेयजल ही कारण होता है। बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यू अतिसार, पीलिया, पोलियो एवं मस्तिष्क ज्वर (इंसेफलाइटिस) के कारण होती है, जो दूषित पेयजल के कारण होती है।

मैं बड़ी विनम्रता और आत्मिक वेदना के साथ अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में शुद्ध पेयजल की समस्या से सदन को अवगत कराना चाहती हूं। आज वर्षा ऋतु के बावजूद भी जलस्तर की गिरावट में कोई सुधार नहीं है। यहां कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां जल स्तर 200 फीट तक नीचे चला गया है और तालाब हैंडपम्प पानी नहीं दे रहा है। अल्प वृष्टि के कारण कुंए, तालाब सूखे पड़े हैं और लोगों को शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि लालगंज-आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में विशेष पेयजल योजना लागू की जाए, जिससे सामान्य जन-जीवन को बचाया जा सके। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री दद्दन मिश्रा को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Madam Speaker, I rise to speak about a grave concern for the nation about the lack of safety of children on roads.

Children are the future of the country. It is extremely disturbing that we as a nation have failed to protect our children from being killed in road accidents, which are entirely preventable. According to the National Crime Records Bureau, 20 children are killed every day due to road crashes in the country.

In the year 2013, more than 7300 innocent children under the age of 14 years have lost their lives in road accidents on the killer roads of India. This is nearly 300 per cent more than the reported deaths of children resulting from all crimes against them put together. I am not trying to undermine crimes against children in any way. I just want to draw attention to the enormity of road accidents, which have emerged as silent killers. It is disheartening to note that road accidents have failed to receive the amount of attention that they deserve from policy makers.

Madam, in the last one year, the NDA Government has proactively addressed important social concerns. I firmly believe that with a strong political will, all of us can work together towards ensuring safer roads for our children. I appeal to this house to urgently take legislative and policy measures, in order to curb this disturbing trend and protect the future of our country. It is important to make institutions such as schools and adults accountable for ensuring safety of children on road, including safe commute to school. Therefore, I request the government to set minimum safety standards for children, such as use of child helmets and child seat belts, and ensure their strict compliance. There should be stricter penalties for dereliction of traffic norms with children on-board and for negligent driving that causes a death of child.

I also urge the Government to reclaim neighbourhood streets for children and prevent the tragic incidents of them being mowed down by rash traffic through segregation of child zones.

Madam Speaker, I feel that, as legislators, we must prioritize safety of children on roads by enacting a law that addresses these issues in a comprehensive manner.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Nishikant Dubey, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kirron Kher.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Madam, I would like to bring to the notice of the House an important issue highlighted in the Memorandum submitted by our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma to the hon. Prime Minister.

At present, the Ministry of Urban Development is funding for the purchase of buses for urban transportation. However, the Ministry of Urban Development is insisting that only low floor buses should be purchased under the scheme. These buses are very expensive and are not similar to the large number of other buses in the State Transport Corporations' fleet of normal buses. There is no passenger preferences for such buses in Tamil Nadu. The Ministry of Urban Development may reconsider its position of sanctioning only low floor buses and permit normal buses also to be purchased under JNNURM for which the State Government is willing to meet its share of the cost.

For intelligent transport solutions for Chennai, there is an urgent need to improve the existing system of traffic management in Chennai City using the latest technology available in the world.

**12.33 hrs** (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The Japan Internal Co-operation Agency (JICA) has suggested a feasibility study/DPR for drafting an ITS Master Plan for Chennai City also. The Government of India is requested to expedite the process for availing of the assistance from the Japan International Co-operation Agency this year.

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना मैं अपना फर्ज़ समझता हूँ। दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सन् 1908-09 में अंग्रेजो के शासन काल के दौरान जमीन की बंदोबस्ती की गई, जिसके द्वारा

गांवों की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे लाल डोरे का नाम दिया गया था। लाल डोरे की परिधि में आने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया गया, जिसके अनुसार उस क्षेत्र में भूसा डालने के कोठे बनाने व पशुपालन हेतु छप्पर डालने आदि की छूट दी गई, जिसके लिए नक्शा आदि की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत के हिसाब से एक-दो मंजिला मकान बनाने, व्यवसाय, धंधे आदि की भी छूट दी गई। इन सभी पर कोई हाउस-टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया गया। इसके पश्चात् सन् 1952-53 में चकबंदी के द्वारा लालडोरे को ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार बढ़ाया गया। सन् 1963 में बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार दिल्ली में लाला डोरा/एक्सटैंडिड लालडोरे के प्लॉटों के अंदर की कुछ छूट दी गई। परंतु उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय है कि जिस तरह से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विस्तार हेतु पर्याप्त जमीन चाहिए। परिवार दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं और जमीन कम होती जा रही है।

इस समस्या के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा तेजेन्द्र खन्ना समिति का गठन किया गया था, जिसने दिनांक 13 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी को लेकर और लाल डोरे की व्यवस्था के कारण जमीन की अनुपलब्धता को स्वीकार किया था तथा जन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाल डोरे/एक्सटेंडेड लाल डोरे में भविष्य के निर्माण के लिए उचित नियमन हेतु वहाँ किए गए विभिन्न निर्माणों को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए जाने की खबरें थीं, जिसके अनुसार लाल डोरा बढ़ाने हेतु पहला रास्ता चकबंदी करना अथवा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 23(3) के द्वारा माननीय उपराज्यपाल की अनुमति लेना था, परन्तु अत्यंत खेद का विषय यह है कि इस संबंध में ना ही तेजेन्द्र खन्ना रिपोर्ट के सुझावों पर कोई कार्यवाही हुई और ना ही पूर्ववर्ती सरकारों ने भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार कोई उचित कदम उठाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आबादी बढ़ने से अब अगर वे अपने खेतों में अपना घर बनाते हैं, एक्सटेंडेड ईयर में बनाते हैं, वहाँ एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार उन लोगों से मकान गिराने के नाम पर पैसा वसूल करते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह दिल्ली सरकार का विषय है। हरिश्चन्द्र के नाम से, दिल्ली में विकास के नाम से एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने केवल लोगों को... *किया। उनको 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी प्रस्ताव केन्द्र के पास नहीं भेजा है। केन्द्र सरकार से मेरा

* Not recorded as ordered by the Chair.

निवेदन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, इसलिए वह उनको आदेश दे और अगर दिल्ली सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करे, तो केन्द्र सरकार सीधे अधिकारियों को आदेश दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उनके लाल डोरे के एक्सटेंडेड एरिया में उनको मकान बनाने की इजाजत दी जाए। जो लोगों को लूटा जा रहा है, मकान गिराने के नाम पर उन्हें डराकर पैसे लिए जा रहे हैं, जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है, उससे उन लोगों को छुटकारा मिले और दिल्ली में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जिस भ्रष्टाचार के नाम पर वह सरकार बनकर आई थी, उस सरकार को कम से कम केन्द्र सरकार यह एहसास दिलाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात मराठी में यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के पंडरपुर क्षेत्र का मुद्दा है और मराठी जानने वाले बहुत सारे भक्तगण और वर्कर वहाँ रहते हैं।

[*] Hon. Deputy Speaker Sir, the holy shrine of Pandharpur in Maharashtra is visited by a number of devotees and most of them are from South-Indian States. In the month of Ashadhi and Kartiki there is a huge pilgrimage particularly on the occasion of Ekadashi. At this time 10 to 20 lakh devotees come here to seek blessings of Shri Pandurang. In the month of Ashadha more than 200 Palkis come on foot from Maharashtra and Karnataka. Palkis come walking from Shri Kshetra Dehu of Jagatguru Sant Tukaram Mahraj, Shri Kshetra Alandi of Shri Dyaneshwar Maharaj and they walk for 20 to 22 days covering a distance of around 200 to 225 kms. The number of devotees taking part in this procession is around 5 to 6 lakhs. Hon'ble Deputy Speaker Sir, it is the only celebration in the entire country where such a huge gathering take part in a walking procession. Pandharpur is a small town to provide all kinds of amenities to the devotees and the municipal council has limited resources to do all these. State Government also supports it but that is not sufficient. Chandrabhaga river is equally important as river Ganges. But, due to lack of amenities, the warkaries and lacs of female devotees are bound to excrete in open on the banks of this river and this has been continued for the last many-many years because they are helpless. After this pilgrimage, for the whole

[*] English translation of the speech originally delivered in Marathi.

month this town gets filled with bad odour and filths and people fall prey to diseases. Hence, it is my request to you Sir that we should get the special monetary assistance to develop all necessary amenities at Pandharpur as done in the case of other holy shrines and pilgrimage centres throughout the country. Thank you. Shri Ram Krishna Hari.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Shri Vinayak Raut, Shri Rahul Shewale, Shri Rajan Vichare, Shri Sanjay Jadhav, Dr. Shrikant Shinde, Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad are allowed to associate with the matter raised by Shri Shrirang Appa Barne.

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में कुछ विशेष प्रकार के, जैसे मूक-बधिर बच्चे होते हैं जो सामान्य रूप से अपना जीवन जी नहीं पाते। ऐसे बच्चे सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकें, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराई जाएँ जिससे अक्षमताओं पर विजय प्राप्त कर सामान्य जीवन जीने में उन्हें मदद मिल सके। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे बच्चे जो मूक-बधिर हैं, उनकी शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय तो हैं, परंतु उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, तथा जो विद्यालय हैं भी, उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन विशेष विद्यार्थियों को सामान्य परीक्षार्थियों की भांति एक समान बोर्ड से परीक्षा देनी पड़ती है और उसी पाठ्यक्रम का उपयोग उनको भी करना पड़ता है जो सामान्य विद्यार्थी करते हैं। ऐसे में उनको परीक्षा पास करने में बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में यूपी बोर्ड द्वारा ही सामान्य और विशेष बच्चों की परीक्षा एक सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा ली जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ और मांग भी करता हूँ कि उक्त विशेष जो विद्यार्थी बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालयों की विशेष व्यवस्था की जाए तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उनके लिए ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था हो। अतः आवश्यक है कि ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा सामान्य परीक्षार्थियों के साथ न लेकर इनके लिए विशेष बोर्ड बनाया जाए तथा इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sudhir Gupta, Bhairon Prasad Mishra and Shri Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the matter raised by Shri Ajay Mishra (Teni) during “Zero Hour” today.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Sir, it is my pleasure and I congratulate you for the new creation of the Mini Circle of ASI at Hampi of Bellary District.

Sir, I would like to draw your kind attention to some of the major historical monuments which come under my constituency, Koppal. After having many famous and historical monuments, this area is untouched from development as well as tourist footfall. Koppal comes under section 371J. In spite of this, Koppal is a very good place for tourism. Here, I mention some among them: one, rock edicts of Emperor Ashoka on the hillock at Gavimatha and Palki Gundu at Koppal, District Koppal; two, rock edicts of Emperor Ashoka and the ancient mound at Kaski, District Raichur; three, Mahadeva Temple (Emperor of Temples) at Itagi, Tehsil Yelburga, District Koppal; four, monuments at Anegundi Tehsil Gangavathi, District Koppal. five, Kanakachal Temple and other monuments at Kanakgiri Tehsil, Gangavathi, District Koppal. These are in my area.

Apart from these, some of these monuments are under Dharwad ASI Circle. But for the better maintenance of all the above monuments, I request the Government to include the newly-established Mini Circle of ASI at Hampi. I would like to bring to your kind attention that this will fall under Hyderabad-Karnataka Article 371(J) area which is recently given the special status through the amendment of the Constitution.

It would be a great pleasure, favour for me as well as the Parliamentary Constituency of Koppal if the needful is done to the development of this area by which it could be a part of Make in India and tourists could be attracted to these monuments which are our real assets.

**श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) :** उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र फैज़ाबाद में स्थित विमानतल को कार्गो विमानतल के रूप में विकसित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फैज़ाबाद एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है जहाँ पर अयोध्या, मखौड़ा,

स्वामीनारायण छपिया जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से श्रद्धालु के रूप में यहाँ दर्शन करते हैं और घूमते हैं।

फैज़ाबाद का जो विमानतल है, यह ब्रिटिश काल में निर्मित हुआ था और आज केवल अति-विशिष्ट लोगों के उतरने के लिए ही उसका उपयोग होता है। यदि इस विमानतल को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाए तो फैज़ाबाद के आसपास के आठ-दस जिले, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर की उपजाऊ भूमि पर कृषि जिन्सों के विकास, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस सम्बन्ध में हमने माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी को पत्र लिखा था और उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि इसको कारगो हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके साथ-साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी फैजाबाद में, चूंकि वहां पर सेना की बड़ी छावनी है, आज देश को सबसे बड़ा खतरा जिस देश से है, वह चाइना है। अगर कभी किसी प्रकार का खतरा इस देश को हो सकता है तो अगर यह हवाई पट्टी बन जायेगी तो उस दृष्टि से भी इसका उपयोग हो सकेगा।

मान्यवर, इस एयर स्ट्रिप के निर्माण होने से जहां रोजगार मिलेगा, जहां देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, इस सब को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसके प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन ने अभी भूमि अधिग्रहण पर कुछ दिनों पहले रोक लगा दी है, जिसके कारण इस विस्तारीकरण योजना पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से इसके लिए आग्रह करते हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Shri Lallu Singh.

**12.45 hrs**

## SUBMISSIONS BY MEMBERS ...Contd.

### (ii) Re: Parameters for development in Naxal affected areas in the country

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अखबार में जो छपा है, स्किल डैवलपमेंट मंत्रालय की न्यूज़ छपी है, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने जो इस देश का कबाड़ा किया, वह अभी तक कंटीन्युअस प्रोसैस चल रहा है। हमारी सरकार आने के बाद भी हमने उन चीजों से सीख नहीं ली है और यू.पी.ए. का जो मतलब था कि show me the face, we will show you the rule. आप मुझे चेहरा दिखाइये और मैं आपको कानून बताऊंगा। इस देश में जैसे बी.पी.एल. के लिए लकड़वाला कमेटी थी, लकड़वाला कमेटी के बाद तेंदुलकर कमेटी बन गई, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बन गई, आपको पता है, रंगराजन कमेटी बन गई, हाशिम कमेटी बन गई और यह तय नहीं हो पाया, क्योंकि, प्लानिंग कमीशन कोई अलग बी.पी.एल. का क्राइटीरिया तय करता था, रूरल

डैवलपमेंट मंत्रालय कोई अलग क्राइटीरिया तय करता था और केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री कोई अलग क्राइटीरिया तय करते थे, इस कारण से गरीब कौन है, गरीबी रेखा के नीचे कौन है, यह तय नहीं हो पाया।

उसी तरह से प्लानिंग कमीशन का नक्सलवादी जिलों के बारे में अलग क्राइटीरिया था, वे एल.डब्लू.ई. डिस्ट्रिक्ट्स थे, आई.आई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स थे, रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय अलग सोचता था और जो इस देश का गृह मंत्रालय है, वह अलग सोचता था। इस कारण से जो क्राइटीरिया बना, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 34 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जो रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय है, उसने तय किया कि 71 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और जो इस देश का गृह मंत्रालय है, उसने हमेशा कहा, एस.आर.ई. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर कि 106 से लेकर 111 जिले नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब एफ.एम. ऑक्शन होने लगा और आई.एण्ड बी. मिनिस्ट्री और होम मंत्रालय में जब लड़ाई शुरू हो गई तो फाइनली कैबिनेट ने यह तय किया कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय है, वही तय करेगा कि नक्सलवादी कौन है और आतंकवादी कौन है और वहां किस तरह का विकास होगा।

मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय यह है कि जो भी नक्सलवाद के जिले होंगे, उनमें स्वास्थ्य क्या होगा, शिक्षा क्या होगी, उनका एजुकेशन का लेविल क्या होगा, उनमें रोजगार की समस्या कैसे होगी, उद्योग-धन्धा कैसे लगेगा, यह इम्पोर्टेंट है। उसमें रोड कैसे बनेगी, रूरल रोड कैसे बनेंगी, इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है कि होम मंत्रालय एस.आर.ई. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर जो नक्सलवादी जिले घोषित किये हुए हैं, उसी को आप एक क्राइटीरिया मानिये और जिलों का विकास करिये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri Sunil Kumar Singh, Bhairon Prasad Mishra, are allowed to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** निशिकान्त जी ने जो एस.आर.ई. जिले घोषित हुए हैं, जिनमें स्किल डैवलपमेंट के बारे में जिस समाचार का ये रैफरेंस कर रहे हैं, उसका मैं संज्ञान लूंगा। यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि लैफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट्स इफैक्टिड डिस्ट्रिक्ट्स में गृह मंत्रालय नोडल है, क्योंकि, कई मंत्रालय इस काम को कर रहे हैं, कई अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कई काम अभी होने हैं। लेकिन जिस प्रकार से निशिकान्त जी ने इस पूरे विषय को रखा है और पूरे अध्ययन के साथ रखा है, मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्धित और गृह मंत्रालय के माध्यम से एल.डब्लू.ई. डिस्ट्रिक्ट्स में किस प्रकार के

स्किल डैवलपमेंट का काम हो सकेगा, एक समन्वय स्थापित करके गृह मंत्रालय के साथ इस काम को करूंगा और निश्चित रूप से माननीय संसद को भी इस पूरे विषय की जानकारी दूंगा।

---

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you very much, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for allowing me to bring before the august House an issue which is being faced by more than nine lakh ASHA workers in the country. ASHA workers are virtually the spine of rural healthcare system. They become the single point of contact in case of several health needs in the country – be it immunization, be it delivery or whatever it is.

But the point is, the kind of remuneration or the compensation which ASHA workers get is extremely meagre and on many occasions it does not even fulfil the criteria laid down for minimum wages in the country. In the process, what happens is, not only do they get affected, but the purpose for which they are appointed also gets diluted.

So, I would like to appeal to the Government, through you, to take cognisance of the issues being faced by ASHA workers in the country who are more than nine lakhs and allocated a fixed sum or a fixed remuneration in addition to the variable packages which they get and also introduce certain social security measures like Provident Fund, ESI and Pension for all ASHA workers in the country.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to raise an issue of public importance.

Sir, Paradip Port region in my constituency Jagatsinghpur is an industrial area. The pollutants extracted from the industrial units here are very harmful with the result the local inhabitants are suffering from serious diseases. On many occasions in the past, employees working in industries have faced industrial accidents and have also lost their lives due to lack of immediate life saving medical care in the locality. Though Paradip Port is a major port and the

surrounding area has been mushroomed with many world-class industries having workers from all parts of the country, hospitals existing in this port area are not well equipped with modern technology and infrastructure. In this regard, I personally met the hon. Minister of Shipping Shri Nitin Gadkari, when he visited Paradip during the inauguration of Oil Jetty of Indian Oil Refinery, to set up a Super Speciality Hospital in the port area as it comes under the jurisdiction of the Minister of Shipping. He also assured me to initiate and expedite the process in this regard.

I would like to, once again, draw the attention of the Minister of Shipping as well as the Minister of Health and Family Welfare to take urgent steps for setting up a Super Speciality Hospital in Paradip, Odisha at the earliest.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Dr. Kulamani Samal.

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) :** उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गयी है। आए दिन शिक्षकों को, खासकर अनुबंध पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों को, धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ता है। सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं का निदान करे। पर, उसके ज़गह पर वह उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करती है, उन्हें जेलों में डालने का काम करती है। शिक्षा की दृष्टि से बिहार आज बड़े अराजक दौर से गुज़र रहा है।

महोदय, सारण जिला में जय प्रकाश विश्वविद्यालय स्थापित है। उस विश्वविद्यालय में पदस्थापित कुलपति एवं रजिस्ट्रार एक बड़े घोटाले में निगरानी विभाग की जांच में फंसे हुए हैं। महीनों तक फरार एवं चार्जशीटेड रहने के बाद निगरानी विभाग द्वारा संबंधित स्थानों पर अग्रतर कार्रवाई हेतु कागज़ात भेजे गए हैं। कुलपति एवं रजिस्ट्रार के ऐसे घोटाले में फंसे रहने के कारण विश्वविद्यालय में पठन-पाठन एवं परीक्षाफल प्रभावित है। वहां अराजक स्थिति बनी हुई है। छात्रों का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां लगभग चालीस हजार से ज्यादा छात्रों का परीक्षाफल लंबित है। मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय के संचालन के कारण महाविद्यालयों को जो अनुदान मिलता है, उसका भी सही तरीके से वितरण नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार पर शीघ्र अग्रतर कार्रवाई करे। वहां अराजक स्थिति बनी हुई है। छात्रों का परीक्षाफल नहीं निकल

रहा है। छात्र प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के महाविद्यालय, चाहे जगदम महाविद्यालय हो या राजेन्द्र महाविद्यालय हो, बन्द पड़े हुए हैं। महाविद्यालयों में प्रतिदिन छात्रों के द्वारा आगजनी की जा रही है, उनके ऊपर कुशल कार्रवाई करें और एक सख्त निर्देश दे। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: All right. Now we are taking up Second Supplementary List of Business. After that, we will continue the 'Zero Hour'.

---

**<u>12.54 hrs</u>**

## <u>GOVERNMENT BILLS- Introduced .... Contd.</u>

## (ii)Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015*

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Carriage by Air Act, 1972.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Carriage by Air Act, 1972."

*The motion was adopted.*

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रेलवे के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया रिंगस एक ट्रेन हॉलीडे स्पेशल के रूप में सप्ताह में पांच दिन चलती थी, जिसका नंबर 9627 व 9628 है। पिछले कुछ समय से यह ट्रेन सप्ताह में केवल दो दिन चली। 30 जुलाई यह ट्रेन बन्द कर दी गई।

मान्यवर, इस गाड़ी से अजमेर, नागौर, सीकर, अलवर और जयपुर ये पाँच जिले सम्बन्ध रखते हैं। पुष्कर, अजमेर और खाटूश्याम तीन ऐसे तीर्थ स्थान हैं, जहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता है। इस ट्रेन को चलाने से काफी लोगों को लाभ होगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस ट्रेन को नियमित किया जाए, क्योंकि प्रातःकाल केवल एक ही ट्रेन है जो दिल्ली आती है। धन्यवाद।

**श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) :** महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें लगातार अखबारों के माध्यम से, वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर समाज के अन्दर सांसद की प्रतिष्ठा और गरिमा हमेशा गिरती है। विषय बहुत छोटा है, लेकिन उसमें परिणाम समाज के ऊपर देशव्यापी आता है। संसद में चलने वाली हमारी जो कैन्टीन है, उस पर सब्सिडाइज रेट पर हमको, मीडियाकर्मियों और कर्मचारियों को भोजन मिलता है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Your subject is not regarding the subsidy. You tell about the MPLAD programme.

**श्री उदय प्रताप सिंह:** मेरा अनुरोध है कि उसको समाप्त किया जाए।

दूसरा सांसद यहां पर चुनकर आते हैं, किसी तरह की सब्सिडी लेने के लिए नहीं, अपितु क्षेत्र के विकास के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए, संवैधानिक व्यवस्था में भागीदारी के आते हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: You tell about the MPLAD programme. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to speak only on MPLAD.

---

* Not recorded.

**12.57 hrs**

## SUBMISSIONS BY MEMBERS ...Contd.

## (iii)Re: Need to allocate more funds for MPLADS Scheme

**श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) :** इसलिए आवश्यक है कि सांसद को जो सांसद निधि उपलब्ध कराई जाती है, देश के विकास में सांसद की भूमिका पूरी ताकत से उभरकर आए, इसके लिए जो उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसकी पूर्ति के लिए हमें शक्तिशाली बनाया जाए। अभी सांसद को पांच करोड़ सांसद निधि मिलती है। एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 1,100 ग्राम पंचायतें होती हैं। 1100 ग्राम पंचायतों में 40-40 हजार के हिसाब से भी बांटा जाएगा तो सांसद निधि पर्याप्त नहीं होती है। विकास के काम हम नहीं करा पाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस निधि का बढ़ाकर कम से कम 15 करोड़ रूपए भारत की सरकार करे, जिससे विकास में हम अपनी भूमिका निभा सकें। ...(व्यवधान) सदन 25 करोड़ कह रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसे 25 करोड़ किया जाए।

**13.00 hrs**

उपाध्यक्ष जी, आपने भी पिछले दिनों चेयर पर बैठकर माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था...(व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इस विषय को आगे बढ़ायेंगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक और अनुरोध है कि राज्यों में जब विधायक दौरा करते हैं तो उन्हें एक जनसंपर्क निधि की आवश्यकता होती है। कोई बीमार है, कोई अच्छा विद्यार्थी है, कोई जरूरतमंद है, जिन्हें विधायक जनसंपर्क निधि से राशि दे सकते हैं लेकिन माननीय सांसद को इस तरह की निधि का प्रावधान नहीं है। एक माननीय सांसद को एक वित्त वर्ष में अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह के जरूरतमंद लोगों, गरीबों, बेसहारा, अच्छे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और बीमार व्यक्तियों की मदद के लिए प्रत्येक वर्ष जनसंपर्क निधि में कम से कम 50 लाख रुपये का प्रावधान भी भारत सरकार करे, जिससे सांसद अपने दौरे के दौरान उस राशि से वहां के लोगों की मदद करें।

मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सांसद का कर्तव्य देश का विकास, गरीबों की सेवा और देश की प्रगति के लिए काम करना है, किसी भी तरह की सब्सिडी या लाभ लेने का माननीय सांसद का कोई ध्येय नहीं रहता है, इसलिए हमें हर वह सुविधा उपलब्ध करायी जाये जिससे सदन का मान बढ़े, संसद की गरिमा बढ़े और इस देश में माननीय सांसदों की भूमिका भी पूरी ताकत से स्थापित हो।

HON. DEPUTY SPEAKER: As a Chairman of the MPLADS Committee, I have already written a letter to the hon. Prime Minister and the Finance Minister. Day before yesterday, some hon. Members had also raised this issue. The Finance

Minister said that he will consider this issue. He also said that there are some financial constraints. The entire House is feeling that this issue should be conveyed to the hon. Prime Minister. The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs is present here and he will do so.

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपना नियमन दिया है, क्योंकि यह सौभाग्य है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं और आप उस समिति के अध्यक्ष हैं जो एम.पी. लैड पर विचार कर रही है, कई माननीय सदस्यगण उस समिति के सदस्य हैं। यह बात सही है कि समय-समय पर इस विषय को उठाया जाता है कि एम.पी. लैड्स की राशि बढ़ायी जाये। नियमित तौर से लोग तुलना करते हैं कि राज्य में विभिन्न सरकारों द्वारा विधायकों को कितनी राशि दी जाती है और जो लोग इसमें अच्छा काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि और भी अच्छे काम हों, क्योंकि माननीय सांसदों के माध्यम से विकास का कोई काम सीधे तौर से उसके क्षेत्र में हो और एम.पी. लैड उसका एक ही माध्यम है। स्वाभाविक तौर से सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कुछ भी कमी है तो माननीय सांसद उसे पूरा करा दें। वैसी स्थिति में उनके ऊपर निरंतर दबाव बना रहता है। मैं भी एक सांसद हूं और आप भी एक माननीय सांसद हैं, आप भी यह जानते हैं कि किस प्रकार से निरंतर यह दबाव बना रहता है। आपने अपनी अनुशंसा की है, सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया है। इस वक्त इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस योजना के साथ-साथ, हम लोगों ने सांसदों को भी कौशल विकास योजना से भी जोड़ने का प्रयास किया है ताकि सीधे तौर पर उनकी अनुशंसा और उनकी देख-रेख में एन.एस.डी.सी. के माध्यम से राशि लोगों तक पहुंच सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय सांसदों की भूमिका अहम हो, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में माननीय सांसदों से लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं और स्वाभाविक रूप से उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। निश्चित रूप से सरकार पैसे अपने कोष से ही दे पायेगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी अनुशंसा पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: No, already, you have written a letter to me. Your Ministry is asking some funds through MPLADS. MPLADS funds can be used for skill development programmes. Not only you, the Railway Ministry and other Ministries are also requesting for that. Unless the Government will come forward to enhance the MPLADS fund, how can MPs give the funds? That is the

unanimous feeling of the House. You can convey it to the hon. Prime Minister and the Finance Minister and see that something can be done in this regard.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I will carry the sentiments expressed by you to the Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary, Shri Sudheer Gupta, Shri C.R. Chaudhary, Shri Chandra Prakash Joshi and Shri Sunil Kumar Singh are permitted to associate with the issue raised by Shri Uday Pratap Singh.

---

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon'ble Deputy Speaker Sir, Vanakkam. Thanjavur parliamentary constituency has a population of 20 lakh people. Out of which around 10 lakh are women. I urge upon the Union government to start a branch of Bharatiya Mahila Bank in my Thanjavur Constituency. Bharatiya Mahila Bank was started by the Union Government with an aim to empower women, provide loans to them to start self-employment ventures, and to ensure industrial development of the nation through women's participation. As regards Tamil Nadu, only four branches of Bharatiya Mahila Bank are in operation. Under the glorious rule of beloved leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma, many self-development schemes meant for the welfare of women are being implemented successfully. Tamil Nadu also remains a progressive State of our country. Many women Self-Help Groups are functioning successfully in the State of Tamil Nadu under the able leadership of beloved leader Hon. Dr. Puratchithalaivi Amma. If Mahila Bank branches are opened in large numbers in Tamil Nadu, women belonging to Tamil Nadu will be able to get loans aimed for self-development. These Mahila Bank branches should work in close co-ordination with the women Self-Help Groups. It should ensure to help women to start self-employment ventures so that the objective of starting Mahila Bank would be achieved. I therefore urge upon the Union Government to immediately open a branch of Bharatiya Mahila Bank in my Thanjavur parliamentary constituency. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

**श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। परन्तु दुर्भाग्यवश आज राशि के अभाव में यह योजना करीब-करीब ठप्प पड़ी हुई है। जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे संसदीय क्षेत्र में यह कार्य तीन कम्पनियों - एच.एस.सी.एल, एन.बी.सी.सी. और एस्कॉन - को दिया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन कम्पनियों द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यंत घटिया स्तर का है तथा जो सड़कें इन कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही हैं, उनमें जिस मैटीरियल का उपयोग किया जा रहा है, वह भी निम्न स्तर का है। इन कम्पनियों पर उपायुक्तों का कोई नियंत्रण नहीं है। वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और उनके इम्प्लाइज़ कौन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपने यहां से एक टीम भेजकर उन सड़कों की क्वालिटी की जांच करानी चाहिए। यदि जांच के अंतर्गत खराब क्वालिटी की सड़कें पाई जाती हैं तो उन कम्पनियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही बड़े पैमाने पर जो राजस्व की हानि हो रही है, उसे बचाया जाना चाहिए।

**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वाकांक्षी मांग पिछले कई वर्षों से उठती आ रही है। न्याय में देरी करना अपने आप में न्याय से वंचित करना है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। मैं जिस मेवाड़ क्षेत्र से आता हूं, वहां चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, भीलवाड़ा को मिलाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल बनता है। वहां की जनता की तीस वर्षों से मांग है कि वहां हाई कोर्ट खुलना चाहिए ताकि उन्हें सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। वह एक आदिवासी क्षेत्र है। मेरा आपसे आग्रह है कि दक्षिणी राजस्थान विशेषत: मेवाड़ क्षेत्र के निवासी वर्ष 1880 से ही मेवाड़ राज्य के तत्कालिक महाराजा सज्जन सिंह जी द्वारा जारी किए गए संविधान में उच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त था। दिनांक 1 मई, 1948 को संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आया तब संयुक्त राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट आर्डिनैंस, 1948 की धारा 13 द्वारा मुख्य पीठ उदयपुर में रखी गई। 1949 को वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ तब राजस्थान हाई कोर्ट आर्डिनैंस, 1949 को प्रख्यापित होकर आर्डिनैंस नम्बर 3 सन् 1948, 1949 द्वारा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर स्थापित की गई और खंडपीठ जयपुर के साथ उदयपुर में रखी गई। उसके उपरांत उदयपुर की खंडपीठ 1950 से एवं जयपुर की खंडपीठ 1958 से समाप्त कर दी गई। इसके बाद जयपुर की खंडपीठ पुनः प्रारंभ हो गई, इस क्षेत्र की जनता कोई नवीन खंडपीठ की मांग नहीं कर रही है बल्कि 1950 में जो खंडपीठ समाप्त की गई थी उसकी पुनः में स्थापना की मांग करता हूं। जयपुर संभाग के नागरिकों को न्याय मिल गया और दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र

है इस क्षेत्र की जनता को भी न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, सस्ता और सुलभ न्याय मिले इसलिए उदयपुर हाई कोई की खंडपीठ स्थापित की जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री सुधीर गुप्ता को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) :** महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर, बिहार में पेपर मिल के चर्चा करना चाहता हूं। झंझारपुर पेपर मील की कई एकड़ जमीन ली गई, इस पर करोड़ों रुपये का भवन निर्माण और मशीन खरीदा गया, वह आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। यदि उस पेपर मिल को चालू किया जाता है तो यह जनहित में बहुत बड़ा काम होगा। इससे सरकार को भी बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी और इस क्षेत्र के युवाओं और मजदूरों को भी इससे रोजगार मिलेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार का दूसरा कोई साधन नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र पंडोल में सुत मिल बनना और तीन-चार साल तक चला, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उक्त दोनों मिलों को चालू करने की कृपा की जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the original list of Members to speak during Zero Hour is exhausted. But I have received requests from 16 hon. Members, beyond the list, who want to make their points in the Zero Hour. If you cooperate, taking only one minute by raising your issue relating to your Constituency's problems, I would allow you. Otherwise, it cannot be done because we have to adjourn for lunch also as the hon. Members are waiting for their lunch.

So, I would request the hon. Members, please make your points within a minute and conclude. Do not make lengthy speeches.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, due to the uncongenial climatic conditions, bad rain, loaded water, people of Assam are suffering from very pathetic and poor health condition.

A few diseases like Japanese Encephalitis, Type-2 Diabetes, Hepatitis C virus are silently making inroad into the health of the people. Japanese Encephalitis has already killed more than 100 people in Assam. It is very dangerously looming large in the Dibrugarh District and the flood-affected areas.

Sir, the most troublesome part is that there is no provision to great Japanese Encephalitis and also Hepatitis C virus.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right, you have made your point.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mahtab.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record accept the submission of Shri Mahtab.

… (*Interruptions*)… *

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Odisha is witnessing a serious flood-like situation in some parts of the State, specially in the northern parts of the State. In the Districts like Balasore, Mayurbhanj, Keonjhar, Bhadra and Jajpur, lakhs of people have been severely affected. The seedlings have totally washed away and the farmers are in great distress. That is one of the major reasons why I am raising it here today. Lives and livestock and damage to the crop has already occurred in these five-six Districts where lakhs of people have been badly affected.

In the western part of Odisha, there is a drought-like situation. Whatever seeds were sown have also withered away. In the Districts like Jharsuguda, Sundargarh, Sambhalpur and specially, Bolangir, which is a rain shadow area, the total crop has also been damaged.

Sir, as the cultivation has been damaged, migration is now going to take place. Also, the MGNREGA is not happening there. The people cannot get work there. Therefore, I would request the Ministry of RD to intervene in the matter and allow the State Government so that work can start in those areas where there is drought-like situation. I would also request the Ministry of Agriculture Ministry to support to the Agriculture Department of the State so that sowing also can take place in the flood-affected areas of Odisha.

* Not recorded.

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Sir, the Agriculture Department of our Tamil Nadu Government under the able leadership of our hon. Puratchi Thalaivi Amma upgraded and modernized its testing laboratories to analyze pesticide residues in agricultural produce. Also, the Government instructed the farmers to produce prescriptions from horticultural or agricultural officers to purchase pesticides.

There have been no complaints about the quality and excess pesticide levels in vegetables from Tamil Nadu. The farmers here use only the permissible pesticides in low quantities.

The Kerala Government has put curbs on traders procuring vegetables from Tamil Nadu by alleging that they found pesticide levels in the vegetables were higher than the permissible level. Besides banning vegetables, the State has also made it mandatory for the vegetable and fruit traders from other States to register or get a licence.

The ban on vegetables from Tamil Nadu has come as a rude shock for the farmers of Tamil Nadu as they fear it would wreck their livelihood. The Central Government should evolve a suitable mechanism for smooth trade of vegetables from Tamil Nadu and protect the interests of Tamil Nadu farmers who sell their produce in Kerala.

**श्री गणेश सिंह (सतना) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जिला अस्पताल की ओर ले जाना चाहता हूं। जिले में लगभग 22 लाख की आबादी है और एक जिला अस्पताल है। वहां चार सौ बिस्तरों का एक अस्पताल स्वीकृत था, लेकिन जगह की कमी होने के कारण मरीजों को जमीन में लिटाकर इलाज कराना पड़ता है। प्रसूति वार्ड में इतनी जबरदस्त भीड़ रहती है कि जितनी सुविधाएं प्रसूता और बच्चे को देनी चाहिए, उतनी नहीं दे पा रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों के उन्नयन का कार्यक्रम चलाया गया था। मैं चाहता हूं कि जिला अस्पताल के उन्नयन के कार्यक्रम में मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना को भी शामिल किया जाये और एक नया भवन दें। ...(व्यवधान) हम यह मांग करना चाहते हैं कि

वहां जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कालेज बनाया जाये। ...(व्यवधान) NHRM योजना के तहत नया महिला अस्पताल स्वीकृत किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ganesh Singh.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, this is an important issue. In an around Hyderabad, the capital of Telangana, we have a very big cantonment area. I receive many representations from the army people regarding One Rank One Pension issue.

One Rank One Pension issue of the Armed Forces personnel has been long pending before the Government. It is very sad to see the plight of our country's Ex-Servicemen who have served our motherland and guarded our borders with utmost dedication and devotion and that they have to agitate for their genuine demands.

Moreover, the Government has also assured implementation of One Rank One Pension Welfare Scheme in February, 2014, which was by the previous Government, and in July 2014 by the present Government. But it seems that no tangible results have come out yet.

It is high time that the Government takes stock of the brewing situation all over the country and arrive at an amicable solution at the earliest and resolve the issue in favour of the Ex-Servicemen and uplift the sagging morale of our young Jawans.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri A.P. Jithender Reddy.

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य के पाकुड़ जिला में पैनम कोल माइन्स के विभिन्न कोयला खदानों में राजस्व में गड़बड़ी और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के राजस्व के नुकसान के संदर्भ में कहना चाहता हूं। वहां कोयले में आग लगा दी गयी है, ताकि जले हुए कोयले पर कम्पनी द्वारा राजस्व का भुगतान न करना पड़े। इस कम्पनी के माध्यम से पाकुड़ जिला, अमड़ापाड़ा स्थित पछवारा में सैन्ट्रल कोल ब्लाक का आवंटन स्टेट पावर कारपोरेशन को किया गया। पूर्व में इसे एम्टा कम्पनी

के साथ पंजाब पावर कारपोरेशन को कोल ब्लाक दिया गया और आज की तारीख में उपायुक्त पाकुड़ द्वारा 9,991.91 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है।

अतः मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अविलंब इसकी जांच की जाये और झारखंड सरकार को उसका लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Deputy speaker, Sir, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puartchi Thalaivi Amma, has won in the recent by-elections held in Dr. Radhakrishnan Nagar assembly constituency with a huge margin of 1,50,722 votes. Hon. Amma's victory is a Himalayan victory in the history of elections in India. Hon. Amma has taken over as Chief Minister for the fifth time of the State of Tamil Nadu.

In Dr. Radhakrishnan Nagar assembly constituency, represented by hon. Amma, public sector oil companies like Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum have their terminals and stations in Korukkupet and Tondiarpet. Due to accidental leakage in the large pipelines connected to the giant oil tanks, the ground water gets polluted in many places. It may sometimes lead to fire accidents also. Although public sector oil companies have selected land for developing their terminals and stations in Manali and Tiruvottiyur instead of Korukkupet and Tondiarpet, the shifting work has not yet commenced.

I urge upon the Union Government to expedite the process of shifting of oil terminals and stations of these public sector oil companies to Manali and Tiruvottiyur.

**श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले कई दिनों से आतंकवाद की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं। सौभाग्यवश देश के जवान बाहर से आने वाले आतंकवादियों को पकड़ते हैं और फिर इन पर मुकदमा चलता है। आतंकवादी पकड़े जाते हैं और इन पर मुकदमे चलाए जाते हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए। जिस तरह याकूब पर 20 साल तक मुकदमा चलता रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो, सजा हो और अन्य आतंकवादियों के मन में डर पैदा हो।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Ajay Misra Teni are permitted to associate with the issue raised by Shri Vinayak Bhaurao Raut.

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संवेदनशील मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश में रेल दुर्घटना से संबंधित है। दो दिन पहले इस घटना में मेरे गांव के 11 लोग एक ही परिवार के खत्म हुए। मैं जहां से सांसद हूं वहां तीन लोगों की मृत्यु हुई। दो महीने पहले इटारसी जंक्शन में हर्दा से ठीक 80 किलोमीटर पहले कंट्रोल रूम जला और 60 दिन तक 100 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित हुई। हमारे रीज़न की 100 गाड़ियां थी और इससे पूरे देश के लोग प्रभावित हुए। राज्य में भी हमारी सरकार है और यहां भी है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक ही परिवार के 11 लोग मरे हैं। वह अपने पिता को फोन करके कह रहा है कि अब हमारा आखिरी मिनट है, अब सिर्फ अकेले पिता बचे हैं। ऐसे में पैसे के मुआवजे का कोई औचित्य नहीं है बल्कि हमें सार्थक कदम उठाना चाहिए। वे लोग जो इसके लिए गुनाहगार और जवाबदेह हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Prahlad Singh Patel.

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Respected Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak.

The LC-62 gate is situated in-betweeen Villlupuram Junction and Katpadi, about 76 kilometres away from Villupuram towards Katpadi. People from Usambadi, Sathiram, Pudi Mannai, Karunduvambadi, Otteri and many other villages have been using the LC-62 gate since time immemorial. They are using this gate to go to Thurinjapuram railway station, Government Primary Health Centre, government schools, Panchayat Union Office, post office, rice mills etc.

Unfortunately, now the Gate No. 62 remains closed and the local population is put to hardship. The villagers, who are residing at western side of the railway road, are having more than 265 acres of agricultural land on the other side. So, they find it very difficult to carry manure, fertilizers and cattle to those fields.

Even to reach the LC-63 gate from LC-62 Gate is very difficult because either sides have no service roads.

I shall, therefore, request the hon. Minister of Railways to consider reopening of the above mentioned LC-62 gate or order construction of a subway adjacent to the LC-62 gate.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED) : Hon. Deputy-Speaker, Sir, River Pamba in Kerala, is both ecologically and religiously significant river, as it is situated at the entrance of the nationally-important Sabarimala Temple - a holy place where the largest congregation of pilgrims of India converge. But such an important river is very much polluted and contaminated, and poses a health hazard to the thousands of pilgrims who visit the temple as well as the common man who lives on the banks of the river.

Therefore, there is an urgent need to take necessary steps to maintain the river clean as the pilgrimage season will start from mid-November. I appeal to this august House and the Government of India to address this issue.

**श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, पोलावरम प्रोजेक्ट का काम कुछ वर्षों से बंद था। इसलिए कि वहां पर एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है। अभी तक छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ग्राम सभा नहीं हुई है लेकिन, अभी जुलाई महीने में पर्यावरण मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार को लिखकर काम पुन: चालू करने के लिए निर्देश दिया है। यह कानून के विरुद्ध है क्योंकि अभी तक ग्राम सभा वहां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके पहले डैम के कंसट्रक्शन की परमिशन देना न्यायोचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि काम को रोककर बाकी जितने मसले हैं, उन पर फैसला किया जाए जिससे काम चालू हो सके।

**श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहां टाटा जैसा प्रतिष्ठित उद्योग स्थापित है। इस उद्योग के स्थापित होने के कारण यहां पूरे वातावरण में आयरन ओर, कायनाइट, यूरेनियम, कॉपर, सोना तथा उच्च गुण युक्त मैंगनीज और पन्ना जैसी धातु हैं। इसके अनुकूल वातावरण देखकर देश विदेश से निवेशक यहां आने के इच्छुक हैं और आते जाते रहते हैं। यहां पर उद्यमियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राजातीय स्तर पर निर्यात होता है जिसके कारण दूसरे प्रदेशों में आना

जाना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए।

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Thank you, Sir, for the opportunity. This is with reference to improving the facilities at the Vellore Cantonment Railway Station, which if done, will be user-friendly and revenue-intensive.

The Railway Station has about 500 acres of prime land situated in the heart of the city and the place can be utilized for development of Yatri NIwas and hospital; the passenger trains proceeding from Katpadi to Tirupati may as well leave from Vellore Cantonment; the Tirupati-Rameswaram Express, which runs thrice weekly may run on all seven days of the week; the Chennai Beach – Vellore train may stop at Vellore Town Railway Station on the down trip to enable passengers to de-board there; the new trains to South Tamil Nadu may be operated on the Vellore-Villupuram route starting from Vellore Cantonment; of the three daily passenger trains from Katpadi to Villupuram one may be extended to Puducherry; and there are other passenger amenities, which can be extended. Thank you, Sir.

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मां के द्वारा बच्चों को दूध पिलाए जाने के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हम अपने देश की 50 प्रतिशत मां बनने वाली महिलाओं को जागरुक बनाएंगे कि वह पहले छः महीने में अपने बच्चों को दूध पिलाएं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विश्व में केवल 38 प्रतिशत महिलाएं ही प्रथम छः महीने में अपने बच्चों को ही दूध पिलाती हैं। बच्चों को प्रथम छः महीने में दूध न पिलाए जाने के कारण आठ लाख बच्चों की मौत प्रति वर्ष हो जाती है। भारत जैसे देश में जहां आजादी के 68 साल बाद भी करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और अधिकतर बच्चे पांच वर्ष की आयु से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे देश में इस अभियान को अन्य राष्ट्रों के मुकाबले और तीव्र गति से चलाए जाने की आवश्यकता है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Rattan Lal Kataria.

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मुम्बई क्षेत्र में बहुत-सी पुरानी इमारतें हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन पुरानी इमारतों में से बहुत-सी एलआईसी की हैं। मेरे गृहगांव में आंगरेवाड़ी वल्लभभाई पटेल रोड पर 111 वर्ष पुरानी इमारत है। इस इमारत की हालत इतनी बुरी है कि लोगों का रहना यहां रहना बहुत मश्किल है और कभी भी हादसा हो सकता है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उचित कदम उठाकर इनका जीवन सुरक्षित करें और इस इमारत का पुनर्निर्माण करें।

HON. DEPUTY SPEAKER : Shri Vinayak Bhaurao Raut, Shri Rahul Shewale and Dr. Shrikant Eknath Shinde are permitted to associate with the issue raised by Shri Arvind Sawant.

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश की ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने में आठ लाख आशा बहु कन्याकुमारी से कश्मीर तक कार्यरत हैं, उन्हें किसी भी गर्भवती महिला को जिला स्वास्थ्य केंद्र पर या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तीन बार डिलीवरी से पहले ले जाना पड़ता है और मात्र छह सौ रुपया उन्हें मानदेय के रूप में मिलता है। हमारे राज्य में वह मानदेय भी कई महीनों से नहीं मिल रहा है। आज मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और सुरक्षित प्रसव कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एनआरएचएम में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें छह सौ रुपया प्रोत्साहन राशि की जगह पर देश की आठ हजार आशा बहुओं को तीन हजार रुपए मानदेय के रूप में दिया जाना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER : Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.

**श्री ओम बिरला (कोटा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कोटा में सर्किट बेंच खोली जाए। कोटा, बूंदी, बाला झालावाड़ मिलाकर सम्भाग में हजारों केस पेंडिग है। जिसके लिए गरीब व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

महोदय, हमारी सरकार की मंशा है कि सस्ता और त्वरित न्याय मिले। आज के समय में 35 हजार के करीब पेंडिंग केस जयपुर हाई कोर्ट में पड़े हैं। मेरी मांग है कि कोटा में सर्किट बेंच खोली जाए, ताकि गरीब व्यक्ति को सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके।

*SHRI G.HARI (ARAKKONAM) : Hon'ble Deputy Speaker Sir, Vanakkam. Arakkonam railway station is one of important and old railway stations in my Arakkonam parliamentary constituency. Thousands of passengers from North India and several parts of the country frequently use this Arakkonam railway station. As many bogies of several trains stand outside the platforms at this railway junction, I urge that the Platform Nos.1 and 2 should be extended. People including students, senior citizens and women, face lots of hardships while boarding and de-boarding trains due to inadequate platform length. Recently an accident has taken place in Arakkonam junction resulting in loss of a precious human life. I therefore urge upon the Hon'ble Railway Minister and Railway Ministry to undertake work relating to extension and up-gradation of platform Nos. 1 and 2 at Arakkonam railway junction immediately. Thank you.

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में मेडिकल कालेज और जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केंद्र सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत राज्य के निवासियों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए योजना बनाकर दी जाती है। इसी के तहत राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन वहां के मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार ने 280 करोड़ रुपए की आवश्यकता के प्रस्ताव भेजे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज किया जाए ताकि राज्य में स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले।

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

**श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :** महोदय, जीरो आवर में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से देश भर में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 80 मेडिकल कालेजों में इस योजना के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक्स स्वीकृत किए जाने हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर, जयपुर एवं अजमेर मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशियलिटी अवस्थापना के 280 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को 1 मार्च, 2015 को भिजवाया जा चुका है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आम जनता को दिलाया जा सके। धन्यवाद।

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, "Mother Tamil has given many a scientists, scholars, poets, philosophers and unparalleled leaders to the country and Dr. A.P.J Abdul Kalam was a prominent one among them", was the encomium paid by our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma. Dr. A.P.J. Abdul Kalam once said: "A dream is not the one that comes in sleep, but the one that not allows to sleep." He started as a researcher, evolved as a missile scientist and proved as a physicist. That is why, Pokhran-II has forced the super power of the world to forecast that India will be a super power in 2030. Hence, our dynamic leader hon. Tamil Nadu Chief Minister Amma found Dr. Abdul Kalam a dedicated visionary motivating the youth with scientific temper to make India a great power.

When Dr. APJ's name was proposed for the highest office by hon. Atal Behari Vajpayee, the then Prime Minister, hon. Dr. Puratchi Thalaivi Amma extended her whole-hearted support. So, naturally, the Government of Tamil Nadu led by our hon. Amma has declared October 15, the birthday of Dr. Kalam as Youth Awakening Day and an award of eight gram gold medal with Rs.5 lakh cash has also been instituted in his honour. On this occasion, I would like to urge upon the Union Government to establish Abdul Kalam Memorial Museum in the

National Capital and the DRDO Bhavan in the vicinity of his Delhi residence, must be re-named as Abdul Kalam Bhavan. The birth and death anniversaries of Dr. Kalam must be observed in a befitting manner.

**श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी द्वारा संचालित विद्युत परियोजना में से 7.19 प्रतिशत का हिस्सा मिलना था, लेकिन बीबीएमबी 2.7 प्रतिशत हिस्सा ही देती रही है। प्रदेश सरकार ने इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष कई बार उठाया, लेकिन प्रदेश की इस मांग पर किसी भी स्तर से गौर नहीं किया गया। आखिर, हिमाचल प्रदेश ने इस मामले के संबंध में कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसके तहत बीबीएमबी को 4550 करोड़ रुपये का बकाया देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आज तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके एवज़ में बीबीएमबी को केन्द्र सरकार ने 1497 करोड़ रुपये का बकाया देने का निर्देश दिया। यह बकाया राशि हिमाचल प्रदेश वैधानिक हिस्सा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विद्युत मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 4550 करोड़ रुपये की राशि अतिशीघ्र अदा करे। धन्यवाद।

**श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान के काश्तकारों की एक बहुत बड़ी समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की है। राजस्थान में ड्रिप-इरिगेशन के द्वारा काफी सिंचाई की जाती है। इसी प्रकार से, जो वाटर पौंड है, जिसे डिग्गी कहते हैं, यह श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ की तरफ काफी संख्या में हैं। सोलर सिस्टम तथा उक्त दोनों साधनों पर जो सब्सिडी है, उसमें सेन्ट्रल शेयर काफी कम कर दिया गया है। सब्सिडी कम होने से काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही है। मेरा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तथा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि काश्तकारों की सब्सिडी को पुनः वैसे ही दिया जाए, जैसे पहले दी जा रही थी। धन्यवाद।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is regarding continuance of Central assistance for area-specific development programmes.

Government of India have accepted the recommendations of the 14$^{th}$ Finance Commission to increase the devolution of Central taxes from 32 per cent to 42 per cent in order to place higher resources with the States and provide

greater autonomy to them in formulating their own schemes in accordance with local needs.

However, on the other hand the Union Government's decision to de-link eight schemes from Central support, abolish Gadgil-Mukherjee formula based normal Central Assistance for State Plan and change the sharing pattern of 33 Centrally-sponsored schemes will substantially reduce the funds of the States. For example, in Odisha the loss on account of reduction in Central Assistance comes to Rs.8037.26 crore. This is not going to be set off by the 10 per cent increase in devolution which normatively works out to Rs.5888.43 crore. Thus, the Odisha Government has to bear the additional liability of Rs.2148.83 crore.

Therefore, Sir, I would request the hon. Union Minister of Finance to continue the projects like Integrated Action Plan for left-wing extremism affected areas, development schemes and other programmes which are given to the State of Odisha. Thank you.

**श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर):** महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद विलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का दूसरे नम्बर का शहर है, वहां पर करीब दस साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति हुई थी, जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि विलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है, रेलवे जोन का मुख्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपोलो हास्पिटल है, एसईसीएल का मुख्यालय है, एनटीपीसी का एक कार्यालय है। ऐसे बहुत से संस्थान वहां कार्यरत हैं, जिनमें प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के लाखों लोग जाकर अपने काम कराते हैं, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130, जो रायपुर से विलासपुर को जोड़ता है, अधूरा होने के कारण और बहुत व्यस्त मार्ग होने के कारण हमेशा यातायात जाम हो जाता है। इसकी वजह से लोग समय पर अपने काम नहीं कर पाते हैं। जिन पक्षकार लोगों को समय पर हाईकोर्ट में उपस्थित होना होता है, वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है।

मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरन्त चालू कराकर पूर्ण कराने की कृपा करें।

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। देश में सीमा पार बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियां चिन्ताजनक हैं। पंजाब के गुरूदासपुर एवं ऊधमपुर की हाल की घटनाएं इसके उदाहरण हैं। इन घटनाओं से

एवं जिन्दा पकड़े गए आतंकवादी कासिम ने जिस प्रकार से जानकारी दी है, उससे स्पष्ट है कि इन आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान का सीधा हाथ है। बड़ी संख्या में आतंकी पाकिस्तान सीमा से हमारी सीमा में घुसकर यहां वार करते हैं और दहशतगर्दी पैदा करते हैं। हमारे जवान अपनी शहादत देकर ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की कारगुजारियों को उजागर करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए, सीमा पार चल रहे आतंकी अड्डों को नष्ट करने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान ऐसी जुर्रत न कर सके और हमारे यहां ऐसी आतंकवादी गतिविधियां रुक सकें। धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** महोदय, नगरीय विकास अभिकरण- डूडा द्वारा मेरठ तथा हापुड़ में निरन्तर भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। मेरठ में डूडा द्वारा किए गए भवन एवं शौचालयों के निर्माण में की गयी धांधली स्थानीय प्रशासन द्वारा की गयी जांच में सामने आई थी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अल्पसंख्यक बाहुल्य और मलिन बस्तियों के विकास कार्य में डूडा के अधिकारियों ने लाखों रुपये का घोटाला किया है। जिन सड़कों का निर्माण नगर निगम ने दो साल पहले पूरा कर दिया था, डूडा ने उन्हीं सड़कों पर निर्माण कार्य किया जाना दिखा दिया है। हापुड़ नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी डूडा द्वारा इसी प्रकार किए गए घोटालों की खबरें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। डूडा द्वारा किए गए निर्माण कार्यों में मानको के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर डूडा की कार्यपद्धति में पारदर्शिता का सर्वथा अभाव है तथा नगरीय क्षेत्रों में, विशेषकर मलिन बस्तियों के विकास के लिए बनाया गया यह अभिकरण आपराधिक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ तथा हापुड़ में डूडा द्वारा किए गए एवं कराए गए निर्माण कार्यों तथा इनकी कार्यपद्धति की उच्चस्तरीय एवं व्यापक जांच कराई तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भवनीपुर में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जबकि मेरे क्षेत्र के माधौगढ़, उरई, कालपी, गरौठा और भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्रों के अधिकांश परिवारों के सदस्य बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं सेना में कार्यरत हैं, जो बहुत दूर अन्य प्रदेशों में एवं देश के बॉर्डर्स पर नौकरी करते हैं और उनके परिवार के बच्चे क्षेत्र में ही रहते हैं। चूंकि बुंदेलखण्ड क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये जवान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। माधोगढ़ क्षेत्र में बहुत जमीन वेस्ट लैंड के रूप में पड़ी हुई है। अतः केन्द्रीय विद्यालय के मानक के

रूपमें जगह भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने हेतु एक केन्द्रीय विद्यालय वहां खुलवाने का कष्ट करें।

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** उपाध्यक्ष जी, पुलिस संचार के आधुनिकीकरण के लिए स्थलीय ट्रंक रेडियो प्रणाली (टेट्रा) का कार्य गुजरात में प्रगति पर है। इसके कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) केन्द्र सरकार से (कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवा) आवृत्ति लाइसेंस पाने के लिए गुजरात सरकार ने आवेदन किया है। इसके अंतर्गत 09-12-2014 को सभी आवश्यक रूपों और लाइसेंस प्रोसेसिंग फीस डॉट (डी.ओ.टी.) केन्द्र सरकार को दी गई है। उन्होंने चार शहरों जैसे अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत को दिनांक 11-102014 को मंजूरी दे दी थी। इस संबंध में सभी तकनीकी प्रक्रिया डब्ल्यू.पी.सी. केन्द्र सरकार को पूरी की जा चुकी है। डी.ओ.टी. के लिए सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क 18,10,17,817 रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। लेकिन अब जून 2015 में (ए-3) के लिए 31.03.2016 तक और विलंब शुल्क अप करने के लिए, जिसमें स्पेक्ट्रम शुल्क भी शामिल है, इसमें 93,51,17,673 रुपए की राशि की गणना की जा रही है। मेरी विनती है कि इस राशि में से टेट्रा प्रणाली के लिए लाइसेंस जारी करने के आवेदन के साथ स्पेक्ट्रम शुल्क को बकाया राशि से न जोड़ें तथा विलंब शुल्क को हटाने के लिए भी एक पत्र गुजरात सरकार ने भेजा है।

मेरी केन्द्र सरकार के गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से विनती है कि गुजरात पुलिस में टेट्रा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस जल्द से जल्द भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा गुजरात पुलिस को जारी किए जाएं।

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Deputy Speaker, Attur fort is located on the bank of river Vasista Nadi in Attur municipality of Salem district. The fort was built by Lakshmana Nayanan, then the local chieftain of the region in the 17th century. The fort was subsequently captured by the Mysore kingdom, Hyder Ali, Tipu Sultan and British East India Company. Finally, the fort became part of the British East India Company. Under the British rule, Attur fort was used as a garrison and ordnance depot till 1854.

The fort occupies about 62 acres of area. The walls of the fort are about 30 feet tall and 15 feet wide. The fort is guarded by the river one side and a ditch on the other sides. Inside the fort, the local chieftain Gatti Mudali built Vishnu

Temple. The fort is now under control of the Archeological Survey of India. The fort is encroached upon by the local public and is in a dilapidated condition. Hence, I request the Minster of Culture and Tourism to allocate adequate funds to repair and renovate the Attur fort and take necessary steps to make the fort a tourist place.

**श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) :** उपाध्यक्ष जी, कल भी किसानों की बदहाली के ऊपर शून्य काल में काफी चर्चा हुई थी। कृषि प्रधान भारत का किसान खेती से भरपूर मेहनत करके, भारतीय मानव के लिए अनाज पैदा करता है। किसान को फसल चक्र में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का भय बना रहता है। यदि प्राकृतिक आपदाओं से खेती नष्ट होती है, तो इसका पीड़ादायक खामियाजा किसान, उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है। वित्तीय दुर्दशा के कारण किसान एवं उसके परिवार की जीवनी नरक बन जाती है। इन्सान कितना भी बड़ा हो, वह आखिर थाली में ही रोटी खाता है। रोटी बिना इन्सानी जीवन को समाप्ति का डर रहता है। फसल दुर्दशा तथा सूखे की स्थिति में देश को बाहरी देशों से अनाज आयात करना पड़ता है। आयात शुल्क का खर्चा देखें तो महसूस होता है कि हम इतना किसान व खेती में स्थाई सहायता प्रबंधन नीति बनाकर किसान को सालाना देते रहते तो देश के आयात शुल्क के तौर पर सालाना खर्चे में काफी बचत होती। किसान से स्थाई तौर पर खुश रहने से उनकी आत्महत्याएं भी रुकेंगी। सुझाव के तौर पर निशुल्क बीज-खाद-दवाइयां किसान को फसल बोने से लेकर उत्पादन तक तालिका समय बनाकर ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम स्तर पर पारदर्शी वितरण प्रणाली से स्थाई सहायता प्रदान की जाए। जिससे किसान दुर्दशा पर सहायता, फसल दुर्दशा पर सहायता, आयात शुल्क का सालाना खर्च काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। सूखा व फसल दुर्दशा पर बीज, खाद और दवाई खर्च से किसान परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि वह सरकारी खर्चे से मिलेगी। किसान पर इससे वित्तीय बोझ नहीं रहेगा और ऋण चक्कर से किसान मुक्त हो जाएगा। इससे किसान आत्महत्याएं रुकेंगी। यह वितरण हमेशा बारिश से पूर्व अर्थात, प्रति वर्ष 1 मई से 25 मई के दौरान किया जाना चाहिए। वितरण विलंब पर स्थानीय जिलाधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय कृषि आयुक्त पर जवाबदेही कायम की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: You have asked for taking action against officers concerned who are responsible.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You come to the point. I tell you, you have to specify it within a minute; do not narrate everything. Just say what you want.

… (*Interruptions*)

**श्री नाना पटोले:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रिसपैक्ट करता हूं और मैं एक किसान हूं और किसानों की आत्महत्या रोज बढ़ रही हैं, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि किसानों के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इत्यादि के लिए आयोग बने हैं, उसी प्रकार से किसानों के लिए भी देश में एक आयोग बनना चाहिए। यह मेरी मांग है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Nana Patole.

**श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। उस समय अखण्ड भारत की आबादी 25 करोड़ थी। आज विभाजित भारत के बावजूद हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है। लेकिन इस 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जिसने इस देश को चार प्रधानमंत्री दिए, चार मुख्य न्यायाधीश दिए, हजारों आईएएस ऑफिसर्स अनेक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले दिए। वर्ष 2005 में इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आज मेरे उस विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि 850 में से 300 टीचर हैं। वहां पूर्णकालिक वाइस चांसलर नहीं है। वहां की छात्रावासों की स्थिति खराब है। बाद में बने हुए विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कैम्पस बन गए हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि उसके संगठक दस विद्यालय हैं, उसमें से आठ में प्रधानाचार्य नहीं है क्योंकि पूर्णकालिक वाइस चांसलर नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसिज के लिए प्री-एग्ज़ामिनेशन का एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पढ़ाया जाता था। उसको अनुदान देना बंद कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति उससे भी खराब है, उसको ध्यान में रख कर के वहां छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग विंग की व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त कैंपस का निर्माण कर, पूर्णकालिक VC एवं संगठक कॉलेजों को बचाया जाए।

**श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :** महोदय, कोंकण की समुद्री सीमा लगभग 720 किलोमीटर है, परन्तु समुद्री सीमा की सुरक्षा के साधन पर्याप्त नहीं हैं। 26/11 को समुद्र की सीमा से ही आतंकवादियों ने हमला किया था, परन्तु उसके बाद भी देखने में आया है कि पर्याप्त भागों में समुद्री रक्षक तैनात नहीं किए गए हैं। समुद्र के किनारे बसे शहरों, गांवों जैसे पालघर, ठाणे, मुम्बई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग के जिलों

में रहने वाले मछुआरों, जिन्हें महाराष्ट्र में कोली कहते हैं, को समुद्री सीमा और उसमें होने वाली हलचल का बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। इनमें से शिक्षित मछुआरों को समुद्री सीमा सुरक्षा की ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाया जा सकता है, जिससे वे समुद्र के कार्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सरकार के फिशरी विभाग, गृह विभाग, कोस्ट गार्ड सीमा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। परन्तु इनमें कोस्ट गार्ड को छोड़कर अन्य विभागों के लोगों को तैरना या नाव चलाना भी नहीं आता है और समुद्र के बारे में उनको अधिक जानकारी भी नहीं होती है। अतः मेरा सुझाव है कि इन शिक्षित मुछआरों को समुद्री सुरक्षा की ट्रेनिंग के लिए योजना बनायी जाए और उन्हें समुद्री सीमा सुरक्षा बल में सम्मिलित करके उन्हें समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसके लिए उन्हें अलाउंस भी दिया जाए। इससे बेरोजगारी भी कम होगी और समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ तस्करी पर भी लगाम कसी जा सकेगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Shri Vinayak Bhaurao Raut and Dr. Shrikant Eknath Shinde is permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि डीटीएच केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को कनैक्शन देते समय एक निश्चित धनराशि की बात करते हैं कि दो सौ या ढाई सौ रुपये प्रति महीने पर आपको केबल के सुविधा देंगे, लेकिन वह सुविधा उनको न देकर के कनेक्शन जब उपभोक्ता ले लेता है तो आए दिन उनको हर चैनल के साथ यह कहकर कि यह पे-चैनल है अतिरिक्त पैसे की मांग करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि किसी का वहां चैनल चल रहा होता है और वहां किसी का रिश्तेदार बैठा रहता है और चैनल ऑपरेटर्स के द्वारा एक डिस्पले आना शुरू हो जाता है कि तत्काल आप पैसा जमा करें नहीं तो आपका केबल कनेक्शन काट दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इस तरह से उपभोक्ताओं के साथ प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स के द्वारा यह जो अन्याय किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि वह पैसा लेकर जब उपभोक्ताओं को सुविधा दे रहे हैं तो उसमें विज्ञापन भी वह देना बंद करें, जिससे उपभोक्ताओं का हित हो सके।

**श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जनपद बलरामपुर में बैंकों द्वारा किसानों के साथ किए गए धोखे की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बैंकों को किसानों का मित्र बनाना चाहते हैं और इस दिशा में भारत सरकार ठोस प्रयास भी कर रही है। लेकिन उन्हीं बैंकों के द्वारा

किसानों के साथ धोखा करने का काम किया गया है,, बल्कि मैं यदि यह कहूं कि अमानत में खयानत करने का काम किया है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

महोदय, हमारे जनपद बलरामपुर में 1,52,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं और केसीसी धारक किसानों की फसलें बीमित होती हैं। केसीसी करते समय ही बैंकर उसका बीमा करके प्रीमियम काट लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014-2015 की खरीफ की फसल के लिए बैंक ने बीमा कंपनी को मात्र 64 किसानों का प्रीमियम भेजा था और प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2014 थी। 15 अगस्त, 2014 को नेपाल द्वारा छोड़े गये पानी के माध्यम से जो भीषण बाढ़ आई, उसमें लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम न जमा करने वजह से उन्हें इसका लाभ नहीं मिला।

इसी तरह से रबी की फसल में भी मात्र 1,00,276 किसानों का प्रीमियम जमा किया गया, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल सका। केसीसी धारकों के अलावा भी पचास हजार किसान बीमा कराये हुए हैं, लेकिन उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सका।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग करता हूं कि कड़े कानून के तहत बैंकों के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की लापरवाही का खामियाजा किसानों को न भुगतना पड़े, बल्कि बैंक की लापरवाही पर बैंकों को स्वयं ही क्षतिपूर्ति उसी तरह करना पड़े, जैसे कि बीमा कंपनियां करती हैं।

**श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र ) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐसा व्यवसाय है, जिसके लोग दिन-रात जागकर पूरे देश के लोगों की सेवा करते हैं और खुद भूखे रहते हैं। आज ट्रकों का व्यवसाय बहुत ही घाटे में जा रहा है। आज हमारी सरकार देश में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है, परंतु बड़ी मोटर कंपनियों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जिससे कि उनके वाहन ज्यादा से ज्यादा बिकें। उदाहरण के तौर पर जैसे 6 ट्रक टायर नौ टन पास है। परंतु यह 18 से 20 टन तक की ढुलाई कर सकता है। इसी प्रकार से दस टायर वाला ट्रक 15 टन पास है, जबकि उसकी कैपेसिटी 30 से 35 टन तक की ढुलाई करने की है। परंतु खर्चा निकालने के लिए यदि वह ओवरलोड करता है तो वह लुटता है। उसे हर स्टेट की पुलिस चालान का भय दिखाकर लूटती है। परंतु इसके विपरीत यदि 6 टायर वाली गाड़ी की पासिंग 15 टन और 10 टायर वाली गाड़ी की कैपेसिटी को 30 टन तक रखा जाए, इससे न केवल देश में डीजल की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक के अत्यधिक रश पर भी कंट्रोल रहेगा तथा जो करोड़ों लोग इस रोजगार से जुड़े हैं, उनके बच्चों को कम से कम दो वक्त की रोटी नसीब हो जायेगी। इससे माल भी सस्ते में ढुलेगा और

महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों में भी इस तरह के ट्रकों की क्षमता ज्यादा रखी हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सदन और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे तथा जो कानून मोटर कंपनियों के हित में बनाये गये हैं, वे ज्यादा से ज्यादा जनता और इस व्यवसाय के हित में बनाये जाएं। धन्यवाद।

**श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद उत्तर प्रदेश है, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र तीन नदियों के मध्य में बसा हुआ है - गंगा नदी, रामगंगा नदी और काली नदी। जब भी बाढ़ आती है तो हमारे संसदीय क्षेत्र के किसानों व खेतिहर मजदूरों के गांव के गांव कट जाते हैं और जब गांव और उपजाऊ जमीन कट जाती है तो वहां के किसान शहरों में आकर या तो रिक्शा चलाते हैं या फुटपाथ पर भीख मांगकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जहां बड़े स्तर पर ऐसे कटान होते हैं, जहां गांव के गांव नदियों में समा जाते हैं, वहां बांध बनाकर या ठोकर बनाकर उन गांवों को कटाव से रोकने का प्रयास किया जाए, जिससे उन गांवों के किसानों व खेतिहर मजदूरों को बेघर होने के बचाया जा सके और उनकी उपजाऊ की जमीन को भी कटने से बचाया जा सके।

इसके अलावा भी यदि गांव कटते हैं, उनके लिए जहां कहीं भी जो सरकारी जमीन पड़ी हो, उस पर इन्दिरा आवास के माध्यम से बेघर लोगों के लिए नये मकान बना दिये जाएं। यदि देश और प्रदेश में ऐसी घटना घटे तो सरकार वहां तुरंत इस तरह की कार्रवाई करे। धन्यवाद।

**<u>14.00 hrs</u>**

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं बुंदेलखण्ड क्षेत्र से आता हूँ। हमारे बुंदेलखण्ड में पिछले दस वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। सारे किसान पलायन के लिए मजबूर हैं। हमारे यहां किसान बड़े आशान्वित हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो प्रधान मंत्री कृषि योजना की जो शुरूआत की है, मेरा भारत सरकार से आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में कई जगह सिंचाई की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंचाई की योजना में कुछ प्रावधान किया जाए कि सबसे पहले बुंदेलखण्ड में सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके बाद कहीं दूसरी जगह पर काम प्रारंभ किया जाए और देश के जितने सूखे हिस्से हैं, सबसे पहले उनको इसमें लिया जाए,

ताकि किसानों का भला हो और मेरे क्षेत्र से यह पलायन रूक सके, नौजवानों को रोज़गार मिल सके और लोग वहीं पर अपने बुज़ुर्गों की सेवा कर सकें।

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर):** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में बीना एक शहर है, जिसकी आबादी लगभग एक लाख से ऊपर है। वहां पर बीओआरएल, भारत ओमान रिफाइनरी है और बिजली का भी एक बहुत बड़ा प्लांट है। परंतु वहां पर दूरदर्शन का केंद्र न होने के कारण वहां के लोगों को दूरदर्शन स्पष्ट नहीं दिखता है। अतएव मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मांग करता हूँ कि वे वहां पर एक दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.00 p.m.

**<u>14.02 hrs</u>**

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.*

---

**<u>15.25 hrs</u>**

*The Lok Sabha re-assembled at *Twenty-Five minutes past Fifteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** उपाध्यक्ष जी, मैं सूचना देना चाहता हूं।...(व्यवधान) अभी बिहार में 100 महिलाओं को लाठी से पीटा गया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already raised the matter. The Minister has already replied. You want to raise the matter again. That matter is over.

… (*Interruptions*)

---

* At 1500 hours quorum bell was rung. No quorum was made. At 1504 hours quorum bell was rung again and no quorum was made. At 1508 hours once again quorum bell was rung and no quorum was made. Thereafter, the Secretary-General informed the members present as follows:

> "There is no quorum. The House cannot meet. Hon. Deputy Speaker has directed that the House will now meet at twenty-five minutes past Fifteen of the Clock."

**15.25 ½ hrs**

## DISCUSSION UNDER RULE 193

### Sustainable Development Goals – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up Discussion under Rule 193; Shri Prahlad singh Patel to continue.

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** कल जब मैंने चर्चा शुरू की थी तो मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में विकास के खिलाफ अगर कोई चीज आती है तो वह जनसंख्या है। जनसंख्या के इतने बड़े घनत्व के बाद हम इस सदन में आवास की बात करते हैं तो वह नाकाफी और बेईमानी होगी। अगर जनसंख्या बढती रही तो हम सभी को आवास नहीं दे पायेंगे। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधायें जनसंख्या के आधार पर ही तय होंगी कि हम उन्हें पूरा कर पायेंगे या नहीं पूरा कर पायेंगे। मैंने कल तीन बातों का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि हम चीन और अमेरीका जैसे विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति के लोग नहीं है। हमें भारत की सीमा के भीतर ही अपनी जमीन पर अपने लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जनसंख्या के कारण शिक्षा में भी जो संकट पैदा हुआ है, वह हम सबके सामने है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो मैं तीन बातों पर अपनी बात को केन्द्रीत करूंगा और सबसे अंत में कहूंगा कि जनसंख्या के कारण सुरक्षा पर भी संकट पैदा हुआ है। मैंने आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा और कृषि भूमि के बारे में कहा है। आज कृषि भूमि घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। हम सब साम्राज्यवादी नहीं हैं। हम किसी दूसरे पर कब्जा करके अपनी जमीन की बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है तो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम कौन करेगा? क्या रासायनिक खाद का उपयोग उसे बढ़ायेगा? रासायनिक खादों के उपयोग ने देश में होने वाली पहली हरित क्रांति ने जो नुकसान पहुंचाया है, हरियाणा और पंजाब उसका उदाहरण है। हमें नये सिरे से उस पर विचार करना पड़ेगा। हमने दो सौ साल की पहले की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। आज भी समय है कि हम समय के पहले जागें और इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन स्वीकार करे, नीतियां बनाये। मैं दुनिया के दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब अंग्रेज आये थे तो उन्होंने पहाड़ों को नष्ट किया। मैंने कल एक आंकड़ा दिया था और मेरे एक सहयोगी ने पूरे पहाड़ी प्रदेशों के पशुधन की जब बात की थी। पहाड़ों में 0.01 प्रतिशत पशुधन बचा है। यह गिरावट अंग्रेजों के समय शुरू हुयी थी और हम यहां तक पहुंच गये है। आज पहाड़ धंसने लगे हैं और गंगा में लगातार बाढ़ आ रही है। आज से 60 साल पहले भी यह चेतावनी दी गयी थी कि उसके पीछे वहां पर पशुओं का नहीं

रहना है। गाय का एक किलो गोबर 9 लीटर पानी को ऑब्जर्व करता है, वह मिट्टी को कटाव से बचाता है और साथ में उर्वरा शक्ति भी प्रदान करता है, इसके अलावा दुनिया में किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। कई बार लोगों को देश की कुछ बातों पर विश्वास नहीं होता है। मैं अफ्रीका का उदाहरण देना चाहता हूं। सभी एलेन शाद्री वैज्ञानिक को जानते हैं। वहां पर 22,000 हाथियों को इसलिए मार दिया गया था कि लोगों ने यह माना कि उनसे अफ्रीका के जंगल खराब हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के वध होने के बाद अफ्रीका के जंगल सूख गये। उसी समय एलेन शाद्री का नाम आया। उन्होंने अनुसंधान करने के बाद दुनिया को बताया। यह वर्ष 1950 के आस-पास की बात है। भारत की जो गाय है उन्हें अगर यहां पर स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने दिया जाये तो रास्ता निकल सकता है। शायद लोग हमारी बात पर विश्वास न करें लेकिन उस प्रयोग पर लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। सात वर्षों के बाद जंगल हरे हो गये, मिट्टी की कटाव में कमी आ गयी। मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं अगर हम इन बातों को मानते हैं कि उर्वरा शक्ति के कोई दूसरे रास्ते हैं कि जमीन की उर्वरा शक्ति को रोका जा सकता है, उसकी गिरावट को बचाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई बंजर भूमि है, उसे भी ठीक करने का कोई रास्ता दुनिया के पास आज भी है तो वह सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर का है। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमेशा चर्चा को गलत दिशा दे दी जाती है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन में कहूंगा कि यदि आप मानते हैं कि हमें विकास के कुछ पैमाने तय करने हैं तो पहले हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। हमारे पूर्वजों ने जो चेतावनी दी थी, मैंने अपनी चर्चा प्रारंभ करते समय कहा था कि दुनिया में वह संस्कृति कौन सी है जो हजारों साल से जिन्दा रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। वे देश कौन से हैं जिन्होंने उतनी ही सीमाओं के भीतर रहकर अपनी जनता को सुखी और सम्पन्न रखा। हमने कभी शायद इस पर विचार किया होता तो मैं मानता हूं कि हम कभी गलत दिशा में नहीं जाते।

मैं दूसरा उदाहरण नोबल विजेता डा. जोहना वुडविक का देना चाहता हूं। उन्होंने 1931 में काम शुरू किया। वे इस बात के लिए छः बार नामित हुईं। वे जर्मनी की थीं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Prahlad Singh Patel, you may continue next time.

---

**15.31 hrs**

## PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up Private Members' Business – Introduction of Bills.

Item No. 15, Shri Kalikesh N. Singh Deo – not present;
Item No. 16, Shri Kalikesh N. Singh Deo – not present;
Item No. 17, Shri Kalikesh N. Singh Deo – not present
Item No. 18, Shri Pankaj Chaudhary

### (i) Bhagwan Buddha Central Homeopathy University Bill, 2015*

**श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी के संवर्धन और होम्योपैथी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a University at Maharajganj in the State of Uttar Pradesh for the promotion of Homeopathy and encouraging research in Homeopathy."

*The motion was adopted.*

**श्री पंकज चौधरी:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

**15.31 ½ hrs**

## (ii) Eradication of Unemployment Amongst the Youth Belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Bill, 2015*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को अभिलाभपूर्ण नियोजन का अधिकार सुनिश्चित करते हुए उनमें व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन करने और उनमें बेरोजगारों को बेकारी भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the eradiation of unemployment amongst youth belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes by ensuring right to gainful employment and payment of unemployment allowance to the unemployment amongst them and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 20, Shri Rakesh Singh – not present;

Item No. 21, Shri Chandrakant Khaire – not present.
Item No. 22, Shri Adhalrao Patil Shivajirao.

**15.32 hrs**

## (iii) Education Bill, 2015*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for framing of a comprehensive education policy and for matters connected therewith.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for framing of a comprehensive education policy and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce the Bill.

---

**15.32 ½ hrs**

**(iv) Constitution (Amendment) Bill, 2015***
***(Insertion of new article 15A)***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce the Bill.

---

**15.33 hrs**

**(v)Railways (Amendment) Bill, 2015***
***(Insertion of new Chapter XIIIA)***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend he Railways Act, 1989."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

*The motion was adopted.*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce the Bill.

---

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 41, Dr. Ravindra Babu.

**15.33 ½ hrs**

**(vi)Special Financial Assistance to the State of Andhra Pradesh Bill, 2015***

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Andhra Pradesh for the purposes of promoting the welfare of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of people, agricultural labourers and unemployed citizens, development of infrastructure in the State, development of backward districts; exploitation and proper utilization of its resources and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Andhra Pradesh for the purposes of promoting the welfare of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of people, agricultural labourers and unemployed citizens, development of infrastructure in the State, development of backward districts; exploitation and proper utilization of its resources and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

DR. RAVINDRA BABU: Sir, I introduce the Bill.

---

HON. DEPUTY-SPEKER: Item No. 25, Shri Dushyant Chautala.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

**15.34 hrs**

**(vii)Religious Institutions (Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2015***

***(Amendment of section 2, etc.)***

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988."

*The motion was adopted.*

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: Sir, I introduce the Bill.

---

**15.34 ½ hrs**

**(viii)Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2015***

***(Amendment of Sections 2 and 13)***

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971."

*The motion was adopted.*

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

**15.35 hrs**

## (ix) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2015*
### *(Substitution of new sections for section 304A)*

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

*The motion was adopted.*

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I introduce the Bill.

---

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.28 – Shri Prem Das Rai – Not present.

Item No.29 – Shri Gopal Chinayya Shetty.

**15.35 ½ hrs**

## (x) Gutka and Pan Masala (Prohibition) Bill, 2015*

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गुटका और पान मसाला के उत्पादन, संवर्धन और विक्रय का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the manufacture, promotion and sale of gutka and pan masala."

*The motion was adopted.*

**श्री गोपाल शेट्टी:** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

**15.36 hrs**

## (xi) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
## (Insertion of new Article 16A)

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**श्री गोपाल शेट्टी:** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.36 ½ hrs**

## (xii) Unauthorised Colonies, Slums and Jhuggi-Jhopri Clusters (Basic Amenities and Other Provisions) Bill, 2015*

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो या दो वर्षों से विद्यमान अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और ऐसी अनधिकृत कालोनियों, मलिन और झुग्गी-बस्तियों में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, शौचालय, सीवरेज और कूड़े-कचरे का प्रबंधन जैसी बुनियादी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the regularization of unauthorized colonies existing for two or more than two years and to provide basic amenities like drinking water, sanitation, healthcare, electricity, toilets, sewerage and management of garbage in such unauthorized colonies, slums and jhuggi-jhopri clusters and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री गोपाल शेट्टी :** मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

**15.37 hrs**

**(xiii)Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Bill, 2015***

***(Insertion of new section 43A)***

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निःशक्त व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995."

*The motion was adopted.*

**श्री गोपाल शेट्टी :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

** Introduced with the recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**15.37 ½ hrs**

## (xiv)Constitution (Amendment) Bill, 2015*

### *(Amendment of the Preamble, etc.)*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.34 – Shri Yogi Adityanath – Not present.

Item No.35 – Shri Yogi Adityanath – Not present.
Item No. 36 – Shrimati Supriya Sule – Not present.
Item No.37 – Shrimati Supriya Sule – Not present.
Item No. 38 – Shrimati Supriya Sule – Not present.
Item No. 39 - Shrimati Supriya Sule – Not present.
Item No.40 – Shri C.R. Patil.

**15.38hrs**

## (xv) Writing of Medical Prescriptions in Capital Letters and Opening of Generic Medicines Shops Bill, 2015*

**श्री सी.आर. पाटील (नवसारी) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश अनिवार्य रूप से लिखने और जेनरिक औषधि दुकाने खोलने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to provide for compulsory writing of medical prescriptions in capital letters and for opening of generic medicines shops."

*The motion was adopted.*

**श्री सी.आर. पाटील :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.42 – Shri Nishikant Dubey.

**15.38 ½ hrs**

## (xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
### *(Amendment of the Eighth Schedule)*

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**श्री निशिकान्त दुबे:** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.39 hrs**

**(xvii) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2015** [*]
***(Amendment of Section 80)***

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908."

*The motion was adopted.*

**श्री निशिकान्त दुबे:** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.39 ½ hrs**

**(xviii) Farmers and Agricultural Workers Social Security Bill, 2015***

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों और कृषि कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for social security and welfare measures for farmers and agricultural workers and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री निशिकान्त दुबे:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**<u>15.40 hrs</u>**

**(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2015***

***(Amendment of article 58)***

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**श्री निशिकान्त दुबे:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

HON. DEPUTY SPEAKER:

Item No. 46. Dr. Bhola Singh – not present.
Item No. 47. Dr. Bhola Singh – not present.
Item No. 48. Dr. Bhola Singh – not present.
Item No. 49. Shri Feroze Varun Gandhi – not present.
Item No. 50. Shri Feroze Varun Gandhi – not present
Item No. 51. Dr. Kirit Premjibhai Solanki.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**15.40 ½ hrs**

## (xx) Constitution (Amendment) Bill, 2015 *
### *(Amendment of article 72)*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.41 hrs**

## (xxi) Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2015*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले अशिष्ट विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर, युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit indecent advertisement depicting vulgarity, obscenity, violent actions or horror, which adversely affect the minds of the citizens particularly of the youth and injure public morality and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**15.41 ½ hrs**

## (xxii) Closed Textile Mills Workers (Welfare and Rehabilitation) Bill, 2015*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंद कपड़ा मिलों के कर्मकारों के कल्याण और पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare and rehabilitation of workers of closed textile mills and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.42 hrs**

## (xxiii) Special Irrigation Development Fund (For Forest Areas) Bill, 2015*

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Special Irrigation Development Fund for the development of irrigation facilities in the forest areas and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

**श्री सुनील कुमार सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**15.42 ½ hrs**

**(xxiv) Crop Insurance Bill, 2015***

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फसल बीमा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for insurance of crops and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

**श्री अजय मिश्रा टेनी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.43 hrs**

**(xxv) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015***

**(*Insertion of new section 136A*)**

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

*The motion was adopted.*

SHRI DUSHYANT CHAUTALA : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**15.43 ½ hrs**

## (xxvi) Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2015*

**श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967."

*The motion was adopted.*

**श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

HON. DEPUTY SPEAKER:

Item No. 58. Shri Om Prakash Yadav – not present.
Item No. 59. Shri Om Prakash Yadav – not present
Item No. 60. Shri Sunil Kumar Singh.

**15.44 hrs**

## (xxvii) Victims of Naxalite Acts of Violence (Relief and Rehabilitation) Bill, 2015*

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में नक्सली हिंसा के कृत्यों में मारे गये नागरिकों के आश्रितों को और ऐसी हिंसा के कारण अपनी संपत्ति, फसलें, मकान इत्यादि खोने वाले नागरिकों को वित्तीय मुआवजा, मासिक भत्ता, राहत और अन्य पुनर्वास उपाय तथा सुविधाएं प्रदान करने तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce the Bill to provide for the payment of compensation, monthly allowance, relief and other rehabilitation measures and facilities to the dependants of persons killed in naxalite acts of violence and payment of compensation to those who lost their property, crops and houses due to such violence in the country and for matters connected therewith and incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री सुनील कुमार सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

**<u>15.44 ½ hrs</u>**

**(xxviii) Girl Child (Prevention of Commercialized Trafficking, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2015***

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिका के वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार का, जिसमें वाणिज्यिक लाभ के लिए बालिका को प्रलोभन देकर, उसकी उपप्ति करके अथवा उसका अपहरण करके अथवा उसे देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, निवारक दंड के उपबंध द्वारा, जिसमें दुर्व्यापार के लिए मृत्यु दंड शामिल है, निवारण करने और ऐसी बालिका का पुनर्वास करने का सरकार द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of commercialised trafficking of girl child wherein a girl child is forced into prostitution after luring, procuring or kidnapping her or dedicating her as Devadasi for commercial gains by providing deterrent punishment including capital punishment for such trafficking and for rehabilitation of and other welfare measures for

---

** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

> such girl child to be undertaken by Government and for matters connected therewith and incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री सुनील कुमार सिंह:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 62, Shri A. T. Nana Patil -- not present.
Item No. 63, Shri Bhartruhari Mahtab.

**15.45 hrs**

**(xxix) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2015***
***(Insertion of new section 199A)***

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

*The motion was adopted.*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce the Bill.

---

**15.45 ½ hrs**

**(xxx) Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill , 2015***
***(Insertion of new Chapter IIIA)***

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940."

*The motion was adopted.*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce the Bill.

---

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 65, Shri P.P. Chaudhary -- not present.
Item No. 66, Shri P.P. Chaudhary -- not present.
Item No. 67, Shri P.P. Chaudhary -- not present.
Item No. 68, Shri P.P. Chaudhary -- not present.
Item No. 69, Dr. Manoj Rajoria.

**15.46 hrs**

**(xxxi) Eradication of Malnutrition Bill, 2015***

DR. MANOJ RAJORIA (KARAULI-DHOLPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of an authority for supply of nutritious food to the neglected, homeless, street, physically or mentally challenged or malnourished children and to the members of the families living below poverty line and for matters connected therewith.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of an authority for supply of nutritious food to the neglected, homeless, street, physically or mentally challenged or malnourished children and to the members of the families living below poverty line and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

DR. MANOJ RAJORIA: I introduce the Bill.

---

**15.46 ½ hrs**

### (xxxii) Fertilizer (Price Control) Bill, 2015*

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the fixing of maximum retail price of all fertilizers by the Central Government and for matters connected therewith and incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री राजेश रंजन :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

**15.47 hrs**

## (xxxiii) Prevention of Trafficking of Girl Child for Commercial Purposes Bill, 2015*

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिकाओं को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न तरीकों से देह व्यापार के लिए मजबूर करके और साहसिक पर्यटन अथवा अन्यथा की आड़ में स्वच्छंद यौन कृत्यों के लिए इनके दुर्व्यापार के निवारण का तथा ऐसे वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सहित भयपरतिकारी दंड का उपबंध करने तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of trafficking of girl child for commercial purposes by forcing her into prostitution or for promiscuous sexual acts in the garb of adventures tourism or otherwise and for providing deterrent punishment including capital punishment for such commercialized trafficking and for matters connected therewith and incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री राजेश रंजन :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.47 ½ hrs**

## (xxxiv) Population Stabilization Bill, 2015*

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या देश के सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विकास कार्यों तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप रहे और धनी तथा निर्धन वर्गों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of family planning measures by the Central and the State Governments for population stabilization in the country through various incentives and disincentives so as through ensure that the population is commensurate with its social, economy and other developments and with the ecological balance and bridge the gap between the haves and have-nots and for achieving quality of life and for matters connected therewith and incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री राजेश रंजन:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 73, Dr. Udit Raj -- not present.

**15.48 hrs**

### (xxxv) Compulsory Teaching of Logic in Educational Institutions Bill, 2015 *

**श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) :** माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of logic in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री दद्दन मिश्रा:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat – not present.

**15.48 ½ hrs**

**(xxxvi) Special Financial Assistance to the State of Rajasthan Bill, 2015***

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित उपयोग के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Rajasthan for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled TTribes and the Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

*The motion was adopted.*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

**15.49 hrs**

**(xxxvii) High Court of Rajasthan (Establishment of a Permanent Bench at Bikaner) Bill, 2015***

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Rajasthan at Bikaner."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

** Introduced with the recommendation of the President.

*The motion was adopted.*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.49 ½ hrs**

**(xxviii) Integrated Child Development Services (Regularisation) Bill, 2015***

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularization and universalization of Integrated Child Development Services in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

**15.50 hrs**

**(xxxix) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2015***
***(Insertion of new section 19A)***

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमती दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015
** Introduced with the recommendation of the President

*The motion was adopted.*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.51hrs**

## (xl) Rickshaw Pullers and Roadside Mechanics (Freedom to Earn Livelihood) Bill, 2015*

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धनताग्रस्त और बेरोजगार युवक-युवतियों और अन्य नागरिकों को निर्भय होकर आजीविका अर्जित करने और अपने आश्रितों का भरण-पोषण करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और स्थानीय निकायों के कार्मिकों को औजार, कलपुर्जे, माल, साइकिल रिक्शा, गाड़ी आदि को जब्त करने या इसे ले जाने से प्रतिषिद्ध कर साइकिल रिक्शा और गाड़ी चालकों और सड़क किनारे बैठे मैकेनिकों को आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता देने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for complete freedom to earn livelihood to the cycle rickshaw and cart pullers and roadside mechanics by prohibiting the local police and personnel of local bodies from impounding or taking away the tools, wares, stuff, cycle rickshaw cart, etc., so as to enable the poverty stricken and unemployed youth and other citizens to earn their livelihood without fear and feed their dependant families and for matters connected therewith and incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री राजेश रंजन:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

**15.52 hrs**

## COMPULSORY VOTING BILL, 2014 – Contd.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Janardan Singh 'Sigriwal' on the 13th March, 2015, namely:--

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 07.08.2015

> "That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Dr. Manoj Rajoria may please continue his speech.

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अनिवार्य मतदान के विषय पर बोलने का मौका दिया है।

**15.53 hrs** (Shri Hukumdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

महोदय, जैसा कि मैंने पिछली बार की चर्चा में बताया था कि देश में जब जिम्मेदारी की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो बहुत-से ऐसे प्रबुद्ध नागरिक होते हैं, जो इससे उदासीन हो जाते हैं, इससे किनारा कर लेते हैं।

इस बिल में कुछ पेनल्टीज़ के प्रावधान किये गये थे, जिस पर मैंने पिछली बार की चर्चा में कहा था कि पेनल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके बजाए प्रोत्साहन होना चाहिए कि किस तरीके से कंपल्सरी वोटिंग को बढ़ाया जाए। जैसा मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि एक मतदाता को पाँच साल में कम से कम पाँच से दस बार वोटिंग के लिए जाना पड़ता है। शायद यह एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से उसका चुनाव से मोह भंग हो जाता है और वह बार-बार मतदान करने से ऊब जाता है।

मेरा एक विनम्र सुझाव है कि ये जो सारे निकाय चुनाव हैं, छोटे-छोटे पंचायत के चुनाव हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव हैं, विधायक और सांसदों के चुनाव हैं, इनको यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा चुनाव आयोग से समन्वय करके पाँच साल में एक साथ, एक बार कराने की कोई व्यवस्था करती है, तो मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसी व्यवस्था होगी, जिससे हमारे देश का धन भी बचेगा, संसाधन बचेंगे और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा।

आज तकनीक का जमाना आ गया है। आज लोग उच्च तकनीकों-डिजीटल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समय में हमको आधार कार्ड के माध्यम से मतदाता सूची को भी जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार देश ने पूरे देश में अधिकतर जनसंख्या को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। केन्द्र की सभी योजनाएँ आधार कार्ड से लिंक हो गयी हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार मतदाता सूची को भी आधार कार्ड से जोड़ने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। आधार कार्ड का जो यूनीक आई.डी. नम्बर होता है, इसे मतदाता पत्र के साथ जोड़कर यदि कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें, जिससे मतदाता अपने मतदान केन्द्र के अलावा देश में ऐसे केन्द्रों के रूप में कई मोबाइल सेन्टर्स भी बनाये जा सकते हैं, जिस प्रकार एटीएम कार्ड को स्वैप करके यूनीक बैंक एकाउंट नम्बर के माध्यम से ऑपरेट होता है, चाहे देश के किसी भी बैंक का

एटीएम होता हो। इसी प्रकार, आधार कार्ड के माध्यम से एक ऐसा वोटर कार्ड बना दिया जाए या आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए ताकि जो गरीब व्यक्ति है, जो नौकरी के लिए किसी अन्य शहर में गया हुआ है या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोई व्यापारी है, जो अपने गांव-शहर से दूर गया हुआ है और उसकी इच्छा है कि मैं देश के लोकतंत्र में अपना योगदान दूँ, लेकिन उसकी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण वह चाहते हुए भी मतदान नहीं कर पाता है। किसी के परिजन अस्पताल में भर्ती हैं या किसी और मजबूरीवश अपने शहर से, अपने मतदान केन्द्र से दूर हैं, तो वह मतदान नहीं कर पाता है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय में एक कमेटी की स्थापना की जाए, जो इन चीजों का अध्ययन करे कि किस तरीके से मतदान को अधिकतम किया जाए। इसके लिए मेरा निजी सुझाव है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतदाता को अपने मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता न पड़े। जो मतदाता मतदान केन्द्र पर उपस्थित हैं, वे वहाँ मतदान कर लें और जो उससे दूर हैं, वे अपने किसी भी नजदीकी बूथ पर, जहाँ डिजीटली स्वैप करने से उसका मतदाता क्रमांक नम्बर वहाँ आ जाए और संबंधित विधान सभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में उसका मतदान हो जाए। बिहार के गांव का कोई व्यक्ति या राजस्थान के किसी गांव का व्यक्ति, जो दिल्ली में हो, वह अपने यहाँ मतदान कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम होंगे, जो इस देश के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे।

हमारे स्कूलों में 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो दसवीं क्लास से बारहवीं क्लास तक के बच्चे हैं, वे हमारे देश की पीढ़ी हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे देश का भविष्य इन्हीं 15 से 18 साल के बच्चों पर निर्भर करता है। इनके मन में लोकतंत्र के प्रति एक अच्छी इमेज बनायी जाए। इनके मन में एक ऐसी भावना बनायी जाए ताकि इनके मन में यह बात आ सके, वे सोच सकें कि लोकतंत्र में हमारा मतदान करना बेकार नहीं जाता है। मतदान करना देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारा फर्ज-कर्त्तव्य है। यह कोई लालच और किसी अन्य चीजों से प्रभावित नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान के दौरान कुछ राजनीतिक व्यक्तियों या पार्टियों के द्वारा तरह-तरह की बातें, जैसे जाति-धर्म और प्रलोभन का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग सबूत मिलने पर उस पर कार्रवाई भी करता है। लेकिन, कार्रवाई करने में इतना समय लग जाता है कि जो व्यक्ति अनुचित काम करता है, वह बेखौफ होकर उसे करता रहता है क्योंकि उचित समय पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि बनकर अपने पूरे पाँच साल निकाल देता है। उसे कानून का कोई डर नहीं रहता है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को गलत जानकारी देता है, मतदाताओं को धमकाता है या धर्म के आधार

पर वोट मांगता है, प्रलोभन देता है, तो चुनाव आयोग उस पर तय समयसीमा के अंदर उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसका नामांकन रद्द कर सके ताकि लोकतंत्र में उसकी आस्था बढ़े।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम लोग लोकतंत्र के जिस सबसे बड़े मंदिर में बैठे हैं, वहाँ हमारे कुछ साथियों ने सही काम नहीं किया। मैं पहली बार सांसद बना हूँ तथा पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं मरीजों की सेवा करता था, तो बड़ा आनन्द अनुभव करता था। जब मैं गरीबों और अमीरों के बीच सेवा-भाव से काम करता था, तो मैं यह सोचता था कि यह मेरा सीमित क्षेत्र है, जब संसद में पहुंचूंगा, तो देश के बड़े-बड़े कामों में अपना योगदान करूँगा। लेकिन, जब मैं संसद में आया, तो मैंने देखा कि कुछ पार्टी के मेरे सांसद मित्रगण किस तरीके से वेल में आकर, प्ले काड्र्स दिखाकर संसद की मर्यादा को तार-तार करते हैं।

**16.00hrs**

हमारी स्पीकर मैडम के सामने जिस तरह से प्लेकाड्र्स दिखाते हैं, जिस तरह से यहां लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, उससे भी हमारे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास घटता है, लोगों को लगता है कि जब ये लोग संसद में जाकर ऐसी हरकतें करेंगे तो इनको वोट देने से क्या फायदा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से, स्पीकर मैडम और सभी दलों से आग्रह करूंगा कि सदन में जो ऐसी अव्यवस्था चलती है, जो बच्चे और लोग यहां संसद की कार्यवाही देखने आते हैं या जो लोग लोक सभा टीवी एवं अन्य चैनलों के माध्यम से लोक सभा की कार्यवाही देखते हैं तो जनप्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों के प्रति उनमें गलत भाव बनता है। वह गलत भाव ऐसे ही लोगों द्वारा बनाया जाता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादाओं को तार-तार कर देते हैं। ऐसे लोगों को मर्यादा में रखना भी हमें कानून के माध्यम से आना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि यहां आकर खुद नियम और कानून में नहीं रह सकता, वह देश के लिए क्या नियम-कानून बनाएगा, ऐसे व्यक्तियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई का हमें प्रावधान करना चाहिए। हमारे बच्चे पूछते हैं, स्कूल के बच्चे पूछते हैं कि आपकी संसद ऐसी होती है, आप लोग वहां यही काम करते हैं। वे लोग इससे मतलब नहीं रखते की संबंधित व्यक्ति किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, वे कहते हैं कि संसद में ऐसी कार्यवाही होती है। इसकी वजह से भी लोगों का मतदान में रुझान कम होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी इस चीज पर विस्तृत विचार करे कि किस तरीके से देश में मतदान को बढ़ाया जा सकता है, ताकि लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़े। जब लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा, लोग इसे एक उत्सव के रूप में लेने लगेंगे, लोग इसे जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो उसी दिन

से भारत प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में विश्व में अग्रणी देश बनकर निकलेगा।

आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं।

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** सभापति महोदय, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए अनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में जो व्यवस्था है, वह मतदान के द्वारा ही चलती है। आजादी के बाद इस देश के सभी लोगों को बिना जाति, धर्म, सम्प्रदाय, अमीर-गरीब के भेदभाव के, वोट के रूप में एक ताकत दी गयी और इस ताकत का प्रयोग इस देश को चलाने के लिए इस देश के लोगों को करना था। उन्होंने किया भी, लेकिन जो अपेक्षाएं थीं कि मतदान के द्वारा एक ऐसी लोकप्रिय और विश्वसनीय सरकारों और जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो, जो उनके क्षेत्र की समस्याओं को उचित स्थान और उचित व्यक्तियों के समक्ष उठाकर, सदन में अपनी बात रखकर, उस क्षेत्र और देश के विकास में अपना योगदान करें। वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं, जिससे धीरे-धीरे लोगों का मतदान का प्रतिशत कम होता गया। इसके लिए मैं समझता हूं कि आजादी से पहले से के इतिहास पर हमें जरूर नजर डालनी चाहिए क्योंकि जिस समय हमारे देश में आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समय विचार करने वाले मुद्दे थे कि आजादी के बाद देश में क्या परिस्थितियां होंगी, देश को कैसे चलाना है, लेकिन उन पर विचार न करके, कुछ लोग कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक संगठन था, कोई राजनीतिक दल नहीं था, के नाम का फायदा उठाकर किस तरह से देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था में लगे रहे। जिसके लिए वास्तव में आजादी के बाद देश की क्या कार्ययोजना होगी, देश कैसे चलेगा, इसके लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं की गयी थी और उसी का परिणाम यह रहा कि वोट की ताकत का दुरूपयोग हुआ। वोट की ताकत को जाति-धर्म के नाम पर, भय और लालच पैदा करके धीरे-धीरे मतदान से लोगों का मोहभंग होने लगा। उसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा है।

अभी कुछ दिन पहले इसी सत्र में जब सदन चल रहा था तो ऐसे लोग जिनकी संख्या इस सदन के कुल सदस्यों के पांच प्रतिशत से भी अधिक नहीं है, ऐसे लोगों ने वैल में आकर 95 प्रतिशत लोगों की आवाज दबाने का काम किया। इस तरह की घटनाओं से ही देश के लोग मतदान करने में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हमने देखा है कि कैसे-कैसे आरोप यहां लगाए जा रहे हैं। हमारे नेताओं पर मिथ्या आरोप लगाकर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जैसे उन्होंने कोई घनघोर अपराध कर दिया हो। जबकि वे अपने पाप भूल गए। भोपाल गैस कांड की जो त्रासदी हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त हिन्दुस्तान में मौजूद था और उसे भगाने का काम तत्कालीन सरकार और उस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किया था। वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसे हवाईजहाज में बैठाने के लिए गए थे। वे लोग सदन को इस बात से बाधित करने का प्रयास करते हैं कि एक कैंसरग्रस्त महिला को इलाज के लिए क्यों किसी देश को कहा

गया। पति-पत्नी के सम्बन्ध होते हैं, आपको याद होगा, हमारे पप्पू यादव जी बैठे हैं। इनके प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री को जब जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्य मंत्री बना दिया था। पति-पत्नी के सम्बन्ध में अगर सहभागिता अपराध श्रेणी में मानी जाए, तो क्या उनकी पत्नी को मुख्य मंत्री बनना चाहिए था?

आज एक प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, जो नैतिकता की बहुत दुहाई देते हैं। वह सजायाफ्ता व्यक्ति के साथ मंच को साझा करते हैं। उसके बाद भी वह दावा करते हैं कि वह सुशासन कर रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश में फिर से उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा भी वह दावा करते हैं। ऐसे दावों और घटनाओं को देखकर, वे लोग जो मतदान करना चाहते हैं, जिनकी स्वस्थ लोकतंत्र में आस्था है, उनके मतदान करने के अधिकार के प्रति मोहभंग होता है, परिणामस्वरूप मतदान का प्रतिशत कम होता है।

सभापति जी, ऐसे लोगों को अपने आइने में झांकना चाहिए। इस तरह से एक घटना बोफोर्स की हुई थी। आज एक मंत्री के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने केवल यही कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप अपने नियमों से इस कैंसरग्रस्त महिला को वीजा दे दें। भारत सरकार के पूर्व में एक कानून मंत्री थे, जिन्होंने बोफोर्स का मुलजिम क्वात्रोची था, जिसका खाता बंद कर दिया था, वह खाता ओपन कराने के लिए ब्रिटेन गए थे। वहां जाकर उन्होंने उसका एकाउंट खुलवाया था और उसने उस खाते से धन निकाल लिया था। ऐसे लोग आज की सरकार के मंत्री को मुलजिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने देखा है कि जब-जब देश में अधिक मतदान हुआ है, अच्छी सरकारें चुनी गई हैं। सभापति जी, आप 1977 को याद कीजिए। आप तो देश को दिशा दिखाने वाले नेता हैं और जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। सन् 1977 में जब चुनाव हुआ था और अधिक मतदान हुआ था। उस समय सरकार बदली थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद क्या हुआ, एक राजनैतिक दल, जिसकी हमेशा से इच्छा रही है कि यह देश उसके लिए बना है। वास्तव में उस समय परिस्थितियां ऐसी ही थीं। देश के लोगों के लिए, देश में सड़क, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी के लिए कोई योजना नहीं थी। योजना सिर्फ यह थी कि किसे प्रधान मंत्री बनाना है। प्रधान मंत्री बनाने के लिए ही इस देश का विभाजन कर दिया गया, लेकिन प्रधान मंत्री का पद सुरक्षित रखा गया। उन्होंने केवल प्रधान मंत्री बनने के लिए ही विचार-विमर्श किया, उसीके लिए ही योजना बनाई और विचार किया। देश के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उसीका परिणाम है कि उनके दल के लोग विपक्ष में रहते हुए भी यही मानते हैं कि वे सत्ता पक्ष में हैं। जब-जब उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा है, उन्होंने यही सोचा है।

सभापति जी, मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं। इससे पूर्व मैं विधायक रहा हूं। लेकिन आपकी योग्यता और ज्ञान के बारे में कुछ बताऊं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही तो उसका व्यवहार कैसा था। उन्होंने आपातकाल में क्या किया था। सदन में चुने हुए नेताओं को बिना दोष और वारंट के जेलों में भेज दिया था। इसी तरह 1989 में जब माननीय राजीव गांधी जी यहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर थे, तो चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन उन्होंने विपक्ष के नेता का पद नहीं छोड़ा था। उसके बाद वह विपक्ष के नेता भी बने रहे और उस सरकार के भी साथ रहे। इसी तरीके से 1996 और 1998 में देवेगौड़ा जी और गुजराल की सरकारों के समय हुआ। सन् 1999 में तो हद हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसा लगने लगा था, जब सदन में कारगिल युद्ध पर बहस हो रही थी, कि वह पाकिस्तान का पक्ष ले रही है। इन्होंने केवल इतना ही नहीं किया, राज्य सभा का भी दुरुपयोग किया गया है। राज्य सभा का जो सदन है, वह लोक सभा के जो बिल हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन पर अंकुश रखने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस जब-जब विपक्ष में रही है, कांग्रेस ने राज्य सभा का दुरुपयोग किया है। लोक सभा के कामों को बाधित करने का काम किया है। उन्होंने लगातार ऐसे प्रयास किए हैं, जिससे लोक सभा में चुनी हुई सरकार और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कामकाज को रोकने का प्रयास कांग्रेस ने राज्य सभा के द्वारा किया है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस व्यवस्था में बदलाव लाया जाना चाहिए। लोक सभा का चुनाव हो, उसके बाद हर बार लोक सभा के चुनाव के बाद राज्य सभा का पुनर्गठन किया जाए। जितने दल जिस अनुपात में यहां सीटें लेकर आते हैं, उनके प्रतिनिधि राज्य सभा में जाएं। राज्य सभा उच्च सदन है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सभा का काम लोक सभा में चुनी हुई लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार के कामों को रोकना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग यह सब कर रहे हैं। इस तरह के राजनैतिक दलों की वजह से ही देश में ऐसा वातावरण बनता है कि लोगों का मतदान करने का मन नहीं होता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब-जब सरकार बनी और कम मतदान हुआ है, उसका दुष्परिणाम हमारे देश को भोगना पड़ा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सन् 1998 से 2004 तक चली थी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, सड़कों का जाल बिछाया था, देश की सीमाएं सुरक्षित की थीं और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद चुनाव आए, जिसमें मतदान कम हुआ और मतदान कम होने की वजह से ऐसी सरकार चुनी गयी जो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को प्रधानमंत्री तक नहीं बना पायी। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिन्होंने सीधे-सीधे कोई चुनाव नहीं जीता था। जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वह उन्हें के प्रति

जवाबदेह रहे। उन्हीं के प्रति जवाबदेह रहने के कारण इस देश में पिछले दस साल में भुखमरी आयी, गरीबी आयी, महंगाई आयी। कोयला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और इसी तरह के लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले हुए, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में देश का सम्मान घट गया, देश की सीमाएं असुरक्षित हो गयीं। आतंकवाद, महंगाई और भ्रष्टाचार इस देश में पूरी तरह से फैल गया था। इस देश के लोगों को लगने लगा था कि यह देश बचेगा या नहीं? ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी जी के रूप में अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया तो इस देश के हताश और निराश लोगों को एक आशा की किरण दिखायी दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एनडीए की सरकार बनायी। उसके परिणामस्वरूप आप सभी ने देखा है कि एक साल के अंदर ही परिस्थितियां बदलने लगीं। अब लोगों को लगने लगा है कि यह सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है। अब उन्होंने हम लोगों को राज्य सभा में ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं रोक पा रहे थे और उनको लग रहा था कि मोदी जी तो जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। आतंकवादी घटनाओं पर हमने अंकुश लगाया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, महंगाई को कंट्रोल किया, शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलायीं। स्वच्छता अभियान चलाया, सब पढ़ें-सब बढ़ें और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं बनायीं। इस सरकार ने तय किया कि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था कि हम देश की कमजोरी को दूर करते। हमारी सरकार ने तय किया कि जब तक हम इस देश में रहने वाली 60 लाख से अधिक महिलाओं को उनका सम्मान नहीं दिलाते, निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं करते, उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, तब तक यह देश मजबूत नहीं हो सकता है। 40 करोड़ गरीब लोग, जो रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को यदि हम रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने तय किया कि उत्तर-पूर्व के हमारे जो राज्य हैं, जम्मू-कश्मीर है, जिसके बारे में भारत के नेताओं को रोज़-रोज़ कसम खानी पड़ती थी कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। लोग कहते थे कि उत्तर-पूर्व का फलां प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है। यह हम लोगों को कहना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था। हमारी सरकार ने तय किया कि उत्तर-पूर्व के जितने भी राज्य हैं, उनमें शिक्षा की, कनेक्टिविटी की ऐसी सुविधाएं करेंगे और रोजगार लाएंगे कि वहां के लोगों को लगे और वे स्वयं कहें कि हम इस देश का हिस्सा हैं और उसका परिणाम आपने देखा कि अभी नगालैंड के अतिवादी संगठन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा समझौता किया है।

हमने जम्मू-कश्मीर के ऐसे लोगों के साथ सरकार बनायी, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते थे। इसको इस सदन में स्वीकार करने में कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन हमने इसलिए सरकार बनायी कि हमारे

श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारे संस्थापक थे, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बलिदान दिया था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब से हमने सरकार बनायी है, एक बार भी किसी नेता को यह नहीं कहना पड़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां तिरंगा फहराया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनायी है। अब किसी को यह दुहाई नहीं देनी पड़ती कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस तरह के काम हो रहे थे। हम लोग बहुत सारी योजनाएं लाये। हम लोगों ने गरीबों की चिंता की, एक-एक गरीब के लिए हम लोग जनधन योजना लाए। पहले लोगों ने बहुत शोर मचाया कि जनधन योजना क्या है। जनधन योजना के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले और खाते उन लोगों के खुले हैं, जिनके खाते बैंक में थे, उनके नहीं खुले, खाते उन लोगों के खुले, जिन लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं लांघा था। ऐसे गरीब लोगों के खाते खोलने के पीछे उद्देश्य उन्हें दी जाने वाली सहायता है। सरकारें आती हैं, सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी इसलिए दी जाती थी कि हमारे जो गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें हम देश की मुख्य धारा में लायें, लेकिन वह सब्सिडी कहां जाती थी, इसका पता नहीं चलता था। भारत की सरकार ने तय किया कि हम जनधन योजना के माध्यम से बैंकों से सारे ऐसे गरीब परिवारों को जोड़ेंगे और सब्सिडी सीधे उनके खाते में देंगे और वह सब्सिडी उनके खाते में देने का काम प्रारम्भ किया। उसके लिए प्रोत्साहन दिया, पांच हजार का ओवरड्राफ्ट देते हैं, एक लाख का बीमा देते हैं। एक लाख का दुर्घटना बीमा है और एक लाख का सामान्य बीमा है। प्रधान मंत्री बीमा योजना के द्वारा केवल 12 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा दिया। 330 रुपये खर्च करके दो लाख रुपये का बीमा दिया। ये वे चालीस करोड़ गरीब लोग हैं, जिन्हें हमने यह व्यवस्था दी है कि उनको आर्थिक संबल मिले, उनकी आर्थिक सुरक्षा हो और आज एक-एक गरीब के पास 6-6 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा है, उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। उनके रोजगार की हमने व्यवस्था की, हमने ऐसा किया है। जैसा अभी रूडी जी बैठे थे, स्किल डैवलपमैन्ट के माध्यम से भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम ऐसे हर नौजवान को जो गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, शहर में रहता है, वह पढ़ाई में भले ही पिछड़ गया हो, लेकिन उसे अगर कोई काम सीखना है, वह कोई काम जानना चाहता है तो वह काम को सीखे, आगे बढ़े और अपने स्किल के द्वारा वह रोजगार प्राप्त करे। उसके लिए यह सुविधा दी गई है कि पांच हजार से दस लाख रुपये तक भारत सरकार ने देने का मन बनाया है।

महोदय, महिलाओं के सशक्तीकरण की बात की गई है। ये सारे वे मुद्दे हैं, जो हमारी कमजोर नसें थी, आज हमने एक साल के अंदर ही सारे माहौल को बदला है और माहौल को बदलकर आज परिस्थितियां यह बनी हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान एक साल के अंदर बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवादियों के विरुद्ध म्यांमार में जो घटना हुई, हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन जहां जवाब

देना था, वहां जवाब दिया गया। पाकिस्तान में भी जवाब दिया जा रहा है। लोग अपने आप कहने लगे हैं कि यह देश आतंकवाद से मुक्त होगा और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं और देश का सम्मान भी बढ़ा है। हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाएं हैं, जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है, लेकिन अब जब उन्हें लगने लगा कि इस तरीके का वातावरण बनता जा रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मतदान के प्रति लोगों में अरुचि क्यों होती हैं, मतदान के प्रति अरुचि इसलिए होती है कि हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी चिंता करेगी, लेकिन सरकार अगर यह करे कि उसमें बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी चुने जाएं, जो जाति, धर्म या लालच और भय के कारण चुने जाते हैं या अपने विभिन्न प्रकार के हथकंडे लगाकर चुन जाते हैं, जिसके कारण एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जाए। ऐसे जो परिणाम होते हैं, उनके कारण लोगों की मतदान के प्रति अरुचि होने लगती है। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास घटने लगता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर रोक के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मीडिया केवल उन चीजों को दिखा रहा है, जिससे उनकी टीआरपी बढ़े और उनकी टीआरपी इसीलिए बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहां का बहुत सारा मीडिया बाहर से वित्त पोषित होता है। विदेशों से वित्त पोषित मीडिया भारत को मजबूत नहीं देखना चाहता, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो यहां चुनकर आएं, उनका व्यवहार, उनका काम-काज करने का तरीका, उनका जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का ढंग है, नियमों-कानूनों का जानने की बात है, अगर वे पहले अपने ढंग को ठीक करेंगे और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो पूरे देश का लोकतंत्र में विश्वास जागेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे मतदान करना चाहिए। आप उदाहरण देख लीजिए कि जब-जब सरकारें बदली हैं, चाहे जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे जब अटल जी की सरकार आई और चाहे मोदी जी की सरकार आई, हर बार मतदान बढ़ा है और मतदान का प्रतिशत जब बढ़ता है, जब लोगों को अंदर से लगता है कि नहीं अब हमें देश के भले के लिए मतदान करना चाहिए। हम बहुत सारे कानून बना दें, प्रतिबंध लगा दें, उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं है। मतदान का प्रतिशत स्वप्रेरणा से बढ़ेगा। स्वप्रेरणा से लोकतंत्र में जब विश्वास बढ़ेगा तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने ढंग से आदर्श प्रस्तुत करें। जिस तरीके का यहां वातावरण बनता है, जिस तरीके के वे काम करते हैं, उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सभापति जी मैं आपके माध्यम

से अनुरोध करता हूं कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जिनके कारण यहां पर जो लोग हैं, उनका आदर्श प्रस्तुत हो, लोगों का विश्वास जगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जिसके कारण यहां पर जो लोग हैं, उनका आदर्श प्रस्तुत हो, उनका विश्वास जागे, लोगों का लोकतंत्र के प्रति यह विश्वास हो कि हम जिनको चुन कर भेज रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जैसे अभी डॉ. मनोज राजोरिया जी कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मतदान स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मतदान नहीं कर पाते हैं। मतदान के लिए एक दिन फिक्स होता है, उस दिन किसी का काम भी पड़ सकता है। जिसके कारण अगर अनिवार्य मतदान करने की बात भी हम करें तो उसमें बाधाएं आती हैं। मेरा यह कहना है कि मतदान स्थल कोई हो, जो उन्होंने कहा है कि डिजिटल वोटिंग की व्यवस्था की जाए कि हम जहां पर भी उपस्थित हैं, वहां पर हम मतदान कर सकें और एक दिन के बजाय एक से तीन दिन या एक से पांच दिन या एक से सात दिन तक मतदान जहां पर भी वह चाहे कर सके। अगर किसी तरह की व्यवस्था की जाएगी तो गुप्त मतदान का जो हमारा सिस्टम है, वह भी प्रभावित नहीं होगा और लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार मतदान स्थल जो उनके पास होगा और जब समय होगा, वे मतदान कर सकते हैं। एक से सात दिन तक मतदान हो उसके बाद काउंटिंग हो। आदर्श लोग प्रस्तुत करें जो जनप्रतिनिधि चुने जाएं। इससे हम लोग मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकेंगे। यही मेरा अनुरोध है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। अनिवार्य मतदान हम लोग करेंगे, इस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन इसको कानून प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। स्वप्रेरणा के द्वारा लोगों के अंदर इस तरीके का भाव पैदा करना चाहिए कि उनके अंदर लोकतंत्र के प्रति विश्वास हो, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास हो, और उनको लगे कि जिनको हमने चुना है, जिस सरकार को चुना है, यह देश के लिए अच्छा काम करेगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी, देश खुशहाल होगा, लोग खुशहाल होंगे तो स्वयं ही लोग प्रेरित हो कर मतदान स्थल तक आएंगे और मतदान करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

**16.22 hrs**

## PRIVATE MEMBERS' BILL -Introduced ...Contd.

**माननीय सभापति:** दो माननीय सदस्यों के बिल हैं, जो उस सयम नहीं थे, अब उनको पुरःस्थापित करना है। उनसे आग्रह है कि वे पुरःस्थापित करेंगे।

मद संख्या 73 डॉ. उदित राज।

### (xli) Rainwater (Compulsory Harvesting) Bill, 2015*

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory harvesting of rainwater by every household, business establishment and Government building, in order to ensure availability of water and for matters connected therewith or incidental thereto.

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह हैः

> " कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षाजल के अनिवार्य संचयन और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. UDIT RAJ: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.22 ½ hrs**

### (xlii) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
*(Amendment of article 51A)*

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह हैः

> " कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section 2, dated 07.08.2015

SHRI P.P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.23 hrs**

**(xliii)Constitution (Amendment) Bill, 2015***
***(Amendment of article 124)***

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह हैः

> " कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P.P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.23 ½ hrs**

**(xliv) Constitution (Amendment) Bill, 2015***
***(Amendment of articles 217 and 224)***

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह हैः

> " कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P.P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section 2, dated 07.08.2015

**16.24 hrs**

## (xlv) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
### *(Insertion of new article 324A)*

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

> " कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P.P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.25 hrs**

## COMPULSORY VOTING BILL, 2014 — Contd.

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल के लिए सीग्रीवाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हम अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अतीत को भूल जाते हैं। शिव के काल से लेकर आज तक सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण के खिलाफ इस भारत के अनेक ऋषि-मुनियों ने, अनेक महापुरूषों ने समय-समय पर इस दुनिया में आकर मानव कल्याण के लिए, सार्वभौमिक समाज के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए अनेकों कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे शिव हों, उन्होंने भी मनुष्य के निर्माण की कल्पना की। जब कृष्ण आए तो उन्होंने भी मानवीय निर्माण के लिए कर्म योग की सम्भावनाओं को यहाँ तलाशा। राम आए तो उन्होंने चरित्र के निर्माण की कल्पना की। मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने सम्पूर्ण मानव को प्रेम, मदद और दया के सवाल पर समाज को ले चलने की कल्पना की। इसी तरह से नानक, बुद्ध, कबीर थे। हमारे विवेकानन्द जी आए तो प्रथम तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैन मेकिंग के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मानव निर्माण की कल्पना जीवन का सबसे मूल लक्ष्य होना चाहिए।

मुझे लगता है कि अनिवार्य मतदान करने से पहले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, भाषा और क्षेत्रवाद, लिंग आदि के सवाल पर सोचना चाहिए। आजादी के सैंकड़ो, हजारों वर्ष से लेकर आज तक, जब तक इस शोषण के सामाजिक गैप को आप दूर नहीं करेंगे, जिस तरीके का शोषण आज भी इस

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section 2 dated 07.08.2015

दुनिया में 90-92 प्रतिशत लोगों के बीच है। भारत की लगभग 124 करोड़ की आबादी में 82 प्रतिशत लोग 27 रूपए से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में 82 प्रतिशत लोग ऐसे हैं। शैक्षणिक रूप से आठ प्रतिशत भी समाज के अन्तिम व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से 78.8 प्रतिशत लोगों की, नए सर्वे के मुताबिक, 4,800 से ज्यादा हमारी मासिक आय नहीं है। जिस देश में व्यक्ति 24 रूपए में एक दिन खाए और इस हिन्दुस्तान में डाबरमैन के कुत्तों पर, पप्पू यादव के कुत्तों पर 300 रूपया एक दिन में खर्च हो। ऐसे में यदि हम अनिवार्य मतदान की कल्पना करते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा। आप याद करिए कि राजा-महाराजा भी अपने बच्चों को गुरूकुल में भेजा करते थे। वे इसलिए उन्हें गुरूकुल में भेजा करते थे ताकि बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से मनुष्य के रूप में उनका निर्माण हो सके। सभी ने कल्पना की, हमारे गाँधी जी ने भी कल्पना की, सुभाष चन्द्र बोष ने भी कल्पना की, पटेल, महात्मा फुले, पेरियार आदि सभी लोगों का इस देश में जो संघर्ष रहा, महोदय, आप तो इस संघर्ष के प्रतीक बिहार में रहे हैं, आप लड़ते रहे हैं, सभी लोगों का जो संघर्ष रहा है, सबका लक्ष्य सिर्फ मनुष्य था। मनुष्य के अस्तित्व के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए, मनुष्य के शोषण को रोकने के लिए, मनुष्य की सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति के लिए सभी का संघर्ष रहा है।

आजादी के बाद में राम विलास पासवान जी या जीतन राम माँझी या अन्य व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, राम विलास पासवान जी के कपड़े उठाने में पप्पू यादव को, पप्पू झा को, पप्पू सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी थाली हम धोते हैं लेकिन गाँव में हम जाते हैं तो पप्पू पासवान के शरीर की गंध से ही सौ किलोमीटर दूर होते हैं। तो आज़ादी के 67 साल के बाद क्या यही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है? आज भी 90-99 प्रतिशत स्थिति जो समाज के गरीबों की है, कमज़ोरों की है, मछुआरों की है, वह दयनीय है। इस देश में आप देखिये कि कब देश की आज़ादी पर प्रथम बार वोट मिला? देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस को जो लंबे समय राज करने का मौका मिला, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश की आज़ादी में लोगों की अवधारणा बनी कि कांग्रेस एक समाज था, कांग्रेस एक ताकत थी, विचारधारा थी, कांग्रेस ने ही हमें आज़ाद कराया और लंबे समय तक उनको वोट का अधिकार मिला। लेकिन इस देश में वोट का अधिकार आप देखिए तो याद करिए कि आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी की शहादत जब हुई तो लोगों ने कहा कि इस देश में राजीव जी टुअर हो गए, वोट डाल दो। सबसे पूछा तो कहा कि टुअर हो गए। विवेक से क्या वोट पड़ा? इस देश में मंडल और कमंडल के नाम पर वोट पड़ा। मंडलवादी एक हुए और कमंडलवादी एक हुए। कमंडलवादी जब एक हुए, तब एक वोट पड़ा। मंडलवादी जब एक हुए, तब एक वोट पड़ा। इस देश में रोटी के सवाल पर,

विकास के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, नैतिकता के सवाल पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक क्रांति के सवाल पर कभी भी हिन्दुस्तान में वोट नहीं पड़ा।

**माननीय सभापति:** एक मिनट रुकिए।

चूँकि इस विधेयक के लिए जितना समय निर्धारित था, वह समय समाप्त हो चुका है। सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के लिए एक घंटा समय और बढ़ाया जाए।

**अनेक माननीय सदस्य :** हाँ।

**माननीय सभापति :** इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

राजेश रंजन जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री राजेश रंजन:** सभापति जी, इस देश में हमेशा से भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, लिंग के नाम पर वोट दिया गया है। यदि जाति और धर्म नहीं हों तो इस सदन में बैठने वाला एक भी सांसद चुनाव जीतकर न आए। सवाल उठता है कि जाति ज़हर बन चुकी है और जाति को ज़हर बनाने वाले लोग कौन हैं? जब महाभारत के काल में कृष्ण ने कर्मयोग की बात उठाई थी और समाज में जिस तरीके से एक ही परिवार में ज्ञान देने वाले को ब्रह्म  कहा गया, काम करने वाले को शूद्र कहा गया, व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया, संघर्ष करने वाले और लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा गया। यह जाति व्यवस्था इस दुनिया में कब आई? राजा-महाराजाओं के काल के बाद शंकराचार्य का जो विराट काल रहा, तब के बाद से जाति व्यवस्था के आवरण से शोषण की नई पद्धति की शुरुआत हुई। शोषण की शुरुआत आदम काल से है लेकिन शोषण की जो पद्धति की शुरुआत इस समाज में हुई, राजा-महाराजाओं के काल के बाद, फिर ज़मींदारी प्रथा के बाद और फिर आज तक, कभी भगवान के नाम पर, कभी भाग्य के नाम पर, कभी किस्मत के नाम पर आडंबर और कर्मकांड में व्यक्ति को जोड़कर भाग्य और किस्मत के सहारी से जीने वाले लोग आज इस हिन्दुस्तान में गरीब लोग हैं। राम और कृष्ण की रामध्वनि करने वाले कौन लोग हैं? पप्पू यादव का बेटा-बेटी रामध्वनि करने नहीं जाता है। रामध्वनि करने जाता है जो मेरे यहाँ काम करता है, उस पप्पू पासवान का बेटा बेटी। आप जाकर देखिये किस तरह समाज को बांटकर रखा गया है। यदि आप रामध्वनि करने वाले, कृष्ण का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले किसी गरीब से पूछिये तो वह कहेगा कि मेरी किस्मत में ही यही है, मेरा भाग्य ही सही नहीं है, भगवान के भरोसे है।

मुझे तो एक बार बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने किसी से पूछा कि आज से सौ साल पहले जो मेरे दादा के यहाँ काम करते थे, आज उसका पोता मेरे साथ काम करता है, यह गरीबी क्यों? तो एक ज्योतिष ने, पंडित जी ने हमको कहा कि ये लोग इतना पाप कर चुके हैं कि बैंक बैलेंस निकल ही नहीं रहा है। मैंने

कहा कि जो लोग हिन्दुस्तान में राज कर रहे हैं, नेहरू जी ने राज किया, अन्य लोगों ने राज किया, तो उसने कहा कि वे इतना पुण्य कर चुके हैं कि इनका बैंक बैलैन्स पुण्य से खाली ही नहीं हो रहा। मुझे आश्चर्य लगा कि इनका बैंक बैंलैन्स पुण्य से खाली नहीं हो रहा  और गरीब का पाप का बैंक बैलैन्स खत्म नहीं हो रहा है। क्या सवाल इस देश में है? इसलिए जो वोट का सवाल है, आप हमें बता दो कि यदि जाति नहीं है तो गठबंधन किस काम का? क्या विचारों पर गठबंधन हो रहा है? जाति के नाम पर आज बिहार में जो गठबंधन हुआ है, यह जाति के आधार पर गठबंधन हो रहा है या विचारों के आधार पर गठबंधन हो रहा है?

इस हिन्दुस्तान में यदि वोट को इतना ही कम्पलसरी करना चाहते हैं तो फिर आजादी के बाद याद करिये, सबसे पहले खैरात देने की शुरूआत, सभापति महोदय, आपको याद होगा, एन.टी. रामाराव जी की सरकार में दो रुपये किलो चावल देने की परम्परा की शुरूआत हुई थी। एम.रामचन्द्रन जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी फ्री देने की शुरूआत हुई थी। याद करिये, बीजू दादा नहीं रहे, सबसे ज्यादा माइन्स और सबसे ज्यादा अभ्रक, सबसे ज्यादा लोहा कहां है, उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे ज्यादा माइन्स, अभ्रक और लोहा कालाहान्डी में है और कालाहान्डी में सबसे ज्यादा अभ्रक और माइन्स हैं और सबसे ज्यादा मौत से मरने वाली और गरीब भी कालाहान्डी है। दो किलो चावल और चार किलो आटा देकर 35 सालों से उड़ीसा में देकर के आज सबसे अन्तिम पायदान में भारत में कौन है, उड़ीसा। फ्री देने की आदत, मिड डे मील, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा, ठीक है, आपने इन सामाजिक चीजों के लिए दिया, मेरी उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आदमी जिंदगी जी सकता था।

आजादी के 67 साल के बाद आप 82 प्रतिशत लोगों के लिए फूड बिल लाते हो, जिसकी थाली में खाना नहीं होता है। क्यों खाना नहीं है, हिन्दुस्तान के इतिहास में खाना उनके लिए क्यों नहीं, मैं जानना चाहता हूं। 67 साल के बाद इस पर बहस नहीं करिएगा, हिन्दुस्तान में दवाई के बगैर, पैसे के अभाव में 07.34 करोड़ लोग साल में  मरते हैं, 33 लाख लोग यदि भूख से मरते हैं तो वे गरीब होते हैं। 12.33 लाख यदि कर्ज से मरने वाले किसान हैं तो वे गरीब हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि हिन्दुस्तान की आजादी के 67 साल के बाद, याद करिये, आजादी के वक्त 41 करोड़ आबादी थी, उनमें से 21 करोड़ किसान थे, तब हमारा आमदनी थी, 15.3 और जब हम 67 प्रतिशत किसान हुए, तब हमारी आमदनी हो गई तीन पाइंट कुछ, आज भारत में 8.2 प्रतिशत किसानों के पास पक्के मकान नहीं हैं। आज भारत में 4.6 प्रतिशत लोगों के पास दो जोड़ी बैल नहीं हैं। 2.3 लोगों के पास ट्रैक्टर्स नहीं हैं, 3.6 प्रतिशत लोगों के पास बोरिंग नहीं हैं, उस हिन्दुस्तान में हम कौन सी कल्पना कर रहे हैं। 18.8 प्रतिशत हमारी शैक्षणिक ग्रोथ है और सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा साउथ, केरल और सबसे ज्यादा अन्ध भक्ति भी वहीं है। 6 महीने गर्भ में बच्चे

रखने वाले हम लोग और तीन साल के, 6 साल के बच्चे को हम लोग वहां पर सामाजिक कारणों से भगवान पर दान दे देते हैं। यह हमारा भारत है। आज भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया, पूनिया जी को, यह मेरा भारत है। समाज की स्थिति कहां पर है।

हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा किसान और सबसे बुरी स्थिति भारत में किसानों की है। 49 लाख हजार हैक्टेयर जमीन खाली है और बिहार की स्थिति, सीग्रीवाल साहब, आप जानते हैं, 78.8 प्रतिशत आदमी 4600 रुपये में गुजर-बसर करता है और 82 से ऊपर 24 रुपये के नीचे, भारत का 27 रुपये है और बिहार का 24 रुपये है। बिहार में एजुकेशन की ग्रोथ क्या है, आप भी जानते हैं, आठ पोइंट कुछ है, सबसे ज्यादा तो हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं, हम जब इन चीजों की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि क्या है, बेघर जाति का। इस भारत में क्रान्ति कब हुई है? 1942 के बाद कौन सी क्रान्ति हुई, जे.पी. और लोहिया जी ने जब वैचारिक लड़ाई और संघर्ष की शुरूआत की तो क्या था, शोषण के खिलाफ। किसका शोषण था? लम्बे समय से देश में जो लोग राज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का एक परिवर्तन हो, दुनिया में एक परिवर्तन की कल्पना थी, वह इकोनोमिकल ग्रोथ के लिए थी। भारत में एक परिवर्तन की कल्पना आई, सामाजिक न्याय के ग्रोथ के लिए, लेकिन हुआ क्या? सम्पूर्ण विकास की कल्पना की गई, सम्पूर्ण मानव की कल्पना की गई, याद करिये, आप ही कहा करते थे, हमको आपका एक भाषण याद आ गया, सभापति जी, गोपालकृष्ण गोखले जी ने 1911 में समान एजुकेशन की बात की थी। महात्मा फूले और पेरियार जी ने सबसे ज्यादा अपनी बातों में क्या कहा था, उन्होंने कहा था सबसे अत्यधिक कर देने वाला दलित है, गरीब है, कमजोर वर्ग है तो सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन का कमजोरों पर, गरीबों पर, दलितों पर खर्च होना चाहिए, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में क्यों नहीं हुआ? क्यों समान एजुकेशन आज तक नहीं है, 1964 और 1966 में पहली बार एक आयोग बना था, याद करिये, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने समान एजुकेशन के बारे में कल्पना की थी। उसके बाद दूसरा आयोग बना - मुचकुंद दूबे आयोग। उसने एजुकेशन के बारे में कहा कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कम्पलसरी क्यों होना चाहिए।

महोदय, अभी स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट आयी है। मैं भारत सरकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्लीनिकल एक्ट के बारे में राय दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लीनिकल एक्ट लागू होनी चाहिए। अमेरिका और जापान ने एक सर्वे किया कि भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण इसका मेडिकल सिस्टम है, यानी दवाई और जांच। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक अव्यवस्था, शैक्षणिक माफिया। यह जो शैक्षणिक अराजकता है, आप इससे भटक जाएंगे। यह जो मेडिकल सिस्टम में अराजकता है, यह जो माफियागिरी है, तो एम्स को छोड़ दीजिए और यह बताइए कि

बिहार में कौन-सा अस्पताल है, जहां दवाई मिलती है? कौन-सा अस्पताल है, जहां वेंटिलेटर की सुविधा है? इसमें गरीबों की स्थिति क्या है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस बात को आपने उठाया है, उसमें सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखे बिना क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इससे कौन-सी क्रांति होगी? इससे सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। आप समान एजुकेशन की कल्पना भी नहीं करेंगे। एक तरफ, दुनिया के सबसे महंगे अस्पताल में पप्पू यादव का बेटा-बेटी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, और दूसरी तरफ, सबसे खराब अस्पताल में, जहां कुत्ता बैठा रहता है, वहां हिन्दुस्तान का अंतिम गरीब व्यक्ति इलाज कराएगा। क्या वैसे अस्पताल में गरीबों का स्वास्थ्य लाभ होगा?

सभापति महोदय, बिहार में 8,600 गांव हैं और उनमें से 5,400 गांवों में मध्य विद्यालय तक नहीं है। 4.2% विद्यालयों में टीचर नहीं हैं। जो टीचर हैं, वे भी वैसे हैं, जिनकी न तो क्वांटिटी है और न ही क्वालिटी। वहां बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? वहां डॉक्टर कैसे हैं, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? इसलिए यदि हम गरीबों के बेसिक सवालों को नहीं उठाएंगे, और यदि हम उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक कल्पना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

वोट, वोट तो दारू पर दिया जाता है। हम खरीदते हैं। इस हिन्दुस्तान में वोट तो पैसे पर बिकते हैं। अभी बिहार में विधान परिषद के चुनाव में क्या हुआ? इसे बंद करिए। मैं तो यह कहूंगा कि यदि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो बिहार का विधान परिषद भी बंद होना चाहिए। वहां कौन गया - गांजा माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, शराब माफिया। ये सब के सब विधान परिषद में गए और सब पैसों से खरीदे गए। उन्होंने 1200 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्हें टिकट किसने दिया? सिग्रीवाल साहब, टिकट नेता ने दिया। टिकट किसको दिया जाता है? सिग्रीवाल साहब, यदि आपकी जाति के लोग छपरा में हैं, शिवहर में हैं तो आपको टिकट मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है, ताकत है तो आपको टिकट मिलेगा। यदि एक कॉमन आदमी को टिकट देने की बात है तो एक डी.जी.पी. नौकरी से हट कर बेगूसराय से चुनाव लड़ने गए थे। उन्हें तीन हजार वोट भी नहीं मिले। क्या इस देश में वोट मिलेगा, जहां पर नैतिक और ऊंचे मूल्यों की बात नहीं होगी, जहां पर लम्बा इकोनॉमिक गैप होगा? क्या वहां पर आप कम्पलसरी वोटिंग की बात करना चाहते हैं? इस हिन्दुस्तान में इसका सवाल ही नहीं उठता।

महोदय, मैं एक बात का आग्रह करना चाहूंगा। इतने लम्बे गैप के बाद और इतने लम्बे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण के गैप के बाद हिन्दुस्तान में कम्पलसरी वोटिंग की कल्पना नहीं की जा सकती? हम कभी टुअर होने के सवाल को, कभी मंडल को, कभी कमंडल के सवाल को उठाते हैं। लेकिन जिस हिन्दुस्तान ने रोटी के सवाल पर, भय के सवाल पर, भूख के सवाल पर कभी क्रांति न की हो, और

जहां हमेशा भाषा और क्षेत्रवाद के आधार पर बात की गयी, उस हिन्दुस्तान में यदि हम इसकी कल्पना करें तो क्या होगा?

महोदय, दिल्ली में क्या हुआ? वाइ-फाइ फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और अगर उनका बस चलता तो वे यमुना में दूध भी फ्री कर देते? वोट किसे मिला? यहां के बौद्धिक लोगों ने वोट किस पर दिया? यहां की महिलाओं ने वोट किस पर दिया? उन्होंने वोट दिया कि आधी कीमत पर उन्हें बिजली मिल जाएगी। हिन्दुस्तान के इतिहास में अगर किसी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक एनार्की पैदा की, अगर किसी ने राजनीतिक डेथ वारंट लिखा, तो उसका नाम ... * है, जिसने आने वाले भविष्य को चुनौती दी।

**माननीय सभापति:** किसी का नाम नहीं लीजिए।

**श्री राजेश रंजन :** ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में क्या हुआ? यहां हमेशा सपना दिखाया गया। कभी दो किलोग्राम चावल का सपना दिखाया गया तो बिहार में साइकिल दिया गया। साइकिल किसको दिया? बेटी को। वाह रे वाह, आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान में बिहार की 9,335 लड़कियां टेक्नीकल एजुकेशन नहीं ले पाईं। नीतीश कुमार को शायद इसका पता है या नहीं, पर मैंने उन्हें यह भेजा था। यह उन्हीं की वेबसाइट पर था। वहां 4.2 प्रतिशत टीचर नहीं है, 5,400 गांवों में मध्य विद्यालय नहीं हैं। साइकिल लेकर वोट ले लिया। इस बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शराब रोक देंगे। अभी चार एमएलसी को शराब माफिया को दिया, पांच सौ करोड़ लेकर शराब वाले को दिया और कह रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो शराब रोक देंगे, ताकि महिलाएं उनको वोट दे दें।

मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि शराब, शबाब, कबाब, धन और जाति की जो प्रासंगिकता है, इसको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैप को बहुत गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की व्यवस्था को, 92 प्रतिशत लोगों के सवाल को समझना होगा। जब तक उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण को नहीं रोकेंगे, जब तक कुत्ते से भी कम उसकी आमदनी और खर्च होगा, तब तक हिंदुस्तान में कंपल्सरी वोट की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि कंपल्सरी वोट करना हो तो आपको एकरूपता के बारे में सोचना होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में मानव निर्माण की कल्पना की गई थी, हमारे पूर्वजों ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, संपूर्ण विकास की कल्पना की थी।

अंत में, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व शिक्षा और फंडामेंटल राइट सबके लिए न्याय समान, सबकी प्रतिष्ठा समान, सबका धर्म समान, समाज

* Not recorded.

के हर व्यक्ति को न्याय के साथ आगे बढ़ाना जब तक नहीं तय होगा, तब तक वोट की कल्पना बेकार है। धन्यवाद।

**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) :** सभापति जी, आज मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी द्वारा लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल, अनिवार्य मतदान के विषय में, पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी माननीय पप्पू यादव जी गरीबों की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाकर अनिवार्य मतदान की बात सोचनी चाहिए, इस प्रकार की बात कर रहे थे। शायद इनको भी याद है और हम सबको याद है कि हिंदुस्तान सैकड़ों वर्ष गुलाम था और गुलाम होने के कारण हिंदुस्तान में तमाम चीजों पर, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, स्वतंत्रता का प्रतिबंध, मतदान का प्रतिबंध, आजादी का प्रतिबंध, शिक्षा का प्रतिबंध, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का प्रतिबंध। इसको लेकर हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों ने सैकड़ों वर्ष आंदोलन किया, लाखों नौजवानों ने कुर्बानी दी। सबके मन में यह था कि हमारा देश आजाद होगा, हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक होंगे, हमको हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी, मतदान की भी हमें स्वतंत्रता होगी, हमें बोलने की भी स्वतंत्रता होगी, शिक्षा ग्रहण करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस नाते इस देश के लाखों नौजवानों ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, तब वर्ष 1947 में यह देश आजाद हुआ।

एक आंकड़ा मेरे पास है। जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब देश में सन् 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13 प्रतिशत जनता को मतदान देने का अधिकार था। यह क्यों था? जो अंग्रेज शासक थे, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके एजेंट के रूप में जो काम करते थे, विभिन्न प्रकार की शर्त जोड़कर उन्हीं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। इस नाते इस देश में सैकड़ों वर्ष आंदोलन हुए, देश के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ। मैं आज यह कह सकता हूं कि आज जब देश आजाद हुआ है, तो आज भी 35, 40, 45, 50, 55 प्रतिशत वोट पाकर सरकारें बन रही हैं, लगभग आधे लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। जो मतदान नहीं कर रहे हैं, वे कौन से लोग हैं? मुझे लगता है, वे वही लोग हैं, जो शोषित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके यहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। जब वोट देना अनिवार्य नहीं रहता है, शत-प्रतिशत लोग वोट दें, यह अनिवार्यता नहीं रहती है, तो लालच देकर, धमकी देकर, बंदूक दिखाकर उनका वोट लिया जाता है। मेरा मानना है कि लोगों को वोट के लिए अनिवार्य करना चाहिए और जब वोट के लिए अनिवार्य होगा, तो निश्चित रूप से जो पैसे के आधार पर वोट खरीदे जाते हैं, शराब बांटकर वोट खरीदे जाते हैं, धमकी देकर वोट लिया जाता है, ऐसी प्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगेगा। इस नाते मैं यह मानता हूं कि शत-प्रतिशत लोगों को वोट देना अनिवार्य किया जाए। यह हमारी मांग है। वर्ष 2014 के मतदान में सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। जब ज्यादा लोग मतदान करते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छी सरकार आती है। उस सरकार से हर वर्ग के लोग, चाहे वह

गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिन्दू या मुसलमान हों, सभी लोगो को अपेक्षाएं रहती है। हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से लोगों की अपेक्षायें हैं। चाहे वह गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिन्दू या मुसलमान हो, सभी लोगों ने मत देकर इस सरकार को चुना है। सबको यह एहसास है कि यह हमारी सरकार है, यह अपनी सरकार है, इस नाते यह सरकार इस काम को करेगी तो अच्छा रहेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, चूंकि वह सबका वोट पाये हैं, सभी क्षेत्रों का वोट पाये हैं, सभी वर्गों का वोट पाये हैं, इस नाते गरीबों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

**श्री राजेश रंजन:** सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

**माननीय सभापति :** आप रूल बताइए। किस रूल के तहत?

**श्री राजेश रंजन:** अभी बिहार में लाठी चार्ज से दो महिलाओं की मौत हो गयी। ...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** यह रूल में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है। हरीश जी आप अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

## 16.51 hrs

*At this stage, Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table.*

**माननीय सभापति :** यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। आप कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** यह हमारे सदन का विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

**हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:** सभापति महोदय, 22 देशों में अनिवार्य मतदान है। ...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)...*

**माननीय सभापति :** आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं। आप इस विषय को सोमवार को सदन में उठा सकते हैं। उस दिन आपके विषय को ले लिया जायेगा।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप अनावश्यक ही सदन की कार्यवाई में बाधा पैदा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह आपकी बात सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** यह बिहार सरकार का काम है, यह क्या करेंगे।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप माननीय सदस्य को बात समाप्त करने दीजिए, उसके बाद इस पर विचार किया जायेगा।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप अपनी सीट पर जाइए। यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

**18.03 hrs**

*At this stage, Hon. Member Shri Rajesh Ranjan went back to his seat.*

**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:** सभापति महोदय, 22 देशों में अनिवार्य मतदान है। हमारे प्रधानंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक विधेयक गुजरात विधान सभा में लाये थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू किया जाये और वहां की विधान सभा ने इस विधेयक को बहुमत से पास किया था। मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में हर क्षेत्र का विकास हो, गरीबों को हर प्रकार का अधिकार मिले, गरीब भी खुशहाल हो, उसको शिक्षा, चिकित्सा, नौकरियों में विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिले, इसलिए मतदान को अनिवार्य करना चाहिए। टैक्स पेयर्स बार-बार यह कहते हैं कि सरकार हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, वह इसलिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने टैक्स दिया है और सरकार से जवाब-तलब करना, उनका अधिकार है। अगर सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है तो हम उस पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति मतदान करेगा तो सरकार की हर गतिविधि पर उनकी नजर होगी। सरकार अच्छा काम करेगी, उसकी प्रशंसा आम जनता करेगी लेकिन अगर सरकार गलत काम करेगी तो उस पर प्रश्न चिन्ह आम जनता खड़ा करेगी। इस नाते आवश्यक है कि मतदान को आवश्यक किया जाये। आने वाले समय में जागरूकता के साथ-साथ शिक्षा आवश्यक है। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि 67 वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर स्कूल, चिकित्सा की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चलने के लिए रास्ता और पीने के लिए पानी नहीं है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। पिछले 67 वर्षों में कौन-सी ऐसी सरकार थी, किस दल की ऐसी सरकार थी, जिसने मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नौजवानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं पप्पू जी से भी कहूंगा, उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि वे इसके विरोध में हैं, यह अभी लागू नहीं होना चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपना विचार बदलिए क्योंकि अगर यह लागू नहीं होगा तो जो राजनीतिक दल पिछले 65 वर्षों में शासन में थे…(व्यवधान)

**श्री राजेश रंजन :** लागू होना चाहिए।…(व्यवधान)

**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:** बड़े-बड़े पदों पर हैं, अच्छा-खासा पैसा कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, वही लोग बार-बार जीतकर आते हैं। तमाम बड़े-बड़े नेताओं के लड़के चुनाव जीतकर आते हैं क्योंकि उनके पास हर प्रकार के संसाधन हैं, वे वोटरों को प्रभावित करते हैं। तमाम क्षेत्रों में जाकर वोट

को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने का काम करते हैं। इस नाते मेरा मानना है कि गरीब का बेटा तभी आकर लोक सभा में बोल सकता है, किसान का बेटा तभी आकर लोक सभा में बोल सकता है जब अनिवार्य मतदान होगा। तब अच्छे लोग चुने जाएंगे। न अपराधी चुना जाएगा, न पैसे वाले चुने जाएंगे, न शराब माफिया चुने जाएंगे। जब गरीब व्यक्ति मतदान करेगा, किसान, मजदूर मतदान करेगा, अगड़ा-पिछड़ा मतदान करेगा, शत-प्रतिशत मतदान होगा, तभी अच्छे लोग चुने जाएंगे।

अभी हमारे टेनी जी कह रहे थे कि लोक सभा में जिस प्रकार व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार एक पार्टी के कुछ लोगों को लग रहा है कि हिन्दुस्तान में जो माननीय मोदी जी की सरकार है, वह पांच वर्षों में ऐसा काम कर देगी कि हमारे 60 वर्षों की तुलना देश की जनता करेगी, इस नाते ऐसा कुछ किया जाए कि काम ही न होने दिया जाए। जिस प्रकार 14 महीने में गरीबों की जन-धन योजना से लेकर सुरक्षा बीमा, अटल पैंशन योजना, आजीवन बीमा आदि तमाम ऐसी योजनाएं मोदी जी लाए हैं, उससे देश के गरीबों को लग रहा है कि यह हमारी सरकार है, हमारी पीड़ा समझने वाली सरकार है क्योंकि मोदी जी भी उसी गरीबी से उठकर यहां आए हैं। उन्हें यह एहसास है कि गरीबों की पीड़ा क्या होती है। हिन्दुस्तान में 20 करोड़ ऐसे लोग थे जो यह नहीं जानते थे कि बैंक क्या होता है, बैंक में क्या-क्या होता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वे खाते नहीं खुलवा सकते थे। मोदी जी ने कहा कि अब पैसे की आवश्यकता नहीं है, जीरो बैलैंस पर हम खाता खुलवाएंगे और केवल खाता ही नहीं खुलवाएंगे बल्कि उन्हें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देंगे, 30 हजार रुपये का आजीवन बीमा देंगे, 5 हजार रुपये का ओवर ड्राफ्ट देंगे। वे इस प्रकार की योजना लाए और 14 करोड़ लोगों ने हिन्दुस्तान में खाता खुलवाया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी।

हम लोग गांव में रहते थे। गांव में पटिदारी में जब आपस में झगड़ा होता था तो लोग ताना मारते थे। अगर कोई सरकारी नौकरी में रहता था तो कहते थे कि इनका क्या है, 60 साल तक इन्हें तनख्वाह मिलेगी, 60 साल के बाद भी सरकार कर्जदार है, इन्हें पैंशन देगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसा प्रधान मंत्री होगा, कोई ऐसी सरकार आएगी जो हर व्यक्ति के लिए पैंशन योजना लेकर आएगी। अटल पैंशन योजना माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वह नौकरी में हो या नहीं, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो, अगर वह किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार है तो 60 साल के बाद पैंशन पाएगा। वह जब तक जीवित रहेगा तब तक पैंशन पाएगा, नहीं जीवित रहेगा तो उसकी पत्नी पैंशन पाएगी। पत्नी नहीं रहेगी तो उसके परिवार को जोड़कर दे दी जाएगी। तमाम ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है क्योंकि हिन्दुस्तान के अधिकतम मतदाताओं ने माननीय मोदी जी को चुना है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस नाते

आज मोदी जी के ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दबाव भी है कि आने वाले समय में जिन गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, समाज के जिन वर्गों ने हमें वोट दिया है, हमें उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसे अनिवार्य करना चाहिए। अगर अनिवार्य मतदान होगा तो चुनाव में जो तमाम प्रकार का दुरुपयोग होता है, उस पर प्रतिबंध लगेगा। अच्छे लोग चुनकर आएंगे, गांव से लोग चुनकर आएंगे, गरीब का बेटा चुनकर आएगा, दलित का बेटा चुनकर आएगा, मजदूर का बेटा चुनकर आएगा।

माननीय सीग्रीवाल जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आने वाले समय में निश्चित रूप से अनिवार्य मतदान लागू करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाकर इस पर समीक्षा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**17.00 hrs**

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) :** माननीय सदस्य पप्पू यादव जी ने जो चिंता व्यक्त की है और इन्होंने सदन को बताया कि उक्त घटना में दो महिलाओं की मौत भी हुई है। इसे लेकर सदन दुखी है। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाई जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी।

**17.01 hrs**

(Dr. P. Venugopal *in the Chair*)

**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) :** महोदय, आज सिंग्रीवाल जी द्वारा सदन में अनिवार्य मतदान बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आजादी के पहले लोगों ने भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी। आजादी के 68 साल बाद भारत के पुनर्निर्माण के लिए लोगों ने अपनी शक्ति का संचार किया। हिन्दुस्तान की आजादी के 68 सालों बाद की समस्याओं का समाधान अनिवार्य मतदान है। अगर इस देश को समृद्ध करना है, इस देश को पूरे विश्व का शहंशाह बनाना है इसके लिए अनिवार्य मतदान जरूरी है। हमलोगों ने इस देश में कई चुनाव देखें हैं। लेकिन आज इस लोकतंत्र में कोई चारा खा जाता है, कोई टेलीफोन का तार खा जाता है, कोई यूरिया खा जाता है, कोई देश की गरीब जनता की योजनाओं का पैसा खा जाता है। देश में जमीन से आसमान और पाताल तक की चीजों को नहीं छोड़ता है, तब लगता है कि देश में राजनीति में शुचिता होना जरूरी है, अगर शुचिता नहीं होगी, अगर राजनीति में

अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में देश को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक इस देश को विश्व का शक्तिशाली मुल्क नहीं बनाया जा सकता। आज जरूरत इस बात की है कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो। आज कई राजनीतिक दलों में सुप्रीमो जैसी बात है, इस राजनीतक दल का सुप्रीमो ये हैं। मैं अपने आप को गौरान्वित महसूस करता हूं कि मैं जिस राजनीतिक दल से आता हूं उसमें आंतरिक लोकतंत्र है, बुथ स्तर पर काम करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला इस पार्टी का इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। जब तक सभी दलों में राजनीतक लोकतंत्र नहीं आएगा, आज चुनाव आयोग के पास 1200-1300 राजनीतक दल रजिस्ट्रड होंगे लेकिन दो या तीन राजनीतक दलों को छोड़कर कोई भी आइडियल विचारधारा पर नहीं चलती है बल्कि परिवार के आधार पर चलती है सुप्रीमो के आधार पर चलते हैं।

अभी चुनाव पैसे लेकर टिकट दिए जाने की बात हो रही थी। ऐसे लोग टिकट लेने के बाद उस पैसे को निकालने के लिए देश में भ्रष्टाचार करते हैं। आज चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, 60-70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान नहीं होता है। आज जितने प्रत्याशी को मत मिलता है उससे ज्यादा मत वोट की पेटी में नहीं पड़ते हैं। चुनाव में लोगों को प्रभावित किया जाता है, मैनेज किया जाता है। कई बार एक क्षेत्र के लोगों के वोट पड़ जाते हैं दूसरे क्षेत्र के लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं। इस देश में अनिवार्य मतदान की बहुत आवश्यकता है। आज अमीरी और गरीबी, अगड़े और पिछड़े का भेदभाव मिटाने का तरीका अनिवार्य मतदान ही है। आज अनिवार्य मतदान को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है जब तक यह सख्ती से लागू नहीं होगा तक अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश नहीं होगा। आज जेल रहकर भी लोग चुनाव लड़ा जाता है आज इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जेल की जंजीरों में, बेड़ियों में बंद होने के बावजूद भी वह चुनाव जीत जाता है तब इस देश के सामने एक प्रश्न चिह्न खड़ा हो जाता है कि क्या यह लोकतंत्र है? जब लोकतंत्र की बात आती है, तब अब्राहिम लिंकन का भी नाम आता है कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जब उस शासन में जनता तत्व ही पूर्ण नहीं आयेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब शतप्रतिशत मतदान होगा, अधिकांश मतदान होगा, तभी यह होगा। आज भी हम कई जगह देखते हैं कि कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है, फिर भी वे चुनाव जीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि क्या 20-22 प्रतिशत लोग ही जन-प्रतिनिधि बनायेंगे? क्या ऐसे लोग ही इस देश की नीति का निर्माण करेंगे? उस समय अनिवार्य मतदान की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मैं दो वर्ष पुरानी घटना बताना चाहता हूं कि कोई मंत्री बहुत बड़े जुर्म के बाद जेल से छूटकर आता है और बाहर

आने के बाद मीडिया के सामने डांस करता है और विक्टरी का निशान दिखाता है। उस समय लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। जब तक लोग धर्म, जातिवाद और मजहब के आधार पर राजनीति करते रहेंगे, तब तक उन सबका अंत नहीं होगा। अगर इसका कोई अंत है, तो वह अनिवार्य मतदान है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग देखते हैं, मेरे पूर्ववक्ता ने एक बात कही कि गुजरात में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान किया गया, तो आज लगता है कि वहां अच्छे लोग राजनीति में आये हैं। चाहे पंचायत राज हो या स्थानीय निकाय हो, जब राजनीति में सूचिता आती है, ईमानदार लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो राजनीति में भी अच्छा काम होता है। अच्छे लोगों द्वारा इस देश में अच्छी नीति का निर्माण होता है।

अभी मेरे साथी कह रहे थे कि इस देश में जन-धन योजना आयी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अगर सबसे अच्छी कोई योजना है, तो वह यह है। आज मजदूर जब मनरेगा में मजदूरी का काम करता है और अपनी मजदूरी के लिए तहसील में पटवारी और तहसीलदार के पास जाता है, तो वहां भी उसे व्यवस्था के नाते कुछ करना पड़ता है। आज प्रधान मंत्री जी ने इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जन-धन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत उनकी मजदूरी दिल्ली से सीधे उसके खाते में जायेगी। अब कोई वृद्ध अपनी पैंशन लेने के लिए डाकिया का इंतजार करता रहता है, लेकिन डाकिया चार-पांच महीने की पैंशन इकट्ठी करने के बाद देता है और उससे कहता है कि मेरा भी कुछ बनता है। आज उस वृद्ध की पैंशन जब सीधी उसके खाते में जायेगी तो इस देश में भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। आज कई लोग बात करते हैं कि गरीब लोगों का राजनीति में आना मुश्किल होता है, आम आदमी का राजनीति में आना मुश्किल होता है। अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर आदि कई लोग अपने दिमाग में अच्छे समाज की सोच रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बेड़े में ऐसे कई लोग हैं, जो इस देश के निर्माण में अपनी महत्ती भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई ऐसे लोग हैं, जो एक साधारण परिवार से आये हैं और आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आकर बैठे हैं।

सभापति महोदय, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन मेरी ट्रेन का समय हो गया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सीग्रीवाल जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान को सख्ती से इस देश में लागू किया जाये। इस देश में यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भाई-भतीजेवाद को समाप्त करना है, बाहुबलीवाद को समाप्त करना है, मजहब के

आधार पर होने वाली राजनीति को समाप्त करना है तो आवश्यक मतदान का कानून सख्ती से बनाया जाये और उसकी पालना करायी जाये।

अंत में, मैं यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Our country was founded on great ideals. We had great leaders - Ambedkarji, Nehruji, Rajaji and Shastri – who cherished democracy where Parliament and policies represent the people accurately.

The greatest advantage of compulsory voting is that the policies of the Government and representation of the people will be more accurate to the will and wishes of the people. If a section of the population votes in huge numbers and if another section votes very sparsely, then the representation is skewed and the policies are skewed.

In a diverse country like India, some groups have voting percentage of 90 per cent and some groups have voting percentage of less than 40 per cent. So, definitely, representation in the Parliament will be skewed and the policies of our Governments will be skewed, and that was not the intent of the founding fathers of this great democracy. It is not in the interest of the nation that anything be skewed let alone the policies. It is bad enough in countries with homogeneous population, but in a diverse country like India it is even more dangerous that the representation is very skewed.

Hon. Chairperson, I ask this question. Should not a simple, but a very important duty of any responsible citizen towards democracy be made mandatory? I think that it should be made mandatory. However, in 1951, when the People's Representation Bill was being discussed in the Parliament, it was rejected by hon. Dr. Baba Saheb Ambedkar. The reasons as to why he rejected is even more important. The reasons he rejected it was that it was impractical in those days where voting was not accessible to many people. But the very reasons that it was rejected no longer exist. Now, voting is accessible in every nook and corner of India. Again, I think that the Dinesh Goswami Committee in 1990 also came up

with the same conclusion that it is impractical, but I think that we have long overcome those practical difficulties. It is now time to rethink on this issue.

There are many people, and hon. Member, Shri Pappu Yadav, also mentioned various reasons for not imposing compulsory voting like poverty, lack of awareness, lack of education and various other reasons. But it is those very reasons that this compulsory voting will eradicate through better representation of people. The other people who are against compulsory voting say that it restricts freedom. How does it restrict freedom? I think that now in most places we are not forced to choose only the 5, 6, 7 or 10 candidates, and we also have the NOTA – None Of The Above.

One more important thing is that now the youth have begun to vote. Many youth do not belong to any political parties and they do not have any political affiliation. Their only interest is their future and what the country can give them – a job, a career. Political parties are very organised before elections right from distributing voting slips and so on and so forth. This is not really the interest of the youth. So, Members not belonging to political parties or Members belonging to unorganised political parties definitely have a disadvantage if the voting is not made compulsory.

Voting is made compulsory in many countries. As you know, 26 countries including Brazil, Singapore, Australia, etc. have all made voting compulsory. The question is how to make it compulsory without actually penalising people wrongly. These are small issues and we can overcome those.

The voter turnout in even the hilly regions in North-East this time was between 70 per cent and 80 per cent. So, accessibility is no longer an issue. The voting percentage in some of the developed cities like Mumbai, Bengaluru, etc. turned out to be low. So, access is no longer an issue. In fact, the data seems to suggest the opposite. If awareness and education on voting rights were the reasons, then the statistics exactly point the opposite. Clearly, voting is not regarded as the foremost duty of many citizens. A Compulsory Voting Bill skews the flaws in

democracy. We should make sure -- over a period of time without making it impractical -- that we try to go towards compulsory voting.

Lastly, I myself am of the opinion that compulsory voting is absolutely necessary, but when and how is the only question. A committee needs to be formed on how to implement such a compulsory voting system in our country which will really bring about the democracy that our leaders cherish for.

**श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) :** सभापति जी, आपने मुझे अनिवार्य मतदान चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रजातंत्र में मतदान अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम है। कम मतदान होने की वजह से जीतने वाले प्रत्याशी बहुत ही कम परसेंट वोट से जीतते हैं। प्रजातंत्र में जो सरकार बने वह लोगों के बहुमत की सरकार बननी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि अनिवार्य मतदान के लिए लोगों में जागरुकता पैदा की जाए और शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है और देश के आर्थिक हालात का ठीक करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 15 करोड़ के करीब बैंक खाते खुले हैं, उससे लोगों में जागृति आएगी। इसके लिए हमें अनिवार्य मतदान का कानून बनाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए कि जिस तरह से हम पेंशन की सुविधा जनता को देते हैं उसी तरह हमें आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए तथा यह करना चाहिए कि उन्हीं लोगों को सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो मतदान का प्रयोग करेंगे।

चाहे दूसरी सरकारी नीतियों की ही बात क्यों न हो, उनमें भी यही पालिसी लागू करनी चाहिए। चाहे रोजगार के मामले हों, सब बातों से हम इसे जोड़े तो देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है और देश में प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। जिस तरह से संसार के बहुत-से देशों में, लगभग 26 देशों में मतदान अनिवार्य है, वैसे ही हमारे यहां भी मतदान अनिवार्य हो तो यह राजनीति का सिस्टम भी बदल सकता है। आप देख सकते हैं कि पिछले 10-12 दिनों से जो हालात लोक सभा में देखने को मिले, इनसे भी लोगों में बुरा असर पड़ता है कि क्या जनता इसलिए हमें चुनकर भेजती है कि यहां इस तरह से शोर-शराबा मचाएंगे जो कि गांव की पंचायत में भी नहीं होता है। हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर लोगों को भावना से जोड़ना है, तो हमें अपने आपमें भी सुधार करना होगा, अपने सिस्टम में भी सुधार करना होगा तथा साथ-ही-साथ लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार करने के बारे में सोचना होगा। जब हम मतदान को आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो कोई भी आदमी देश के किसी भी हिस्से में क्यों न गया हो, वह अपनी वोट का प्रयोग आसानी से कर सके, इस तरह का प्रावधान करने की जरूरत है और चुनाव आयोग से सरकार इस बारे में बात करे ताकि अनिवार्य वोटिंग हो। इससे लोगों में प्रजातंत्र के प्रति आस्था बनी रहेगी।

यह बात भी सत्य है कि अगर वोटिंग अनिवार्य की जाएगी तो लोगों के जीतने का प्रतिशत भी अच्छा होगा और जनता जिसे चुनना चाहती है, उसके हिसाब से जिसके वोटों की संख्या ज्यादा होगी, उतना ही वोट का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। प्रजातंत्र में चुने हुए लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे देखें कि अनिवार्य मतदान कैसे कराया जा सकता है। जिस तरह से हम टीवी चैनल्स में लोक सभा टीवी

देखते हैं, उससे भी लोगों में राजनीति के प्रति और नेताओं के प्रति विश्वास की कमी आ रही है। लोग सोचते हैं कि वे क्यों एक-दो घंटे लाइन में खड़े रह कर वोट करते हैं और ऐसे आदमियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। अगर हम शिक्षा में सुधार करें, बेरोजगारी दूर करें और लोगों की आर्थिक दशा सुधरे तो इससे देश में सामाजिक क्रांति भी आएगी।

देश में कई दल जो फ्री की स्कीम्स देते हैं, इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। इससे भी समाज का नुकसान होता है। हमारे यहां कहावत है कि अगर किसी प्रदेश का, घर का या देश का नुकसान करना हो तो फ्री की बातें बता दो और चुनाव के दौरान झूठी-सच्ची बातें कह कर मतदाता को गुमराह करके वोट ले लो, इससे समाज का भी नुकसान होता है और प्रदेशों का भी नुकसान होता है। जिस तरह से गुजरात में निचले स्तर पर पंचायत स्तर पर जिला कारपोरेशन के चुनाव में किया गया है, वैसा ही सारे देश के लिए इस नियम को बनाना चाहिए।

मैं अनिवार्य मतदान का समर्थन करता हूं।

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me the permission to speak on this Compulsory Voting Bill, 2014. The contention of the hon. Member who has brought this Bill, is that a voter who is eligible to vote in the election should exercise his right when called by the Election Commission. He wants all the people to vote in the elections. The reason as to why he has brought this Bill is that in the elections there is lower turn-out. The other reason is that it encourages the citizen to exercise his right in order to elect their representative, so, the result of the elections would show the will of the electorates and not just a segment of them.

I would like to remind the Mover and all the Members that in India we have seen for the past few elections, there is increase in the number of electorates who turn to the polling booth every year. This compulsory voting has a history. In Athenian Society it is the duty of every citizen to participate in decision-making but attending the Assembly was voluntary. They made every people to come and participate in the decision-making process. That was the main reason in the olden days.

This compulsory voting method has been in place in about 22 countries all over the world. In some countries, the law is there, but it is not enforced. In some other countries, the law is there and they are compulsorily enforcing that law. In India, so far, there is no compulsory voting in any place. But recently in Gujarat, in the local body elections, the Assembly has made voting compulsory. It was mentioned that if anybody does not vote, he would be penalized. In countries like Australia, Argentina and Brazil, compulsory voting is there and the law is enforced. If an electorate does not turn to the polling booth, he is punished.

In this Bill, the Member has mentioned as to how this exercise should be done; how the people should be encouraged to vote; if they do not vote, how they should be punished and so on. All these things are mentioned in this Bill. All over the world, the reason for compulsory voting is that it looks upon the voters' participation as a civic duty similar to taxation or compulsory education or

military service and so on. In some countries, military service is compulsory. In some countries universal participation of electorates will help in electing a Government which is more stable, legitimate, genuine in nature and reflects the will of the people. This prevents disenchantment of socially disadvantaged groups. But the problem if you follow this method is that you have to conduct elections on holidays. In countries where this method is followed, election is conducted only on Saturdays and Sundays. People there vote through postal ballot, pre-poll voting is allowed, e-mail voting is allowed, and even mobile voting is allowed. All these facilities are not available in our country.

If people who are not likely to support any candidate participate in compulsory voting, there is likelihood of split votes or blank votes. This ensures that there is no possibility of a person being intimidated and prevented from voting. In India we have the NOTA option which can be exercised if an elector is not willing to vote in favour of any candidate. If you introduce compulsory voting, it will prevent extremists or special interest groups to influence the voters to compulsorily vote for a specific candidate. But in non-compulsory voting method, it is the motivation by the politicians that encourages voters to go to polling booths. The outcome of election where voting is compulsory reflects more the will of the people rather than who is more able to convince the people to take time out of their day to cast vote.

Compulsory voting motivates people to take part in the election process and politics. The advantage of compulsory voting is that there is need for less funds for campaigning. Because it is compulsory, people have to vote. But there is also a disadvantage. In Australia where there is a preferential method and compulsory voting, they select the candidates and they contest the election. Depending on the preferential vote the candidates get, they get electoral funding from the government. So, some of them are intentionally going through this process to collect money from the government.

The only advantage seems to be that studies show that compulsory voting improves the income distribution among the voters. I do not know what the reason is for that. The people who argue against compulsory voting say that it impinges upon the rights of the voters. It is a civic right rather than a civic duty, like right to free speech and right to attorney. Other reason is that it impinges on article 2 of the Universal Declaration of Human Rights which talks about freedom of political opinion and thus right of the citizen to believe in a political system other than the democratic one such as an absolute monarchy. Why America did not like this system is, for example compulsory voting violates freedom of speech because freedom of speech necessarily includes the freedom not to speak.

Other reason for compulsory voting is, if the voters have no interest in participating in the election, what they do is they randomly caste what is called donkey vote which constitutes one to two per cent of the voting. They show no interest in the election and just randomly vote in the election.

One more reason is that they have no interest in the candidates. They do not know anything about the candidates for whom they are voting. What some of the voters do is to go to the polling booth, choose the first candidate who is there on the ballot and vote for him.

Another reason is, some of the religious people do not want to vote. That is their religious freedom. If you enforce this, it affects their religious freedom.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the time for discussion on this Bill is complete. If the House agrees, we may further extend the time for discussion on this Bill by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, we agree that the time may be extended.

HON. CHAIRPERSON: Time is extended by one hour for discussion on this Bill.

DR. K. KAMARAJ : Sir, the other reason as to why I oppose this compulsory voting is that there is preferential voting favouring one political party. Even though the voter may not wish to take advantage from the political parties contesting in the election, yet he has to vote.

Another reason is informal voting. People just come and vote. The next reason is invalid votes. Sir, I would like to bring to your knowledge that in the elections which you have seen in India, there is postal ballot also. But people are casting invalid votes in a country where many of them are educated.

In the past one year, I have witnessed three elections in Tamil Nadu. In the last election in Chennai where our honourable leader *Puratchi Thalaivi Amma* contested, I was looking after a polling booth. At that booth, there were 1382 votes. Among them, there were 60 votes which had double entries, triple entries or four entries.

There are lots of problem in the election process itself. The voter's photo is changed. There is a male photo with a female name on the voter card. The name of the voter, who voted in the last election, may not be there in next election. Some people who come to the polling booth are not able to vote. These problems occur because our electoral system is still not well developed.

I would also like to say that in the parliamentary system, we have a Parliament. Even in the Parliament, we are not able to enforce compulsory voting; we are not able to educate and encourage all the Members to be present and vote in Division. Then how do we expect 1.2 billion people to come and vote in every election? So, I think our electoral system is continuously evolving. It is not right time to enforce compulsory voting. We can encourage the people to come and vote. We can create awareness among them. We have to completely change and improve our electoral system. Then only we can try for compulsory voting. What I can say is, you can encourage the voters who are willing to vote and give them some concession. But do not punish the voters who are not willing to vote. That is why I oppose the Bill. Thank you.

**श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** सभापति महोदय, श्री जनार्द्धन सीग्रीवाल की ओर से अनिवार्य मतदान का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उस पर पूर्ववक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का क्या महत्व है, इस बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी और इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं ने जो बलिदान और कुर्बानियां दी हैं, उसका महत्व जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज जिस बात को माननीय सीग्रीवाल जी ने प्रस्तुत किया है, यह केवल भारत के लिए नहीं है। हम विश्व के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो दुनिया में 20-22 देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपने यहां अनिवार्य मतदान का कानून बनाया हुआ है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए मैं दो-चार बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। अनिवार्य मतदान से जो लाभ होगा, उसमे पहली आवश्यकता है लोकतंत्र की सुरक्षा। हमारे देश में पिछले बीस वर्षों में दो-तीन ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, पंजाब का चुनाव हुआ, जिसमें 16-17 प्रतिशत मतदान हुआ और उसमें तीन पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जो पार्टी सत्ता में आयी उसके पास केवल नौ प्रतिशत मत था। एक तरफ सौ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ नौ व्यक्ति हैं। नौ व्यक्तियों द्वारा चुनी हुई सरकार सौ व्यक्तियों के लिए काम करती है। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में आपने देखा कि केवल 14-15 प्रतिशत मतदान पाकर वहां की सरकार बनी, सत्ता में रही, उसने काम किए और कानून बनाए। इसलिए यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे मैं दो कारण मानता हूं। पहला है कि जब तक शासन ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा कि मतदाता भय मुक्त होकर मतदान करे। दूसरा है कि उसमें उसके लिए रुचि पैदा हो। भय मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा प्रबंध किया जाए, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा और मैं अनेक क्षेत्रों को जानता हूं। गांव में विशेष तौर से बहुत सारे लोग डर के कारण मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं। पिछले चुनावों में भी मैंने देखा है। मैं पूर्व में भी चुनावों में हिस्सा लेता रहा हूं। मैं कई चुनाव बूथ पर गया, जहां इस प्रकार के बाहूबली लोग, जिनके भय के कारण लोग मतदान करने के लिए नहीं आते हैं। जब तक समाज को भयमुक्त नहीं किया जाएगा, जातिगत आधार पर गरीब और पिछड़े लोगों को शोषित किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसलिए भयमुक्त समाज हो। दूसरा, इसके लिए आवश्यक है कि लोगों में रुचि पैदा की जाए। रुचि कब पैदा होगी? रुचि तब पैदा होगी जब हमारी पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देकर आगे लाएंगी। तीसरा, यह है कि हमारे घोषणापत्र होते हैं, जिनमें हम घोषणाएं

कर देते हैं, लेकिन उन घोषणाओं की पूर्ति नहीं होती है। उसका परिणाम यह होता है कि मतदाताओं में उदासीनता आती है।

हमारे देश के जो क्रांतिकारी और शहीद थे, मैंने उनको पढ़ा है। रामप्रसाद बिस्मिल जी जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। उनको वर्ष 1927 में फांसी की सजा हुई थी। वह जब जेल में बंद थे तो अपने अंतिम समय में उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। अपनी आत्मकथा में वह एक बात लिख कर जाते हैं कि जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक वह स्वतंत्रता की परिभाषा को नहीं समझ पाएगा। आज स्वतंत्रता के नाम पर और मैं थोड़ा विषय से हटकर कहना चाहता हूं कि उसका परिणाम यह रहा कि लगातार पचास साल तक एक पार्टी ने शासन किया और उस पार्टी ने शासन करने से पहले भी लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझा। मैंने कांग्रेस के इतिहास को पढ़ा है जो तीन वॉल्यूम में लिखा है। पट्टाभिसीतारमैय्या जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने उस इतिहास को लिखा है। सुभाष चन्द्र बोस जी के बारे में, हम कल एक सेमिनार में बैठे थे, जहां उनकी उपलब्धियों और जीवन के बारे में हम सुन रहे थे। सुभाष चन्द्र बोस जी और पट्टाभिसीतारमैय्या ने चुनाव लड़ा। चुनाव में पट्टाभिसीतारमैय्या हार गए। उसके पीछे यह निकला कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिनको हम बहुत श्रद्धा से याद करते हैं, उन्होंने कहा कि यह हार पट्टाभिसीतारमैय्या की नहीं है, यह हार मेरी है और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स ने सुभाष जी को त्यागपत्र देने पर बाधित कर दिया। इसलिए इन लोगों ने कभी भी आजादी से पहले और आजादी के बाद भी और उसी का परिणाम था कि स्वामी श्रद्धानंद त्यागपत्र देकर गए, लाला लाजपत राय कांग्रेस को छोड़कर गए, मालवीय जी कांग्रेस को छोड़कर गए। इसी तरह कितने सारे लोग थे जो कांग्रेस को छोड़-छोड़ कर चले गए। इन लोगों की महत्ता को कभी नहीं समझा और उसी का परिणाम था कि पचास सालों में इनमें इतना अहंकार पैदा हो गया कि जिसके परिणामस्वरूप इमरजेन्सी आई और इमरजेन्सी के बाद जब लोगों ने यह अनुभव किया कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा, तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवा पीढ़ी के अंदर यह मैसेज गया, हमारे जैसे लोग उस समय विद्यार्थी थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और एक आंदोलन खड़ा हुआ, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी गई, तब दूसरी पार्टियां सामने आईं और उसका परिणाम आज यह है कि आज विपक्ष और पक्ष दोनों बैठकर यहां विभिन्न मुद्दों के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए जब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा, देश सुरक्षित नहीं होगा।

इसके लिए मैं एक-दो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि भयमुक्त शासन दिया जाए। दूसरा जैसे राजस्थान प्रांत है, वहां ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमारे यहां गांवों के अंदर बूथ होता है। दस-दस किलोमीटर के ऊपर ढाणियां होती हैं, छोटे-छोटे आबादी के क्षेत्र होते हैं। वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वोटर्स गाडियां लेकर आते हैं तो लोग डरते हैं कि दूसरा वोटर यह कहेगा कि

इसकी गाड़ी में बैठकर गये हैं। दूसरा इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक-एक प्रत्याशी को गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है और उसके ऊपर निर्वाचन आयोग की तलवार भी लटकी रहती है। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाया जाए, ताकि वह मतदान कर सके। इसके साथ-साथ जब तक मतदाताओं को हमारे विद्यालयों में इसका महत्व नहीं समझाया जायेगा, कालेजों में नहीं समझाया जायेगा, तब तक हमारे युवा इस बात को नहीं समझ पायेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार को जैसे पहले भी विचार आया है, इस पर बैठकर चिंतन और मनन करना चाहिए। मतदान में जैसे आजकल नोटा का भी प्रयोग होने लगा है, कई बार लोग कहते हैं कि जो प्रत्याशी पसंद नहीं है और अनिवार्य मतदान यदि लागू कर देंगे तो लोग कहां मतदान करेंगे, क्योंकि उनकी पसंद का प्रत्याशी चुनाव में नहीं है। उसका परिणाम यह निकलेगा कि यदि कोई पार्टी किसी गलत व्यक्ति को टिकट देती है और पब्लिक उसे पसंद नहीं करती है तो वह रिजैक्ट हो जायेगा और दोबारा इलैक्शन होगा तो फिर पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के प्रत्याशी देने चाहिए। इसलिए यह देश, राष्ट्र, समाज, लोकतंत्र, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक पवित्रता के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार से अनिवार्य मतदान का कानून लागू होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) :** माननीय सभापति महोदय, मैं श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा जो अनिवार्य मतदान विधेयक लाया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देश में मतदान जब तक 100 प्रतिशत नहीं होगा, तब तक सही मायने में हमारा अच्छी सरकार की कल्पना करना गलत होगा। हमने अधिकांश यह देखा है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं, वे लोग ही सरकार और नेताओं के बारे में आलोचना करते हैं। जो लोग मतदान करते हैं, उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वे कभी सरकार और जनप्रतिनिधियों के बारे में आलोचना नहीं करते हैं। हमारे फर्रूखाबाद संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा बूथ है, जहां अधिकारी, कर्मचारी ही (ऑफिसर कालोनी) रहते हैं और वहां जब भी वोट पड़ता है तो जनपद में सबसे कम आठ परसैन्ट या पन्द्रह परसैन्ट से अधिक कभी वहां वोट नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि जब तक वोटिंग को हन्ड्रेड, शत-प्रतिशत नहीं किया जायेगा, कम्पलसरी नहीं किया जायेगा, ऐसा कुछ न कुछ नियम हो कि जो भी व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेगा, उसे कहीं न कहीं पाबंद किया जाए, जिससे उसमें एक भय रहे कि मुझे हर हाल में मतदान करना है।

महोदय, मैंने कहीं-कहीं ऐसा भी देखा कि कहीं दो परसैन्ट या पांच परसैन्ट वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद बूथ पर झगड़ा हो जाता है या कई गांव सभाओं के पोलिंग बूथों पर झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद मैंने देखा कि दो-तीन परसैन्ट के बूथ से भी वे चुनाव जीतकर आते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी जो निष्पक्ष रूप से वोट डालना चाहता है तो वह वोट नहीं डाल पाता है, तभी ऐसी स्थिति बनती है।

महोदय, मैंने बहुत से गांवों में देखा है कि जो पीठासीन आधिकारी जाते हैं, जहां से 60-65% मतदान होता है, तब अधिकारी ही पहले से कहने लगते हैं कि अब मतदान कम कीजिए, ज्यादा मतदान हो जाएगा तो आपका बूथ निरस्त हो जाएगा। महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि अधिकारी को भी यह बात समझनी चाहिए, गांव के लोग भोले भले होते हैं। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, पहले कई बूथ हमारे यहां ऐसे होते थे जो 80-95% से ऊपर जाते थे, वे बूथ निरस्त हो जाते थे। अब चुनाव आयोग से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बार ऐसी व्यवस्था करे, अपने अधिकारियों को बताएं कि जिस बूथ पर भी शत प्रतिशत वोट पड़े या सर्वाधिक जहां पर वोट पड़ेंगे वहां के पीठासीन अधिकारियों व मतदाता को सम्मानित किया जाए। ऐसा कुछ न कुछ ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि जैसे हमारे यहां अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत चुनाव हो या अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव हो, वहां पर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा मतदान होता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना

जाता है, महोदय, अधिकांश हमने देखा है वहां के क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों या जिला पंचायत के सदस्य हों, वे या तो पैसों का लालच देकर खरीद लिए जाते हैं, या कहीं सत्ता व बाहुबल पर उनको उठा लिया जाता है और उनसे बाद में बलपूर्वक मतदान करा लिया जाता है। ऐसे में जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, वे निष्पक्ष नहीं होते हैं, लोग जिन्हें चुनना चाहते हैं, वे नहीं चुन पाते हैं, ऐसा हो कि पंचायत चुनावों में भी आम आदमी से वोट डलवाकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हों। जिससे वहां के लोग सही मायने में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भी जैसे हमारे यहां नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं में व्यवस्था हुई है। पहले यह होता था कि सभासद के द्वारा और पार्षद के द्वारा चुनाव होता था और अब है कि नगर पालिकाएं हों या महानगर पालिकाएं हों, आम आदमी उसमें वोट डालता है, तभी वह नगरपालिका अध्यक्ष या महापौर चुनता है, इसी तरह मैं चाहता हूँ इसमें भी सरकार ऐसा नियम बनाए कि जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हो, वह भी आम आदमी के द्वारा चुने जाएं। हम सबको शत प्रतिशत मतदान करना चाहिए क्योंकि इससे पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इसलिए हम सबको एक-एक वोट की अपनी कीमत समझनी चाहिए। हम सब नियम बना दें, नियम बनने से ही कुछ नहीं होने वाला है। देश में सब व्यक्तियों को, जितने भी नौजवान हैं, चाहे सम्मानित बुद्धिजीवी हैं, सबको चाहिए कि सब लोग शतप्रतिशत मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर):** सभापति महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य जनार्दन सिग्रीवाल के द्वारा आज जो प्राईवेट मेंबर बिल के रूप में अनिवार्य मतदान के संबंध में विधेयक लाया गया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। महोदय, हम सभी जानते हैं कि आज लोकतंत्र मतदान के ऊपर ही सरकार बना कर जनता के लिए और जनता के हित में काम करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसके पूर्व जब राजतंत्र व्यवस्था थी, तो उस समय यह देखा नहीं जाता था कि राजा का बेटा, वारिस योग्य है या नहीं है, फिर भी उसको राजा बना दिया जाता था। परंतु आज इस परिस्थिति में बदलाव में हुआ है और आज वोट के माध्यम से मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। जो सरकार में अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। आज यदि हम अनिवार्य मतदान की बात करें तो यह देखने में आता है कि जहां पर ज्यादा शिक्षित वर्ग है या जो इस विषय को अच्छी तरीके से समझ सकते हें ऐसे लोग ही मतदान से भाग रहे हैं या उदासीन रवैया अपना रहे हैं। इस संबंध में भी हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक बैद्धिक वर्ग इस लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए, अपना मतदान नहीं करेंगे तो अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बन कर नहीं आएंगे। जब तक अच्छे व्यक्ति इस देश का संचालन करने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हम कल्पना करते हैं कि भारत पूरे विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करे, इसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि अनिवार्य मतदान निश्चित रूप से हो। यद्यपि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ लोगों को इससे छूट भी दी जा सकती है, क्योंकि ऐसे शासकीय दायित्व या जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हों, ऐसी परिस्थिति में उनको आज के आधुनिक युग में अपने स्थान से ही जो आधुनिक पद्धति है, उसके माध्यम से सीधे मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह अपने मतदान के अधिकार और कर्तव्य का पालन कर सके। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात पर भी विचार करें और निर्वाचन आयोग इस पर आवश्यक कदम उठाए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। मैं आज इस अवसर पर, हमारे माननीय सदस्य के द्वारा जो बिल लाया गया है, उसका समर्थन करता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हम अंकगणित के हिसाब से सरकार बनाते हैं और उसमें जो मतदान का प्रतिशत है, यद्यपि वह कम भी हो सकता है, उसके बाद भी जिनका अंकगणित ज्यादा होता है, जिनके ज्यादा सदस्य जीतकर आते हैं, वे सरकार बना लेते हैं। आने वाले समय में जो परिस्थिति है, उनको देखते हुए मेरा यह आग्रह होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव और राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव आम जनता सीधे करे। निर्वाचन आयोग प्रत्याशी तय करने के लिए ऐसी कोई कमेटी आदि बनाए और उस पर विचार-विमर्श करके आवश्यक सुझाव लेकर निर्णय ले ताकि एक योग्य व्यक्ति,

वह जिस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है या देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको जनता सीधे चुन सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा):** महोदय, आपने मुझे प्राइवेट मेंबर बिल जिसे माननीय सदस्य लाए हैं, उसके विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें मतदान जो होना है या जो होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं, जो अपने घरों में रह जाते हैं और वे वोट डालने मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े दुःख का विषय है कि यह जो लोकतंत्र है, जिसके द्वारा देश का संचालन होता है और निश्चित रूप से यह जो अनिवार्य मतदान का बिल है, यह पास होगा, अनिवार्य मतदान किया जाएगा तो इस देश में निश्चित रूप से बहुत कुछ राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा। जिस प्रकार से आज लोकतंत्र में हमें जो महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व निभाने के लिए मिला है, देश के हित में, लोगों के हित में, प्रजातंत्र के हित में काम करने का जो हमें दायित्व मिला है, निश्चित रूप से जब मतदान अनिवार्य होगा, अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो वे इस बात को समझेंगे कि आज जिन लोगों ने हमें यह दायित्व दिया है, उसे पूरी तरह से निष्ठा के साथ निभाया जाए। यह न हो कि जो सही नहीं है, उस विषय को भी लेकर लोक सभा में शोर मचाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूँ कि यदि वोट डालना अनिवार्य हो जाएगा तो सरकार की जो महती योजनाएं हैं, जिनको लोगों तक पहुँचाना है, जिस प्रकार सरकार से आज परिचय पत्र के माध्यम से गरीबी रेखा वालों को चिन्हांकित किया जाता है, उन योजनाओं का लाभ मिलता है, नौकरियों में प्राथमिकतायें मिलती हैं, ये सारी योजनाएं हैं। इसी प्रकार से प्राथमिकता से अनिवार्य मतदान को किया जाए। जो वोटर आई.डी. बनते हैं, वे वोट डालने के लिए बनते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग शहरों में रहकर, गाँवों में रहकर उस दिन का जो महत्वपूर्ण मतदान का अधिकार है, उस अधिकार को नहीं निभाते, घर में रह जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनका परिवार बहुत गरीब होता है और वे मतदान वाले दिन, अपने घर पर, अपने मतदान केन्द्र पर, अपने गाँव में नहीं रह पाते हैं। गरीबी के कारण वे कमाने खाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और उस समय आ नहीं पाते। इसलिए निश्चित रूप से एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि मतदान के समय पर वह अनिवार्य रूप से अपने मतदान केन्द्र पर रहें और अनिवार्य मतदान हो तो निश्चित रूप से इस देश का हित होगा। आज आधार कार्ड के रूप में एक पहचान बनी है और सभी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। इसी प्रकार से इस मतदान को भी आधार कार्ड की बराबरी में लेते हुए अनिवार्य मतदान निश्चित रूप से किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जब पंचायत का चुनाव होता है तो उस समय वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। चूँकि गाँव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है और लोग एक एक व्यक्ति से संपर्क

करते हैं और वोट डलवाने के लिए जैसे भी हो, उसको आग्रह करके मतदान केन्द्र तक ले जाकर उससे वोट डलवाते हैं। लेकिन जब विधान सभा और लोक सभा का चुनाव आता है तो सबसे कम प्रतिशत लोक सभा चुनाव के समय होता है। विधान सभा के चुनाव के समय जहाँ-तहाँ कुछ प्रतिशत निश्चित रूप से रहता है लेकिन लोक सभा के समय कम हो जाता है। मैं पिछले चार-पाँच चुनावों को देख रही हूँ, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह था। इस बार का जो चुनाव हुआ, पूरे देश में उस प्रतिशत को देख लीजिए, पिछली बार से इस बार के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जब अनिवार्य मतदान हो जाएगा तो यह प्रतिशत और बढ़ेगा और इस प्रजातंत्र में एक जागरूकता आएगी। सरकार को दो-तीन और महत्वपूर्ण कानून लाने की आवश्यकता है कि हम मतदान को जिस प्रकार अनिवार्य कर रहे हैं, तो जैसे समय की पाबंदी होती है, बड़े बड़े गाँव होते हैं, मतदान केन्द्रों की संख्या कहीं कहीं कम होती है और लोग बहुत लंबी लाइनें लगाए रहते हैं, उन लंबी लाइनों के कारण लोग सोचते हैं कि आज धूप है या लंबी लाइन में दो-चार घंटे खड़ा होना पड़ेगा तो हम क्यों मतदान करने जाएं। इसलिए य़दि हम मतदान अनिवार्य करें तो निश्चित रूप उसी अनुपात में मतदान केन्द्रों की संख्या और उनका समय बढ़ाना भी अनिवार्य होगा।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कर्मचारी, अधिकारी मतदान का समय हो गया, अब इतना मतदान हो, ज्यादा न हो, यह देखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितने लोग लाइन में रहते हैं, सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर्मचारी और अधिकारियों को सुनिश्चित करनी चाहिए। ...(व्यवधान) एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूँगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए कि सरकार ने जो योजनाएँ लागू की हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए हम बहुत योजनाएँ बनाते हैं और उनको प्राथमिकता से लागू करते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो जो लोग मतदान करते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनको योजनाएँ बनाते समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं जो पासपोर्ट बनवाते हैं, परिचय बनवाते हैं, उसमें एक पहचान होनी चाहिए कि इस व्यक्ति द्वारा वोट डाला गया है या नहीं। सरकार द्वारा यह अभियान भी चलाया जाना चाहिए कि सरकार इसका प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से करे। मतदान हमारा अधिकार है और सरकार बनाने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे अनिवार्य बनाया जाना आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिन्द।

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** सभापति महोदय, मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

**18.00 hrs**

अनिवार्य मतदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, प्रायः जितनी भी डैमोक्रेसी हैं, जितने भी डैमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सभी देशों में इस तरह की चर्चा पिछले सौ सालों से लगातार चल रही है। कुछ लोगों ने इसको लागू किया है, कुछ लोग इसको लागू करने वाले हैं और कुछ लोग इस डोलड्रम में हैं कि लागू होना चाहिए या लागू नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो यह मतदान है, यह राइट है या ड्यूटी है और राइट और ड्यूटी में अनिवार्य ड्यूटी होनी चाहिए या अनिवार्य राइट होना चाहिए, इसका एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया में आता है। जो लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, उनका आइडिया है, वे लगातार कहते हैं, मैं समराइज़ कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो डिबेट चल रही है, "The idea is that a democratic electoral system is a public good. In that all citizens get a benefit from it." क्योंकि, जब चुनाव होता है, जब सरकारें बनती हैं, सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, वे सारी जनता को मिलती हैं। "even if they do nothing to contribute to it." जैसे सरकार बनने वाली है, उसमें से कई एक लोग होते हैं, जो कि भाग ही नहीं लेते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन उस सरकार के बनने में नहीं है। "because it is a public good, it is possible to be a free right." क्योंकि, हमारे यहां ही नहीं, पूरी दुनिया में जैसे ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Shri Nishikant Dubey, you may continue your speech next time.

**18.01 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 10, 2015/Shravana 19, 1937 (Saka).*

---